लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
4th
LOK SABHA DEBATES

[तीसरा सत्र
Third Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

सत्यमेव जयते

[खंड 11 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol.XI contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 27, मंगलवार, 19 दिसम्बर, 1967/ 28 अग्रहायण, 1889 (शक)

No. 27, Tuesday, December 19, 1967/Agrahayana 28, 1889(Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
751. राष्ट्रीय खाद्य बजट	National Food Budget ..	3691—3693
752. भारत में अनाज की मांग	Demand of Foodgrains in India ..	3693—3696
753. निर्वाचन सम्बन्धी सुधार	Electoral Reforms ..	3696—3699

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
755. हरियाना में मध्यावधि चुनाव	Mid term Elections in Haryana ..	3699—3700
756. सुपर बाजारों को घाटा	Loss incurred by super bazars ..	3700
757. बीड़ी और सिगार बनाने के कारखानों में कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी	Minimum Wages for Beedi and Cigar Workers ..	3700—3701
758. अनाज की फसलों की खेती में सुधार	Improvement in Cultivation of Food Crops ..	3701—3702
759. एपीजे शिपिंग कम्पनी के मामले में जांच	Enquiry into Apeejay Shipping Company's Affairs ..	3702
760. राज्यों में चावल तथा धान के वसूली मूल्य	Procurement Prices of Paddy and Rice in States ..	3703
761. गहन खेती योजनायें	Intensive Cultivation Schemes ..	3703
762. केरल और पश्चिम बंगाल में अनाज की स्थिति	Food situation in Kerala and West Bengal..	3704

* किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
763. कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राजकीय बीमा योजना का मिलाया जाना	Merger of Employees Provident Fund and Employees State Insurance Scheme ..	3704
764. श्रमिकों के झगड़े	Labour unrest ..	3704—3705
765. अमरीका द्वारा अनाज की सप्लाई	Supply of Foodgrains from USA ..	3705
766. ज्वार के समर्थन मूल्य	Support Price for Jowar ..	3706
767. बागानों की भूमि की सीमा	Ceiling on land Holding in Plantation Cultivation ..	3706
768. ऊंचे वसूली मूल्य	High Procurement prices ..	3706
769. खाद्य पदार्थों को ले जाने पर नियंत्रण	Control on Movement of Food Articles ..	3707
770. लगान हटाया जाना	Abolition of Land Revenue ..	3707
771. फिल्म उद्योग के कर्मचारी	Film Industry Workers ..	3707—3708
772. लघु सिचाई परियोजनाओं के लिए दिए गए ऋणों की राशि का दुरुपयोग	Misuse of Minor Irrigation Loans ..	3708—3709
773. गोदामों में रखने से पहले गेहूं में पाउडर	Mixing of Powder with Wheat Before Storage ..	3709
774. एक राज्य से दूसरे राज्य में मक्का ले जाना	Inter State Movement of Maize ..	3709
775. खाद्यान्नों का मूल्य स्तर	Price Level of Foodgrains ..	3709—3710
776. गन्ने की खेती	Sugar-cane Cultivation ..	3710
777. खुले बाजार में चीनी की बिक्री	Sale of Sugar in the Open Market ..	3711
778. हरियाना से पश्चिम बंगाल को भेजे गए अनाज का जब्त किया जाना	Confiscation of Food Grains sent to West Bengal from Haryana	3711
779. पुनर्वास विभाग में छंटनी	Retrenchment in Rehabilitation Department ..	3712
780. उपभोक्ता सहकारी भंडार	Consumers' Co-operative Stores ..	3712
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4799. दालों के दामों में वृद्धि	Rise in prices of pulses ..	3712—3713

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4800. महाराष्ट्र में नलकूप लगाना	Sinking of Tube-wells in Maharashtra ..	3713
4801. कृषि मजदूरों में बेरोजगारी	Unemployment among Agricultural Labourers ..	3713—3714
4802. दण्डकारण्य परियोजना	Dandakarnya Project ..	3714
4803. उर्वरकों का वितरण	Distribution of Fertilizers ..	3714
4804. ट्रैक्टरों और पम्पिग सैटों का वितरण	Distribution of Tractors and Pumping sets ..	3714—3715
4805. गुजरात को चावल की सप्लाई	Rice Supply to Gujarat ..	3715
4806. गुजरात के लिए चीनी का नियतन	Sugar Allotment to Gujarat ..	3715
4807. अनाज की आवश्यकता	Requirement of Foodgrains ..	3716
4808. कृषि उत्पादन की लागत	Cost of Agricultural Production ..	3716—3717
4809. उलहासनगर (महाराष्ट्र) में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of refugees in Ulhasnagar (Maharashtra) ..	3717—3718
4810. पटनागढ़ (उड़ीसा) में 50 लाइनों का स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	50 lines Auto-Exchange at Patnagarh (Orissa) ..	3718—3719
4811. गुजरात में सुपर बाजार	Super Bazar in Gujarat ..	3719
4812. निजामाबाद में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन	Building for Automatic Telephone Exchange in Nizamabad ..	3719—3720
4813. किसाननगर (आन्ध्र प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज	Telephone Exchange in Kisannagar (Andhra Pradesh) ..	3720
4815. आन्ध्र प्रदेश से मक्का का निर्यात	Export of maize from Andhra Pradesh ..	3720
4816. आसाम में संचार व्यवस्था का विकास	Development of Communications in Assam ..	3721
4817. ग्राम प्राथमिक सहकारी समिति स्तर पर ऋणों का दिया जाना	Advancement of loans at village Primary Co-operatives' level ..	3721
4818. पंजीकृत जिला सहकारी समितियां	Registered District Co-operative Societies ..	3721—3722

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4819. जीवन बीमा निगम में सरकारी क्षेत्र की जमा राशियां	Deposits of co-operative sector in LIC ..	3722
4820. सहकारिता का विकास	Development of Co-operative Activities ..	3722
4821. अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains ..	3722—3723
4822. राजस्थान में धान की वसूली	Procurement of paddy in Rajasthan ..	3723—3724
4823. लंका से आए भारतीय राष्ट्र-जनों का पुनर्वास	Rehabilitation of Indian Nationals from Ceylon ..	3724—3725
4824. खाद्य क्षेत्र	Food Zones ..	3725
4825. कोजही बांध	Kojhi Dam ..	3725
4826. हावड़ा और राम कृष्णपुर के रेलवे शेडों में दालों का जमा हो जाना	Accumulation of pulses in Railway sheds of Howrah and Ramakrishnapur ..	3726
4827. अनाज लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restrictions on movement of foodgrains ..	3726—3727
4828. मध्य प्रदेश के लिए खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of foodgrains for Madhya Pradesh..	3727
4829. राजस्थान में नलकूपों को लगाने के लिए सहायता	Assistance for construction of Tube Wells in Rajasthan ..	3727—3728
4830. दिल्ली के लिए सिंचाई योजना	Irrigation Scheme for Delhi ..	3728
4831. डाक टिकटों की छपाई	Printing of Postal Stamps ..	3729
4832. खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक	Director General of F. A. O. ..	3729
4833. संसत्सदस्यों का विदेशों का दौरा	M. Ps' Visits Abroad ..	3729—3730
4834. मैसर्स बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड	M/s. Bikaner Gypsums limited ..	3730
4835. आयकर अपीलीय न्याया-धिकरण	Income-tax appellate Tribunal ..	3731
4836. दिल्ली में राशन व्यवस्था	Rationing in Delhi ..	3731

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
4837.	कलकत्ता गोदी कर्मचारियों की हड़ताल	Strike by Calcutta Dock Workers ..	3731—3732
4838.	राष्ट्रीय उद्यान	National Parks ..	3732
4839.	हिंडन चुंगी चौकी पर मटर और मटर की दालों का पकड़ा जाना	Seizure of Peas and Pea pulses at the Hindon Check Post ..	3732
4841.	आस्ट्रेलिया से गेहूं की खरीद	Wheat purchases from Australia ..	3733
4842.	सुपर बाजार में कम्बलों की बिक्री	Sale of Blankets in Super Bazar	3733
4843.	उर्वरकों का आयात	Import of Fertilizers ..	3733—3734
4844.	उत्तर गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural University in North Gujarat..	3734
4845.	टेक्सटूल इंजीनियरिंग कम्पनी कोयम्बतूर	Textool Engineering Company, Coimbatore ..	3734—3735
4846.	उर्वरकों की खपत	Consumption of Fertilizers	3735
4847.	ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोर तथा दुकानें	Stores and shops in Rural Areas ..	3735—3736
4848.	मत्स्य पालन निगम का विस्तार	Expansion of Fisheries Corporation	3736
4849.	किंग्जवे कैम्प दिल्ली में विस्थापित लोग	Displaced person in Kingsway Camp Delhi ..	3736—3737
4850.	केरल में खराब चावल तथा गेहूं	Unfit Rice and Wheat in Kerala ..	3737
4851.	राज्यों को उर्वरकों की सप्लाई	Supply of Fertilizers to States ..	3737—3738
4852.	खाद्यान्न की जमाखोरी	Hoarding of Foodgrains ..	3738
4853.	कोचीन पत्तन तथा गोदी कर्मचारी	Cochin Port and Dock Workers ..	3738
4854.	तदर्थ पुनर्वास बोर्ड	Ad-hoc Board of Rehabilitation ..	3738—3739
4855.	चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में	High Yielding varieties of Rice ..	3739—3740
4856.	चीनी, गुड़ और खांडसारी का उत्पादन	Production of Sugar, Gur and Khandsari ..	3740
4857.	उत्तर प्रदेश और बिहार में अकाल सहायता कार्य	Famine Relief Work in U. P. and Bihar ..	3740—3741

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4858. मोगा मण्डी में से न उठाया गया खाद्यान्न	Foodgrains lying at Moga Mandi ..	3741
4859. केन्द्रीय श्रम संगठन, गोरखपुर	Central Labour Organisation, Gorakhpur..	3742
4860. खाद्य तथा कृषि मंत्रालय में हिन्दी आशुलिपिक	Hindi Stenographers in the Ministry of Food and Agriculture ..	3742
4861. सुपर बाजारों के लिये खरीद समिति	Purchase Committee for Super Bazars ..	3743
4862. बलगारिया से खेती के औजार	Bulgarian Implements ..	3743
4863. स्वेज नहर में रुका पड़ा अनाज	Foodgrains held up in the Suez ..	3743—3744
4864. पश्चिम बंगाल को और अधिक अनाज की सप्लाई	Supply of additional foodgrains to West Bengal ..	3744
4865. डाक टिकटों का मुद्रण	Printing of Stamps	3744
4866. दिल्ली को चीनी का सम्भरण	Sugar Supply to Delhi ..	3744—3745
4867. अनौपचारिक परामर्शदायी समितियां	Informal Consultative Committees	3745
4868. सोनीपत के पास चितिया में हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना	H. M. T. Factory at Chitia near Sonepat..	3745—3746
4869. सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक विवादों में राज्यों द्वारा मध्यस्थता	Mediation by States in Industrial disputes in Public Undertakings ..	3746
4870. खाद्यान्नों के रक्षित भंडार को भाण्डागारों में रखना	Storage of Buffer Stock of Foodgrains ..	3746
4871. जापान और फारमोसा में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी विधियां	Land Ceiling Laws in Japan and Formosa..	3747
4872. बेरोजगार मजदूर, शिल्पी तथा इंजीनियर	Unemployment Labourers Artisans and Engineers ..	3747
4873. हरियाणा से दिल्ली को मोटे अनाजों का निर्यात	Export of coarse Grains from Haryana to Delhi ..	3747—3748
4874. सरकार के पास कर्मचारी भविष्य निधि की भुगतान न की गई राशि	Employees Provident Fund lying unpaid with Government ..	3748—3749

तारांकित प्रश्न संख्या

U. S. Q. Nos.

4875.	भारतीय डाक टिकटें	Indian Stamps ..	3749
4876.	तेल से खाद्य की प्राप्ति	Food from Oil ..	3749—3750
4877.	दिल्ली धोबी सहकारी औद्योगिक समिति	Delhi Dhobi Cooperative Industry Society ..	3750
4878.	पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन	Allotment of Land to Displaced persons from East Pakistan ..	3751
4880.	राष्ट्रीय भू-क्षार संस्था (नेशनल सायल सैलाइन इंस्टीट्यूट)	National Soil Saline Institute ..	3751
4881.	मुर्गी दाना	Poultry Feed ..	3751—3752
4882.	विधि आयोग	Law Commission ..	3752
4883.	जम्मू तथा काश्मीर में खाद्यान्नों की बिक्री	Sale of Foodgrains in Jammu and Kashmir	3753
4884.	जम्मू और काश्मीर में लोगों का पुनर्वास	Rehabilitation of People in Jammu and Kashmir ..	3753
4885.	चण्डीगढ़ टेलीफोन केन्द्र	Chandigarh Telephone Exchange ..	3753—3754
4886.	वकील परिषद् अधिनियम	Bar Councils Act ..	3754
4887.	उड़ीसा में तट के पास मछली पकड़ने के बारे में योजना	Off shore fishing in Orissa ..	3754
4888.	विभागातिरिक्त कर्मचारी	Extra Departmental Staff	3755
4889.	डाक का तुरन्त वितरण	Quick Disposal of Mail ..	3755—3756
4890.	जम्मू और काश्मीर में शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugee in Jammu and Kashmir ..	3756
4891.	पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थी	Refugees from Pakistan	3756
4892.	लांग द्वीप (अंदमान द्वीप समूह) में नौका बनाने का कारखाना	Boat Building Yard at Long Island (Andaman Islands) ..	3756—3757
4893.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घर पर दूध पहुंचाने की सुविधा	D. M. S. Home Delivery Service ..	3757
4894.	सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Community Development Programme ..	3757—3758
4895.	बिहार में अकाल सहायता कार्य	Famine Relief work in Bihar ..	3758

अता० प्र० संख्या

U. S. Q. Nos.

4896.	व्यापारिक फसलें उगाना	Commercialisation of Agriculture ..	3758—3759
4897.	रात्रि में खुले रहने वाले डाक घर	Night Post Offices ..	3759—3760
4898.	कृषि मजदूर संघ	Agricultural Trade Unions ..	3760
4899.	राष्ट्रीय श्रम आयोग	National Labour Commission ..	3760
4900.	हल्दिया पत्तन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था	Industrial Training Institute at Haldia Port ..	3761
4901.	भूमिहीन खेतिहर मजदूर	Landless Agricultural Labourers ..	3761—3762
4902.	गुजरात सर्किल में डाक तथा तार विभाग के लिये भवन	P & T Department Buildings in Gujarat Circle ..	3762
4903.	गुजरात सर्किल में पोस्टल डिवीजन	Postal Divisions in Gujarat Circle ..	3762—3763
4904.	बीड़ी और सिगार बनाने वाले मजदूर	Bidi and Cigar Workers ..	3763
4905.	कृषिजन्य उत्पादन की लागत	Cost of Agricultural Production ..	3763
4906.	आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान के लिये उर्वरक की आवश्यकता	Requirement of Fertilizers for Andhra Pradesh, Orissa and Rajasthan ..	3764
4907.	उर्वरकों के मूल्य	Prices of Fertilizers ..	3764—3765
4908.	पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाने के लिये ऋण	Loan for sinking Tube-wells in West Bengal ..	3765
4909.	पश्चिमी बंगाल में रोजगार	Employment in West Bengal ..	3765—3766
4910.	आयातित ट्रैक्टरों का वितरण	Distribution of Imported Tractor ..	3766—3767
4911.	भारतीय डाक टिकट	Indian Stamps	3767
4912.	अमरावती में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज	Automatic Telephone Exchange at Amraoti ..	3767—3768
4913.	श्रम मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम	Public Sector Corporation under Labour Ministry ..	3768
4914.	सरकारी क्षेत्र के अथवा स्वायत्तशासी निगम के लिये विज्ञापन एजेंसी	Advertising Agency for Public Sector or Autonomous Corporations ..	3768—3769

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4915. शोलापुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र	Automatic Telephone Exchange in Sholapur ..	3769
4916. अदन, श्रीलंका और पाकिस्तान से आये शरणार्थियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Refugees from Aden, Ceylon and Pakistan ..	3769—3770
4917. अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में रेडियो सिग्नल टावर	Radio Signal Tower in Andaman and Nicobar Islands ..	3770
4918. अहमदाबाद डिवीजन का विभाजन	Bifurcation of Ahmedabad Division ..	3770—3771
4919. मध्य प्रदेश में पूर्वी तथा पश्चिम निमाड में अंगूर की खेती	Grape Cultivation in East and West Nimad (M. P.) ..	3771
4920. मध्य प्रदेश में निमाड में रुई तथा मूंगफली की खेती का विकास	Development of Cotton and Groundnut Cultivation in Nimad (M. P.) ..	3771
4921. रबी की फसल के लिये उन्नत बीजों का वितरण	Distribution of improved seed for Rabi Crop ..	3772
4922. सहकारी समितियों के सदस्यों को प्रशिक्षण	Training for Members of Co-operative societies ..	3772—3773
4923. राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई	Supply of foodgrains to states ..	3773
4924. बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र	Ballabgarh Telephone Exchange ..	3773
4925. सहायक विधि सलाहकारों की नियुक्ति	Recruitment of Assistant Legal Advisers ..	3773—3774
4926. दण्डकारण्य परियोजना में काम कर रहे डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता	Project allowance to P & T Employees Working in Dandakaranya Project ..	3774—3775
4927. डाक और तार विभाग में तकनीकी शब्दावली के हिन्दी समानार्थक शब्द	Hindi equivalents of technical terms in P & T Department ..	3775
4928. खाद्यान्नों का आयात	Food Imports ..	3775—3776
4929. राजस्थान में सिंचाई की छोटी योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता	Central assistance for Minor Irrigation Schemes in Rajasthan ..	3776

विषय अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	Subject	पृष्ठ/Pages
4930. राजस्थान में टेलीफोन कनेक्शन	Telephone connections in Rajasthan ..	3776—3777
4931. हिन्दी टेलीप्रिंटर	Hindi Teleprinters ..	3777
4932. हिन्दी तारों का पारेक्षण	Transmission of Hindi Telegrams ..	3777—3778
4933. गोआ तट से दूर मछलियां पकड़ना	Fishing off the Goa Coast ..	3778
4934. बिना जोती भूमि का उपयोग	Utilisation of Uncultivated land ..	3778—3779
4935. राजस्थान में अन्वेषणात्मक नलकूप	Exploratory Tube-wells in Rajasthan ..	3779—3780
4936. लंकारनसर तहसील में नलकूप	Tube-wells in Lunkaransar Tehsil ..	3780
4937. किदवईपुर (पटना) में डाक तथा तार विभाग की कालोनी की भूमि	Land of P & T Colony, Kidwaipur (Patna) ..	3780—3781
4938. कोसी क्षेत्र के विकास के लिए कनाडा से सहायता	Canadian Aid for Development of Kosi Region ..	3781
4939. पहाड़ी ढलानों तथा ऊबड़-खाबड़ क्षेत्रों के लिये वृक्ष	Trees for Hill slopes and Ravines ..	3781
4940. चीनी उत्पादन की लागत तथा चीनी के विक्रय मूल्य	Cost of Sugar Production and its sale price ..	3781—3783
4941. पटना में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	P&T Staff Quarters in Patna ..	3783
4942. पटना में डाक तथा तार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए क्वार्टर	Quarters for non-Gazetted P&T Staff at Patna ..	3783—3784
4943. उड़ीसा में सीधा टेलीफोन सम्पर्क	Direct Telephone Connections in Orissa ..	3784
4944. मनीपुर में भूमि बन्धक बैंक	Land Mortgage Bank in Manipur ..	3784—3785
4945. मनीपुर में डाक व तार घर	Post and Telegraph Offices in Manipur ..	3785
4946. बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें	Sugar Mills in Bihar and U. P. ..	3785—3786
4947. भारतीय सहकारिता कांग्रेस	Indian Co-operative Congress ..	3786—3787

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4948. बर्मा से वापस आये भारतीय मूलक लोगों को प्लाटों का दिया जाना	Allotment of plots to repatriates from Burma ..	3787—3788
4949. कालकाजी कालोनी	Kalkaji Colony ..	3788
4950. बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के लिए दुकानों का नियतन	Allotment of shops to repatriates from Burma ..	3788
4951. पश्चिम बंगाल डिवीजन में रेलवे डाक सेवा के सार्टर	R. M. S. Sorters in West Bengal Division..	3789
4952. मैसूर सर्किल का पोस्ट मास्टर जनरल	Post Master General, Mysore Circle ..	3789—3790
4953. सुपर बाजारों के संतुलन पत्र	Balance Sheets of Super Bazars ..	3790
4954. भूमि विकास बैंक	Land Development Banks ..	3790—3791
4955. कृषि तथा पशु चिकित्सा कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम	Degree Course in Agriculture and Veterinary Colleges ..	3791—3792
4956. पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड	Wage Board for Journalists ..	3792
4957. आन्ध्र प्रदेश में चीनी के कारखाने	Sugar Factories in Andhra Pradesh ..	3792—3793
4958. सहकारी समितियों का एकीकरण	Amalgamation of Co-operative Societies ..	3793
4959. सहकारी समितियों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करना	De-Officialisation of Co-operative Societies ..	3793
4960. सहकारिता आन्दोलन	Co-operative Movement ..	3794
4961. सहकारी समितियों के पंजीयकों के विरुद्ध अपीलें	Appeals Against Registrar of Co-operative Societies ..	3794
4962. फसल ऋण व्यवस्था	Crop Credit System ..	3794—3795
4963. निर्वाचन याचिकाओं का निबटारा	Disposal of Election Petitions ..	3795
4964. टेलीग्राफ मास्टरों का वेतनमान	Pay Scales of Telegraph Masters ..	3795—3796
4965. तारघरों को विभागीय तारघरों में बदलना	Conversion of Telegraph Offices into D.T.Os. ..	3796
4966. अखिल भारतीय तार यातायात तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ	All India Telegraph Traffic Class III Employees Union ..	3796—3797

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
4967. नई दिल्ली में तार कर्मचारियों के लिये शयन संबंधी सुविधायें	Dormitory Facilities for Telegraph Workers in New Delhi ..	3797
4968. कृषि ऋण निगमों की स्थापना	Setting up of Agricultural Credit Corporations ..	3797
4969. सुपर बाजार, नई दिल्ली	Super Bazar New Delhi ..	3797—3798
4970. सहकारी समितियों के सदस्यों का प्रशिक्षण	Training of Members of Co-operative Societies ..	3793
4971. मत्स्यनौकाओं के लिये जापानी इंजन	Japanese Engines for Fishing Boats ..	3798
4972. रूसी ट्रैक्टरों के ले जाने पर प्रतिबन्ध	Restriction on Movement of Russian Tractors ..	3798—3799
4973. राज्यों में अनाज की वसूली	Procurement of Foodgrains in States ..	3799
4974. प्राथमिक सहकारी समितियों के सदस्यों के लिये जाने वाले ब्याज की दर	Rate of Interest charged from Members of Primary Co-operative Societies ..	3799
4975. मेसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी, लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा तालाबन्दी	Lock out by M/s. A. H. Wheeler and Co. Ltd. Allahabad ..	3799—3800
4976. अभ्रक के कारखानों के मजदूर	Workers of Mica Factories ..	3800
4978. थाइलैंड से पटसन के बदले में चावल का आयात	Import of Rice from Thailand in Exchange for Jute ..	3800
4979. बगाया (बिहार) में डाकघर	Post Office in Bagaya (Bihar) ..	3800—3801
4980. आन्ध्र प्रदेश में कुछ जिलों में अच्छी फसल का न होना	Failure of crops in Andhra Districts ..	3801—3803
4981. चक्कियों और आटा मिलों द्वारा पीसे गये आटे की किस्म पर नियंत्रण	Quality control on flour manufactured by Flour Mills vis-a-vis stone Chakkis ..	3803
4982. हिन्दुस्तान शूगर मिल्स, गोला गोकर्णनाथ	Hindustan Sugar Mills, Gola Gokarannath ..	3803
4983. नदी घाटी परियोजनाओं के क्षेत्रों में उपज	Yeild from River Project Areas ..	3803—3804

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
4984. राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण	Speeches of Leaders of Political Parties ..	3804
4984-क जोधपुर में पानी के संसाधन	Water resources in Jodhpur ..	3805
4984-ख मध्य प्रदेश में फल परिरक्षण कारखाने	Fruit preservation Factories in M. P. ..	3805—3806
4984-ग केरल में कागज तथा लुगदी परियोजना	Paper and Pulp project in Kerala ..	3806
4984-घ रुड़की विश्वविद्यालय के इंजीनियरी कालेज में प्रधान मंत्री का दीक्षांत भाषण	P. M's convocation address at Roorkee University Engineering College ..	3806—3807
4984-ङ दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता	Project Allowance for Dandakaranya Employees ..	3807
4984-च पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई	Supply of Food Grains to West Bengal ..	3807
4984-छ बारबिल क्षेत्र (उड़ीसा) में खनिक श्रमिकों के लिये अस्पताल	Hospital for Mining Labourers in Barbil Area (Orissa) ..	3807—3808
4984-ज भूमिगत जल का सर्वेक्षण	Ground Water Survey ..	3808—3809
4984-झ अधिकारियों की निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति	Deputation of Officers to the Election Commission ..	3809
4984-ञ पोरबन्दर पत्तन का विकास	Development of porbandar port ..	3809
4984-ट काजू का उत्पादन	Production of Cashewnuts ..	3809—3810
4984-ठ औद्योगिक विकास के लिए प्रशिक्षण केन्द्र	Training Centres for Industrial Development ..	3810
अतारांकित प्रश्न संख्या 2118 के उत्तर में शुद्धि	Correction of Answer to U. S. Q. No. 2118 ..	3810—3811
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बढ़ी हुई मंहगाई भत्ता देना	Payment of increased dearness allowance to Central Government servants ..	3811—3812
विशेषाधिकार का प्रश्न	Question of Privilege ..	3813

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
सदस्य की गिरफतारी	Arrest of Member	..	3813
(डा० रानेन सेन)	(Dr. Ranen Sen)		
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	..	3813—3815
सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति	Leave of Absence from Sittings of the House	..	3815
सदस्य की गिरफतारी के बारे में	Re. arrest of Member	..	3815
सभा का कार्य	Business of the House	..	3816
विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक	Unlawful Activities (Prevention) Bill	..	3816—3836
विचार करने का प्रस्ताव, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	Motion to consider, as reported by Joint Committee	..	3816
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	3816
श्री जी० भा० कृपालानी	Shri J. B. Kripalani	..	3816—3817
श्री दशरथ राम रेड्डी	Shri R. D. Reddy	..	3817—3818
डा० सूर्य प्रकाश पुरी	Dr. Surya Prakash Puri	..	3818—3819
श्री विश्वनाथन	Shri G. Viswanathan	..	3819
श्री यशवन्तराव चह्वाण	Shri Y. B. Chavan	..	3819—3821
खंड 2, 3 और 4	Clauses 2, 3, and 4	..	3821—3836

लोक-सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 19 दिसम्बर, 1967/28 अग्रहायण, 1889 (शक)
Tuesday, December 19, 1967/Agrahayana 28, 1889 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

राष्ट्रीय खाद्य बजट

*751. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी : **श्री शशिभूषण बाजपेयी :**
श्री रामावतार शास्त्री : **श्री नीतिराज सिंह चौधरी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों के मंत्रियों के परामर्श से कोई राष्ट्रीय खाद्य बजट तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). राष्ट्रीय खाद्य बजट को तैयार करने का काम तब तक के लिये स्थगित कर दिया गया जब तक कि उत्पादन और खपत के विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त नहीं होते, ताकि वह बजट सबको स्वीकार हो सके ।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : कृषि मूल्य आयोग का सुझाव था कि 80 लाख टन अनाज का समाहार किया जाये । परन्तु अब इस लक्ष्य से राज्य पीछे हटते जा रहे हैं हालांकि उनके मुख्य मंत्री 60 लाख टन अनाज के एकत्रीकरण पर सहमत हो गये थे । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है

कि 20 वर्षों में भी सरकार कृषि के सम्बन्ध में विश्वसनीय आंकड़े एकत्र न कर सकी जिसके आधार पर आज राष्ट्रीय खाद्य बजट बनाया जा सकता।

श्री शिन्दे : कृषि मूल्य आयोग ने 70-80 लाख टन का लक्ष्य निर्धारित किया था। परन्तु इस बारे में पर्याप्त वाद-विवाद के बाद भी सब मुख्य मंत्री परस्पर सहमत न हो सके। फिर भी यह मान लिया गया था कि अनाज की वसूली अधिक से अधिक हो। दूसरे कृषि सम्बन्धी आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई होना स्वाभाविक है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : विभिन्न राज्यों में अनाज वसूली के क्या लक्ष्य रखे गये हैं ? विदेशों से कितना अन्न आयात किया जायेगा ? क्या सब स्थानों पर समाहार मूल्य एक सा रखा जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : अनाज वसूली के विषय पर आज और भी प्रश्न हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न तो खाद्य बजट के बारे में है।

Shri Ram Avtar Shastri : During last session we heard about the National Food Budget that it was prepared, but was opposed by the States. On what basis was that prepared and on what basis will it again be prepared ?

श्री शिन्दे : खाद्य बजट अन्तिम रूप से कभी भी तैयार नहीं किया गया था। खाद्यान्न नीति समिति ने सुझाव दिया था कि एक खाद्य बजट बनाया जाये। इस सम्बन्ध में एक विशेषज्ञों की तदर्थ समिति नियुक्त की गई थी। कुछ प्रस्ताव मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में रखे गये थे परन्तु उनकी यह राय थी कि आंकड़ों के अभाव में खाद्य बजट बनाना वांछनीय न होगा।

श्री नीतिराज सिंह चौधरी : क्या सरकार आशा करती है कि कृषि सुधार तथा अधिक उपज वाले बीजों के परिणामस्वरूप जनसंख्या बढ़ने पर भी खाद्य-स्थिति संतुलित रहेगी।

श्री शिन्दे : यदि अनाज का उत्पादन अधिक होगा तो अनाज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा।

Shri Madhu Limaye : A proposal of food budget was proposed in a meeting of the National Development Council. What is the name of that state which has been allotted the maximum and of that which has been allotted the minimum quantity of food for consumption and what is the quantity of each quota ?

श्री शिन्दे : उस मसविदे में कई कमियां थीं। उपयोग के ठीक आंकड़े भी उपलब्ध न थे। राज्यवार उपभोग के आंकड़े उपलब्ध न हो सके, जिन पर विश्वास किया जा सकता। इसी कारण प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है इसका ठीक से अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तत्सम्बन्धी आंकड़े भी मेरे पास नहीं हैं।

Shri Madhu Limaye : The answer of every question is evaded like this it is not good.

अध्यक्ष महोदय : क्या इसकी जानकारी सभा-पटल पर बाद में रखी जा सकती है ।

श्री जगजीवन राम : यह जानकारी बाद में दे दी जायेगी ।

Shri K. N. Tiwary : If you have not got correct figures about food production and the consumption of food, on what basis are the Government preparing the food budget ?

श्री शिन्दे : खाद्य बजट का बनाना अत्यधिक कठिन है क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिनके सम्बन्ध में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । जैसे कृषि उत्पादन बहुत हद तक प्रकृति पर निर्भर होता है । उपभोग की मात्रा हर प्रदेश की भिन्न होती है । यह एक विकट समस्या है । इस सम्बन्ध में गहन अध्ययन किया गया और यह निष्कर्ष निकला कि खाद्य बजट तैयार करना बहुत ही कठिन है ।

श्री लोबो प्रभु : उपभोग के आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं परन्तु उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध हैं और जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं । इन दोनों के आधार पर प्रति व्यक्ति अनाज की उपलब्धता का अनुमान लगाया जा सकता है । यदि यह 18 औंस है तो फिर अनाज पर कन्ट्रोल या क्षेत्रीय सीमाबन्दी रखने में क्या औचित्य है ?

श्री जगजीवन राम : यह बात तो साधारण मालूम होती है परन्तु व्यवहार में यह बड़ा कठिन है । उत्पादक लाखों की संख्या में हैं । वे उत्पादन करते हैं । कुछ को अपनी आवश्यकता के लिये रखते हैं, शेष को बाजार में बेचते हैं । वह स्वभावतः अधिक अन्न का उपयोग करता है । वास्तविक बात यह है कि बाजार में कितना अनाज आता है । उपभोग के लिहाज से यही उत्पादन है । फिर समस्या आती है अनाज वसूली की । इन सबके बारे में आजकल ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं होते जो सबको स्वीकार्य हों । अब एक ऐसे संगठन के गठन पर विचार किया जा रहा है जो आंकड़े एकत्र करे और जो सबको स्वीकार्य हों ।

श्री मु० न० नाधनूर : क्या सरकार ऐसा कदम उठायेगी जिससे दक्षिण के राज्यों में चने और चने की दाल आदि पर्याप्त मात्रा में उचित दामों पर मिल सके ?

अध्यक्ष महोदय : यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है ।

श्री दत्तात्रय कुन्टे : इस दुविधा की दशा में क्या सरकार क्षेत्रीय व्यवस्था को समाप्त करने जा रही है ?

श्री जगजीवन राम : मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस विषय पर विस्तार से विचार किया गया था तथा यह निश्चय किया गया था कि क्षेत्रीय व्यवस्था को अभी समाप्त न किया जाये ।

भारत में अनाज की मांग

*752. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू कृषि वर्ष में देश के उपलब्ध साधनों से कुल कितना अनाज उपलब्ध होने का अनुमान है ; और

(ख) चालू कृषि वर्ष में प्रत्येक राज्य की अनुमानतः मांग कितनी है और उनको कितना अनाज सप्लाई किये जाने का अनुमान है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) वर्ष 1967-68 में खाद्यान्न के उत्पादन के अन्तिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं। वर्तमान संकेतों के अनुसार देश में इस वर्ष 9.20 करोड़ से 9.50 करोड़ टन अनाज के उत्पादन होने का अनुमान है।

(ख) अधिकतर राज्यों ने अभी तक 1968 के लिये अनाज सम्बन्धी अपनी मागों का ब्योरा केन्द्र को नहीं भेजा है। यह बताना भी सम्भव नहीं है कि विभिन्न राज्यों को 1968 में केन्द्रीय पूल से कितना-कितना अनाज दिया जायेगा। क्योंकि पहले से ही यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि केन्द्रीय पूल में कितना अनाज जमा होगा तथा किस राज्य में क्या स्थिति उत्पन्न होती है। राज्यों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप केन्द्र से अनाज प्रति महीने के आधार पर दिया जायेगा। साथ ही यह भी ध्यान रखा जायेगा कि अच्छे उत्पादन वाले वर्ष में एक बफर स्टाक बनाया जाये।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : इस वर्ष अनाज का उत्पादन 950 लाख टन होने का अनुमान है तथा 80 लाख टन अनाज बाहर से मंगाया जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को 130 किलो अनाज प्रति वर्ष के हिसाब से उपलब्ध होगा। क्या सरकार यह मानती है कि अनाज का अभाव नहीं है बल्कि वितरण में दोष है ? क्या क्षेत्रीय व्यवस्था समाप्त करने का समय अभी नहीं आया है जिससे सब लोगों को अनाज आसानी से उपलब्ध हो सके।

श्री शिन्दे : मोटे रूप से खाद्य तथा बीजों के लिये 120 लाख टन अनाज की आवश्यकता देश में होती है। जिसमें से 25 लाख टन अनाज किसानों के पास रहता है। यदि मान लिया जाये कि इस वर्ष 920 से 950 लाख टन तक अनाज पैदा होगा तो मानवीय उपयोग के लिये केवल 780 से 800 लाख टन तक ही उपलब्ध होगा। जब कि 16 औंस प्रति व्यक्ति के हिसाब से 865 लाख टन अनाज की आवश्यकता होगी। अतः 75 लाख टन अनाज बाहर से मंगाना पड़ेगा जिसमें से 30 लाख टन बफर स्टाक के लिये रख दिया जायेगा। इस प्रकार क्षेत्रीय व्यवस्था को समाप्त करने से समस्या हल नहीं होगी।

श्री वीरेन्द्र कुमार शाह : क्या सरकार को पता है कि उत्तर प्रदेश से नेपाल के रास्ते से चीन को अनाज चोरी छिपे से भेजा जाता है तथा सौराष्ट्र से अनाज का तस्कर व्यापार पाकिस्तान के साथ किया जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस तस्कर व्यापार को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है।

श्री शिन्दे : यह प्रश्न पहले भी उठाया गया था और यह मामला गृह मंत्रालय को सौंप दिया गया था तथा राज्य सरकारों को भी इस बारे में चेतावनी दी गई थी। राज्यों से इस प्रकार के व्यापार के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

श्री बेदब्रत बरुआ : अमरीकी सूत्रों से मालूम हुआ है कि वह केवल 35 लाख टन अनाज 1968 में भारत को देगा । जब कि आवश्यकता 70 लाख टन अनाज की है । इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का क्षेत्रीय व्यवस्था को उठाने का विचार है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : वसूली, मूल्य, वितरण तथा प्रतिबन्धों के बारे में जो निर्णय भारत सरकार लेती है वह बाहरी दबाव के कारण नहीं लिये जाते हैं । फिलहाल अनाज के क्षेत्रों को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है ।

Shri Prakash Vir Shastri: May I know whether the Government are considering the feasibility of making bigger food zones with a view of providing sufficient food in scarcity areas ?

Shri Jagjivan Ram: If we have about 3 million tons foodgrains in our buffer stock and the difference between the procurement price and open market price, the only this kind of proposal may be considered.

श्री राजशेखरन : अनाज के उत्पादन में कमी तथा बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार लोगों की भोजन सम्बन्धी आदतें बदलने के लिये कुछ कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिन्दे : लोगों की खाने सम्बन्धी आदतें बदलने का काम एक लम्बे समय में होता है । सरकार ने इस सम्बन्ध में भी कुछ कार्यक्रम बनाया है ।

Shri Kanwarlal Gupta: May I know, whether in view of the good crop of the year Government consider to remove the restrictions imposed on the movement of the coarse foodgrains like gram, maize, jowar and barley etc., so that there may not be much difference in prices of these foodgrains in surplus and deficit states.

Shri Jagjivan Ram: The difficulty is this that some foodgrains are considered coarse grains in some States and main cereals in other States. There is no possibility of removal of restrictions imposed on the movement of coarse foodgrains.

Shri Prem Chand Verma: May I know whether the targets of foodgrains procurement fixed by different states have been fulfilled ?

श्री शिन्दे : अभी यह नहीं बताया जा सकता कि लक्ष्य पूरे होंगे या नहीं क्यों कि खरीफ की फसल के अनाज जनवरी से मार्च तक बाजार में आते हैं तथा रबी की फसल के अनाज अप्रैल से जून तक बाजार में आते हैं ।

Shri Sarjoo Pandey: Why do the Government not favour the constitution of food zones of surplus and deficit states ?

Shri Jagjivan Ram: People want that centre should supply foodgrains to deficit States and simultaneously there should not be restrictions on the movement. How can these two things go together ? The people of surplus state do not want that the foodgrains should flow out their State and we also want to procure as much as possible. So we are not considering to lift the zonal restrictions.

अध्यक्ष महोदय : पूरक प्रश्न मूल प्रश्न से दूर हटते जा रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिये। साथ ही कई पूरक प्रश्न जो एक साथ पूछे जायें वे परस्पर सम्बद्ध होने चाहियें।

Shri S. M. Joshi : Coarse foodgrains should be purchased by food corporation and the foodgrains thus procured should be sent to deficit states.

Shri Jagjivan Ram : It is being done. For example, food corporation is supplying maize to Delhi and Calcutta.

Shri Manubhai Patel : The total requirement is calculated on the basis of 16 oz. per head. I want to know whether that basis is correct. Another thing is that population includes children also who do not eat. Secondly, several lakhs of foodgrains are being utilized for other than food purposes like in preparation of wines etc. I would like to know whether Government will put a stop to it.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न तो आपका महत्वपूर्ण है परन्तु यह मूल प्रश्न से सम्बद्ध नहीं है।

श्री जगजीवन राम : हिसाब लगाते समय केवल वयस्क लोगों को ही गिना जाता है। देश की 84 प्रतिशत जनसंख्या को वयस्क माना जाता है।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : मंत्री महोदय ने बताया कि 80 लाख टन अनाज का आयात किया जायेगा जिसमें से बफर स्टाक में भी रखा जायेगा। अन्नाभाव की स्थिति में बफर स्टाक बनाने की क्या आवश्यकता है ?

श्री शिन्दे : मैं माननीय सदस्य के विचारों से सहमत नहीं हूं। कठिन परिस्थितियों में बफर स्टाक से मूल्य स्थिर रखने में सहायता मिलती है।

श्री देवकीनन्दन पाटोदिया : भंडारण और यातायात के दौरान जो अनाज बर्बाद होता है, उसका भी कुल उपलब्धि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक के अध्ययन के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 72 लाख टन अनाज बर्बाद होता है। क्या सरकार इस बर्बादी को रोकने के लिये कोई ठोस कार्यवाही करेगी ?

श्री जगजीवन राम : यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदा उठाया जाता है। भारत में लाखों किसान हैं और यह बात भी माननी पड़ेगी कि उनके घरों में अनाज की बर्बादी अधिक होती है। इसको रोकने का एक ही उपाय है कि प्रत्येक किसान को उसके उत्पादन के अनुसार अनाज रखने के लिये छोटा या बड़ा लोहे आदि का डिब्बा दिया जाये। जिससे चूहे आदि अनाज खराब न कर सकें। मैं एक ऐसी योजना पर विचार कर रहा हूं। जितने सरकारी गोदाम हैं उन सबमें सुरक्षा के उपाय किये हुए हैं और उनमें आवश्यकतानुसार सुधार भी किया जाता है।

निर्वाचन सम्बन्धी सुधार

*753. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी साधारण निर्वाचनों के लिए निर्वाचन सम्बन्धी सुधार करने की कोई प्रस्थापना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग, संसद् और राज्य विधान मण्डलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचनों की विधियों में परिवर्तनों और सुधारों के प्रश्न पर विचार कर रहा है; किन्तु इसके ब्योरे तो चौथे साधारण निर्वाचन के बारे में निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के भाग-1 (वृत्तान्त वाला भाग) को अन्तिम रूप दिए जाने के पश्चात् ही तैयार किए जाएंगे ।

श्री रा० की० अमीन : क्या मंत्री महोदय चुनाव आयोग से कहेंगे कि ऐसे सुधार करे कि त्रुटियां दूर की जा सकें । जैसे 38 प्रतिशत मत लेने पर लोक-सभा में 50 प्रतिशत से अधिक स्थान प्राप्त कर लेना । दूसरे सरकार चुनाव के समय अपने अधिकारों का दुरुपयोग करती है । तीसरे विधान सभाओं और संसद् के एक ही समय पर चुनाव होने के कारण लोगों को चुनाव के समय देश की और स्थानीय समस्याओं पर एक ही प्रकार से सोचना पड़ता है ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं कि चुनाव प्रणाली में परिवर्तन किया जाये और विधान-सभाओं और संसद् के अलग-अलग चुनाव कराये जायें । मैं इस बात से सहमत नहीं कि सत्ता के होते हुए चुनाव पर प्रभाव डाला जा सकता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के उपबन्ध इतने व्यापक हैं कि बिलकुल ठीक प्रकार से चुनाव हो रहे हैं ।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : दल बदल की प्रवृत्ति के कारण कई स्थानों पर आम चुनाव के परिणामों में परिवर्तन हो गया है । क्या सरकार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में ऐसा सुधार करेगी ताकि किसी व्यक्ति द्वारा दल बदलने पर उसे पुनः चुनाव लड़ना पड़े ।

श्री गोविन्द मेनन : माननीय सदस्य को मालूम होगा कि हाल ही में लोक-सभा ने एक संकल्प पारित किया था जिसके अनुसार सरकार एक समिति नियुक्ति करेगी जो इस मामले पर विचार करेगी ।

Shri Gulam Mohammad Bakshi: The Hon. Minister has said that Government in power has no hand in elections. It is good if it is like that. But in the state of Jammu and Kashmir 140 nomination papers were rejected. When we brought to the notice of Election Commissioner, he agreed that this is a serious thing. As a result of that the ruling party got 26 uncontested seats in State assembly and 3 in Parliament. All this was done by party in power. I want to know as to what has been decided in respect of all this?

श्री गोविन्द मेनन : जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त कहीं से भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई । ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है और इस बारे में अर्जियां जम्मू-काश्मीर उच्च न्यायालय के समक्ष हैं ।

Shri Bhola Nath: I want to know whether the present procedure of conducting elections to Parliament and Assemblies simultaneously will be changed and elections held separately?

श्री गोविन्द मेनन : विधान-सभाओं और संसद् के चुनाव, चुनाव आयोग कराता है । इस बारे में कोई व्यवस्था नहीं है ।

श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है । इस समय आप सभी समस्याओं को हल नहीं कर सकते ।

श्री स० कुण्डू : चुनाव पर व्यय होने के बारे में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में जो सीमा निश्चित है उससे कई बार लोग अधिक व्यय कर देते हैं । क्या मंत्री महोदय उक्त अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रहे हैं ताकि अधिक व्यय करने वाले के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जा सके ? और क्या सरकार प्रत्येक चार वर्षों के बाद चुनाव कराने पर विचार कर रही है ?

श्री गोविन्द मेनन : चुनाव कराने के बारे में अवधि का निर्णय संविधान सभा ने किया था। इस बारे में संविधान में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । एक व्यक्ति पर अपने चुनाव पर व्यय किये जाने के सम्बन्ध में निर्धारित राशि से अधिक व्यय की बात बहुत बार हुई है । इस बारे में रचनात्मक सुझावों का मैं सहर्ष स्वागत करता हूं ।

Shri Maharaj Singh Bharati: Bribery is used for getting the votes of poor people. Some people are prevented to use their right by frightening. What steps are being taken to stop such malpractices?

श्री गोविन्द मेनन : रिश्वत देना एक कुप्रथा है और चुनाव सम्बन्धी कानून के अन्तर्गत यह अवैध है । इसके सिद्ध हो जाने पर चुनाव रद्द घोषित किया जा सकता है । इसी प्रकार लोगों को मत देने से रोकने का मामला राज्य सरकारों और पुलिस के क्षेत्राधिकार में आता है । इस बारे में भी रचनात्मक सुझावों का मैं स्वागत करता हूं ।

Shri Sheo Narain: I want to know:

(a) whether Government is prepared for issuing identity cards to the voters;

(b) steps being taken to ensure that voters are not prevented from voting; and

(c) whether rejection of large number of nominations in Jammu and Kashmir was legal or not?

श्री गोविन्द मेनन : यह शिकायत कुछ स्थानों से प्राप्त हुई है कि बड़ी संख्या में कुछ वर्गों के मतदाताओं को अपने मत के अधिकार से वंचित किया है । यह बड़े पैमाने पर नहीं होता । लोगों में अब जागृति है और वे अपने अधिकारों को समझते हैं । इस सम्बन्ध में चुनाव के विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है । दूसरे इस बारे में केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती ।

पहचान पत्रक जारी किये जाने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता । यह बहुत बड़ा काम होगा ।

Shri Balraj Madhok: I want to know whether his attention has been drawn to the reported statement of Shri Ashok Mehta in which he has stated that we should have presidential form

of Government in place of Parliamentary form of Government in states, so that fragmentations of parties could be avoided; if so, what is his reaction, and secondly, whether any qualification would be prescribed for persons contesting elections?

श्री गोविन्द मेनन : मैंने वह वक्तव्य पढ़ा है। इस समय इस प्रश्न पर विचार नहीं किया जा सकता।

Shri Mohammed Ismail: I am saying this from personal experience that in regard to postal votes, we are not allowed to approach voters of police. The officers intervene in the matter and everything is done under their influence. Is any change contemplated in this matter?

श्री गोविन्द मेनन : डाक द्वारा मत बहुत कम संख्या में भेजे जाते हैं। मतदाताओं तक जाने के बारे में कानून में कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

Shri Shri Chand Goel: I want to know what steps are being taken against the criminal intimidation of voters? It has come to the notice of High Courts that the contesting candidates spend huge sums of money in the name of their near relations or friends. May I know whether some amendment would be made in the law to check this malpractice?

श्री गोविन्द मेनन : यदि ऐसी बात हुई है तो इसके विरुद्ध याचिका दायर की जा सकती है।

Shri Shiv Charan Lal: I want to know whether any restriction would put on the use of Government vehicles?

श्री गोविन्द मेनन : सरकारी गाड़ियों का चुनाव में प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह कानून के अन्तर्गत अवैध है।

Shri Ramavtar Shastri :**

अध्यक्ष महोदय : किसी को भी दूसरी बार प्रश्न पूछने का अवसर नहीं मिलेगा।

प्रश्नों के लिखित उत्तर
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

हरियाना में मध्यावधि निर्वाचन

*755. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री सूपकार :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाना में मध्यावधि निर्वाचन कराने की व्यवस्था कर ली गई है;

(ख) यदि नहीं, तो यह व्यवस्था कब तक पूरी कर ली जाने की सम्भावना है; और

* * कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

** Not recorded.

(ग) निर्वाचन कब कराए जा सकने की सम्भावना है ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). निर्वाचन आयोग ने राज्य के सभी 81 सभा-निर्वाचन-क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए प्रबन्ध कर लिए हैं जिसके लिए अर्हकारी तारीख 1 जनवरी, 1968 है और जिसका अनन्तिम कार्यक्रम इस प्रकार है :

(1) नामावलियों का प्रारूप में प्रकाशन–3 जनवरी, 1968;

(2) दावों और आक्षेपों की प्राप्ति के लिए अन्तिम तारीख–17 फरवरी, 1968; और

(3) नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन–30 मार्च, 1968।

(ग) निर्वाचन मई, 1968 में किसी भी समय कराया जा सकता है।

सुपर बाजारों को घाटा

*756. **श्री गणेश घोष :** **श्री उमानाथ :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री विश्वनाथ मेनन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 28 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 323 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुपर बाजारों में हुए घाटे के क्या कारण हैं; और

(ख) इस घाटे को कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). अधिकांश सुपर बाजार अभी हाल ही में खोले गए हैं और उन्हें अपने को स्थिर करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल पाया है। हानि के दूसरे कारणों में में प्रारम्भिक प्रवर्तन सम्बन्धी व्यय, कुछ दशाओं में किराये का उच्च स्तर और इस प्रकार के बड़े पैमाने के उद्यमों के प्रबन्ध में अनुभवहीनता शामिल हैं। जो कदम उठाए जा रहे हैं, उनमें कर्मचारियों का नवीन व्यवस्थाकरण, व्यापार कुशलता के मानक तैयार करना और उपभोज्य वस्तुओं की सप्लाई सीधे विनिर्माताओं से कराने का प्रबन्ध शामिल हैं।

बीड़ी और सिगार बनाने के कारखानों में कर्मचारियों को न्यूनतम मजूरी

*757. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री प० गोपालन : **श्री चक्रपाणि :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीड़ी और सिगार बनाने के कारखानों में कर्मचारियों की

न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आधार पर कोई कानून लाने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कुछ राज्यों में बड़ी संख्या में बीड़ी और सिगार बनाने के कारखाने बन्द हो गये हैं जिससे कर्मचारी बेरोजगार हो गये हैं; और

(ग) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से परामर्श किया है और यदि हां, तो इस विषय में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) यद्यपि बीड़ी और सिगार श्रमिकों की न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिए राष्ट्रीय आधार पर कानून बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु बीड़ी और सिगार श्रमिकों की निर्धारित न्यूनतम मजूरियों में असमानता दूर करने के लिए यह मामला संबंधित राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों से उठाया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए संबंधित राज्य सरकारों के राज्य श्रम मंत्रियों की एक बैठक 29 दिसम्बर को बुलाई गई है।

(ख) और (ग). यद्यपि भारत सरकार के पास विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि यह मामला राज्य सरकारों से संबंधित है, लेकिन इन श्रमिकों की मजूरियों में असमानता के कारण होने वाली बेरोजगारी के प्रश्न पर भी 29 दिसम्बर को राज्य श्रम मंत्रियों की बैठक में विचार किया जायेगा।

अनाज की फसलों की खेती में सुधार

*758. **श्री समर गुह : क्या खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के कृषि फार्मों में धान, गेहूं तथा अन्य अनाज की फसलों की उन्नत खेती के संबंध में क्षेत्र-परीक्षण किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परीक्षणों का क्या परिणाम निकला है;

(ग) क्या अनाज का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से कार्यवाही करने के हेतु सरकार ने फार्मों द्वारा प्राप्त परिणाम के आधार पर किसानों को सहायता देने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां। ये परीक्षण समस्त देश के विभिन्न कृषि-जलवायु तथा भूमि क्षेत्रों में आदर्श सस्य विज्ञान परीक्षणों के अन्तर्गत तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसन्धान परियोजनाओं के अन्तर्गत चावल, गेहूं, मकई तथा मोटे अनाजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के सम्बन्ध में शुरू किए गए हैं। इनमें से कुछ परीक्षण किसानों के खेतों पर सुगम उर्वरक परीक्षण सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत भी किए गए हैं।

(ख) इन परीक्षणों के परिणामस्वरूप बुवाई, उर्वरक प्रयोग, सिंचाई की मात्रा, बुवाई की गहराई का ठीक समय, प्रति यूनिट क्षेत्र के हिसाब से पौदों का अनुकूलतम घनत्व तथा रासायनिक निराई नियंत्रण की दृष्टिकोण से इन फसलों की उन्नत खेती के सम्बन्ध में व्यवहारिक रूप से बहुत लाभदायक जानकारी प्राप्त की गई है ।

(ग) और (घ). सरकारी फार्मों, अनुसन्धान संस्थान और राष्ट्रीय प्रदर्शनों पर खाद्यान्नों की अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती में प्राप्त परिणामों के आधार पर सरकार ने खाद्य फसलों की उपज बढ़ाने के लिए अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम बनाया है और चलाया है । अनुसन्धान संस्थानों, सरकारी फार्मों तथा राष्ट्रीय प्रदर्शनों पर हुए परीक्षणों पर प्रति वर्ष पुनर्विचार किया जाता है और अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए पैकेज आफ प्रैक्टिसिज के रूप में मार्ग दर्शन पद्धति प्रति वर्ष बनाई जाती है और राज्यों को परिचालित की जाती है। स्थानीय परीक्षणों तथा अनुभवों के दित्ता के आधार पर राज्य संशोधित करके स्थानीय सिफारिश को अन्तिम रूप देते हैं । इस प्रकार अधिक उपज देने वाली किस्मों का कार्यक्रम और सिफारिशों के पैकेजिज जो समय-समय पर बनाए जाते हैं फार्मों, अनुसन्धान केन्द्रों और किसानों के खेतों पर किए गए परीक्षणों के परिणामस्वरूप हैं ।

एपीजे शिपिंग कम्पनी के मामले में जांच

*759. **श्री मधु लिमये :**

श्री कामेश्वर सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य विभाग का ध्यान लोकलेखा समिति (तीसरी लोक सभा) के पचासवें प्रतिवेदन तथा गत वर्ष अगस्त में पचपनवें प्रतिवेदन पर चर्चा के समय, तत्कालीन लोक लेखा समिति के सभापति के भाषण और विशेषकर उनकी इस टिप्पणी की ओर दिलाया गया है कि अमींचंद प्यारेलाल सार्थ समूह को काली सूची में रखे जाने के बावजूद तथा इस्पात मंत्रियों तथा इस्पात सचिवों के बदल जाने पर भी उस सार्थ समूह का कारोबार बढ़ रहा है;

(ख) लोक लेखा समिति तथा उसके सभापति द्वारा व्यक्त किये गये इन विचारों को ध्यान में रखते हुए क्या खाद्य विभाग ने 1962 से 1967 तक पिछले पांच वर्षों में एपीजे के मामले की जांच का कोई आदेश दिया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

राज्यों में चावल तथा धान के वसूली मूल्य

*760. **श्री सूपकार :**
श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कमी वाले कुछ राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से धान और चावल के वसूली मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा आसाम में चावल और धान के वसूली मूल्यों में कितना अन्तर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, हां ।

(ख) धान के मूल्य निश्चित करते समय राज्यों को सलाह दी गई थी कि वे धान के मूल्यों के आधार पर चावल के मूल्य निश्चित करें। चावल और धान के समाहार मूल्यों में अन्तर इस प्रकार है :

राज्य	चावल का समाहार मूल्य	धान का समाहार मूल्य
पश्चिम बंगाल	93.75	56.25
बिहार	विचाराधीन है	56.25
उड़ीसा	,,	48.00
आसाम	,,	56.25

Intensive Cultivation Schemes

*761. **Shri Maharaj Singh Bharati :**
Shri A. B. Vajpayee :
Shri Yogeshwar Yadav :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the States and regions in India where intensive cultivation scheme, intended for helping the under-developed countries through F. A. O. has been introduced and progress made in respect of providing irrigation, fertilizers, pesticides and seeds ;

(b) the regions in which Government propose to extend the said scheme ; and

(c) the other steps Government propose to take in regard to these intensive cultivation schemes on a wider scale?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Cmmunity Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No intensive cultivation scheme has been received from the F.A.O.

(b) and (c). Do not arise.

केरल और पश्चिम बंगाल में अनाज की स्थिति

*762. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल और केरल में अनाज की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन दोनों राज्यों की अनाज की मांग पूरी हो गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है कि राज्यों में कानूनी राशन व्यवस्था समाप्त न हो ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). पश्चिम बंगाल और केरल की खाद्य स्थिति में अभी तक कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। पश्चिम बंगाल में आन्तरिक समाहार अगले महीने ही गति पकड़ेगा और केरल में चावल की पूर्ति को बढ़ाना अभी तक केन्द्रीय सरकार के लिये संभव नहीं हो सका है। कोई से भी राज्य में राशन व्यवस्था के अस्त-व्यस्त होने की आशंका नहीं है क्योंकि चावल की कमी को पूरा करने के लिये गेहूं की पर्याप्त मात्रा भेजी जा रही है।

कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राजकीय बीमा योजना का मिलाया जाना

*763. **डा० रानेन सेन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड ने कर्मचारी राजकीय बीमा योजना को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में मिला दिये जाने के लिए सरकार से तुरन्त कार्यवाही करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड ने ऐसी कोई विशेष सिफारिश नहीं की है जिसमें कर्मचारी राज्य बीमा योजना को कर्मचारी भविष्य निधि योजना में मिलाने के लिए सरकार से शीघ्र कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है। यद्यपि उसने यह वांछनीय और व्यावहारिक बताया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रमिकों के झगड़े

*764. **श्री श्रीचंद गोयल** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां श्रमिकों के झगड़े बहुत अधिक होते हैं और जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन पर अत्यधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) क्या सरकार ने श्रमिकों के झगड़ों के कारणों का पता लगाया है ; और

(ग) यदि हां, तो इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जनवरी से सितम्बर, 1967 की समयावधि के दौरान नष्ट हुए श्रम दिनों की संख्या को लें, तो पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार राज्यों में उत्पादन की बहुत हानि हुई है ।

(ख) देश में वस्तुओं की कमी, बढ़ते मूल्यों और आर्थिक कठिनाइयों से उत्पन्न परेशानियां मुख्यत: औद्योगिक अशांति के कारण हैं । अधिकांश श्रम दिन मजूरी, भत्तों और बोनस सम्बन्धी विवादों के कारण नष्ट हुए ।

(ग) केन्द्रीय और राज्य सरकारें श्रमिकों की मजूरियों व उपलब्धियों में सुधार करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनकी वैध मजूरी बिना किसी देरी के उन्हें अदा की जाय और मनमानी तथा अन्यायपूर्ण बर्खास्तगी या पदच्युति से उन्हें सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रयत्न कर रही हैं । औद्योगिक विवादों की समझौता व न्याय-निर्णयन की मशीनरी को भी, जहां कहीं आवश्यक है, सुदृढ़ बनाया जा रहा है ।

अमरीका द्वारा अनाज की सप्लाई

*765. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आगामी वर्ष में भारत को गेहूं और माइलो की सप्लाई के लिये अमरीका के साथ कोई करार हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस करार के अन्तर्गत अमरीका से कितना गेहूं और माइलो प्राप्त होने की आशा है तथा 1968 में पूरे वर्ष में कितना गेहूं और माइलो मिलने की आशा है ; और

(ग) इसमें से गेहूं और माइलों की कितनी मात्रा का रक्षित भण्डार बनाने के लिये उपयोग किया जाएगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से 1968 के दौरान खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये बातचीत अभी चालू है । आशा है अगले करार के अन्तर्गत वर्ष के प्रथम छ: महीनों में 35 लाख टन खाद्यान्न उपलब्ध होगा ।

(ग) सरकार 31 अक्तूबर, 1968 तक 30 लाख टन का रक्षित भण्डार बनाना चाहती है । अभी यह बताना कठिन है कि प्रस्तावित करार के अन्तर्गत प्राप्त कितनी मात्रा रक्षित भण्डार में दी जायेगी ।

ज्वार के समर्थन मूल्य

*766. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1968-69 में बाजार में आने वाली ज्वार की फसल के 1967-68 के लिए ज्वार के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में वृद्धि करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी वृद्धि करने का निर्णय किया गया है; और

(ग) इस वृद्धि का सामान्य मूल्य स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). पिछली फसल के लिये निश्चित किये गये मूल्य के मुकाबिले 1967-68 में जवार के निकटतम मूल्य में 4 रु० की वृद्धि की गई है ।

(ग) किसी प्रभाव की आशा नहीं है क्योंकि समाहार मूल्य तथा विपणन मूल्य निम्नतम समर्थन मूल्य से अधिक हैं ।

बागानों की भूमि की सीमा

*767. **श्री शिवचन्द्र झा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बागानों की भूमि की कोई सीमा निर्धारित की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उसे चाय, काफी और रबड़ के बागानों के मामलों में कहां तक लागू किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2062/67]

ऊंचे वसूली मूल्य

*768. **श्री चरणजीत राय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के नये वसूली मूल्यों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को इस समय के मूल्यों की अपेक्षा अधिक मूल्य देने पड़ेंगे; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जैसा कि खाद्यान्नों के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति से विदित है, नये समाहार मूल्यों से उपभोक्ता मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं होगी ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

खाद्य पदार्थों को ले जाने पर नियंत्रण

*769. **श्री श० ना० माइती :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में खाद्य पदार्थ ले जाने पर प्रतिबन्ध होने के बावजूद, अवैध रूप से खाद्य पदार्थ ले जाने में वृद्धि हो रही है और खाद्य पदार्थों के मूल्य बढ़ गये हैं और उन्हें रोका नहीं जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो अवैध रूप से खाद्य पदार्थों के ले जाने को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) चालू वर्ष में सितम्बर के अन्त तक पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की अपेक्षा खाद्य पदार्थों के तस्कर व्यापार के कुल मामलों में कुछ वृद्धि हुई है। यद्यपि 1966 और 1967 के दौरान खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई, इस वर्ष मूल्यों की कमी होनी शुरू हो गई है।

(ख) अधिक संख्या में पकड़े गये मामलों का कारण राज्य सरकारों द्वारा अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में बर्ती गई अधिक सतर्कता है। तस्कर व्यापार को रोकने के लिये अधिकांश राज्यों में ऐसा यही क्षेत्र है जिसमें आना-जाना बर्जित है। खाद्यान्न का गैर-सरकारी व्यापार पर्मिट के बिना नहीं हो सकता है। अधिकांश राज्यों में निरीक्षण चौकियां भी हैं।

लगान हटाया जाना

*770. **श्री जनार्दनन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उन राज्यों को, जिन्होंने लगान हटा दिया है, कहा है कि वे अपनी 1968-69 की योजनाओं के लिए कृषि से आय बढ़ाने के अन्य तरीकों पर विचार करें;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग के प्रस्ताव पर राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने इस दिशा में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

फिल्म उद्योग के कर्मचारी

*771. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म उद्योग के कर्मचारियों की मजूरी तथा सेवा की शर्तों को

नियमित करने के लिए सरकार का विचार एक विशेष कानून बनाने का है; और यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार को यह पता है कि फिल्म कर्मचारी को, देश में, इसी तरह के अन्य मजदूरों की तुलना में अधिक वेतन तथा सुविधायें मिलती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित कानून को पेश करने के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) फिल्म उद्योग में श्रमिकों की सेवा-शर्तों को विनियमित करने के लिए कानून बनाने सम्बन्धी योजना तैयार करने का एक प्रस्ताव कुछ समय से सरकार के विचाराधीन है। इस समय इस मामले पर स्थायी श्रम समिति की सिफारिश पर स्थापित एक त्रि-पक्षीय उप-समिति विचार कर रही है। चूंकि यह योजना अभी तक अंतिम रूप से तैयार नहीं हुई है, प्रश्न के अंतिम भाग के जवाब का सवाल नहीं उठता।

(ख) जी नहीं। फिल्म के प्रसिद्ध अभिनेताओं को तो बहुत अधिक धन मिलता है, लेकिन यह सूचित किया गया है कि फिल्म उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों यानी फिल्म निर्माण, वितरण और प्रदर्शन में मजूरी बहुत कम है और काम करने वाले व्यक्तियों का शोषण किया जा रहा है।

(ग) कानून की प्रस्तावित योजना काम करने वालों का शोषण रोकने और उनके लिए उपयुक्त कार्य करने की दशाओं की व्यवस्था करने के बारे में है।

लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिये दिये गये ऋणों की राशि का दुरुपयोग

*772. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग तथा केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत तथा खाद्य और कृषि मंत्रालयों के एक मूल्यांकन दल द्वारा उत्तर भारत में लघु सिंचाई परियोजनाओं के बारे में किये गये एक सर्वेक्षण से पता चला है कि इस क्षेत्र में कुछ राज्यों में रिसने वाले कुएं खोदने तथा रहट लगाने के लिये दिये गये लघु सिंचाई ऋणों की राशि का सामान्य रूप से दुरुपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप किन-किन अनियमितताओं का पता लगा है ;

(ग) क्या देश के अन्य भागों में भी इसी प्रकार के सर्वेक्षण किये जा रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष के कार्यक्रम का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). प्रश्न में जिस दल का जिक्र किया गया है उस प्रकार का कोई मूल्यांकन दल नहीं बनाया गया। विभिन्न राज्यों में सिंचाई कार्यों की सम्भाव्यता तथा प्रदर्शन का अनुमान लगाने के लिए समय-समय पर निसन्देह अध्ययन किए गए हैं, किन्तु किसी विशेष

राज्य में या किसी विशेष किस्म की योजनाओं पर ऋणों की उचित उपयोगिता के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार ही देखती है ।

(ग) और (घ). गैर-सरकारी लघु सिंचाई कार्यों के लिए स्वीकृत किये गये ऋणों के दुरुपयोग के सम्बन्ध में सर्वेक्षण करने का कोई कार्यक्रम नहीं है ।

Mixing of Powder with Wheat Before Storage

*773. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that powder is mixed in wheat while storing it in the godowns to protect it from the insects and this very wheat is supplied at the Ration Shops ;

(b) whether powder-mixed wheat is converted into atta also by the flour mills and this flour is then supplied to the consumers ; and

(c) whether this wheat and atta are injurious to the health of the consumers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

एक राज्य से दूसरे राज्य में मक्का ले जाना

*774. **श्री बूटा सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मक्का को हरियाना से बाहर ले जाने के लिए परमिट जारी किये जाने के सम्बन्ध में हरियाना सरकार के निर्णय पर हाल में आपत्ति की है;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हरियाना सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह सच है कि हरियाना सरकार अब भी मक्का को हरियाना से बाहर भेजने के परमिट जारी कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) मोटे अनाज की निकासी पर प्रतिबन्ध हटाने के हरियाना सरकार के प्रस्ताव से केन्द्र सहमत नहीं हुआ था ।

(ख) हरियाना सरकार से कोई और पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) जी नहीं ।

खाद्यान्नों का मूल्य स्तर

*775. **श्री गा० शं० मिश्र**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाजार में नई फसल के आ जाने से मूल्यों के कम होने की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए देश में खाद्यान्नों का मूल्य स्तर बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) विभिन्न राज्यों में विभिन्न खाद्यान्नों का क्या-क्या मूल्य निश्चित किया गया है तथा कृषि के उत्पादन में लगी पूंजी पर कितने प्रतिशत लाभ लेने की अनुमति दी जाती है ; और

(ग) सरकार के प्रयत्नों के बावजूद खाद्यान्नों के मूल्य गिर जाने से किसानों को होने वाली हानि को पूरा करने के लिये क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) उत्पादकों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से फसल की बुवाई से पहले ही निम्नतम समर्थन मूल्य घोषित कर दिये गये थे। राज्य सरकारें अब समर्थन मूल्य से काफी अधिक पर समाहार कर रही हैं जब सरकार को मूल्यों में कमी की सूचनाएं प्राप्त हुईं तो राज्य सरकारों और खाद्यान्न निगम को कहा गया कि वे समाहार मूल्यों पर जो भी मात्रा आती है उसे खरीद लें।

(ख) खरीफ के खाद्यान्न का 1967-68 के लिये समाहार मूल्य बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2063/67**] समाहार मूल्य निश्चित करते समय उत्पादक को प्रोत्साहन देने की बात को ध्यान में रखा गया है। तथापि खेती के सम्बन्ध में उपलब्ध सीमित आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए यह बताना सम्भव नहीं है कि कृषि उत्पादन में विनियोजन पर कितने प्रतिशत लाभ होता है।

(ग) भाग (क) के उत्तर में दिये गये उपायों को ध्यान में रखते हुए यह स्थिति उत्पन्न नहीं होगी।

गन्ने की खेती

*776. **श्री म० सुदर्शनम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी फसल की अवधि में गन्ने की कितनी पैदावार होने का अनुमान है;

(ख) क्या ऐसा उत्पादन बढ़ जाने के कारण है अथवा अधिक भूमि में खेती करने के कारण; और

(ग) अधिक चीनी देने वाले गन्ने का उत्पादन करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). 1967-68 के दौरान गन्ने के क्षेत्र में प्रारम्भिक अनुमान ही अब तक उपलब्ध हो सके हैं। गन्ने के क्षेत्र में 15 प्रतिशत की कमी हुई है जिसका मुख्य कारण खराब मौसम और खाद्यान्न का अधिक भूमि में बोया जाना है।

(ग) गन्ना प्रजनन संस्थान कोम्बेटुर द्वारा विभिन्न स्थानों के लिये उपयुक्त किस्में तैयार की गई हैं और बिक्री के लिये दी गई हैं। नई किस्मों के विकास के लिये अनुसंधान जारी है।

Sale of Sugar in the Open Market

*777. **Shri Ramavtar Shastri**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether some of the State Governments have opposed the policy of the Central Government removing control on sugar by allowing its free sale in the open market;

(b) if so, the names of States which have opposed; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). Most of the State Governments were in favour of complete decontrol of sugar.

(c) The Government decided in favour of partial decontrol in order to assure the supply of some sugar at controlled price for domestic consumption and to enable factories to pay higher price for sugar-cane.

हरियाना से पश्चिम बंगाल को भेजे गये अनाज का जब्त किया जाना

*778. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 14 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 34 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना से पश्चिम बंगाल को अनाज हरियाना सरकार के आदेशों के अनुसरण में भेजा गया था और कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल में व्यापारियों को अनाज देने की अनुमति न देने तथा बाद में उस अनाज को जब्त करने के आदेश देने की केन्द्रीय सरकार की कार्यवाही अनौचित्यपूर्ण है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में हरियाना सरकार और व्यापारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) जी नहीं । अत्यावश्यक वस्तुएं अधिनियम के अन्तर्गत एक केन्द्रीय आदेश द्वारा हरियाना से बिना वैध परमिट के मकई का बाहर ले जाना प्रतिबन्धित है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) हरियाना सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है । हां, व्यापारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । हरियाना से पश्चिम बंगाल को मोटे अनाज के ले जाये जाने से सम्बन्धित मामलों की जांच की जा रही है । दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ लेख याचिकाएं भी विचाराधीन हैं ।

पुनर्वास विभाग में छंटनी

*779. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 नवम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1253 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के पुनः संस्थापन संगठन में जिन कर्मचारियों को फालतू घोषित किया गया था, क्या उन्हें अपने नये विभागों में पदोन्नति/स्थायीकरण के मामले में वरीयता के लिये उनकी पिछली सेवा का लाभ दिया जायेगा ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा०रा० चव्हाण) : (क) जी नहीं ।

(ख) ऐसे मामलों में लागू वर्तमान सिद्धान्तों के अनुसार एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानान्तरित किये गये उम्मीदवारों की वरिष्ठता उनके नये विभाग में पहुंचने की तारीख से गिनी जाती है ।

उपभोक्ता सहकारी भंडार

*780. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को सलाह दी है कि वे अत्यावश्यक वस्तुएं प्राप्त करने के लिये थोक व्यापारियों से सम्पर्क स्थापित करें; और

(ख) यदि हां, तो सहकारी भण्डारों के लिए सामान की व्यवस्था करने के बारे में नीति में यह परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दालों के दामों में वृद्धि

4799. **श्री कृ०मा० कौशिक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 'तूर' और 'बंगालग्राम' जैसी दालों के दाम 3 रुपये से बढ़कर 4 रुपये प्रति किलो हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या दालों के मूल्यों में वृद्धि होने के लिये क्षेत्रीय प्रतिबन्ध जिम्मेदार हैं ; और

(ग) दालों को ले जाने पर क्षेत्रीय प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं जबकि सरकार स्वयं दालें वसूल नहीं कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) यह सही नहीं है कि 'तूर' और 'बंगालग्राम' की दालों के मूल्य 3 से 4 रुपये प्रति किलो बढ़ गये हैं।

(ख) बंगालग्राम के अतिरिक्त अन्य दालों के लाने-ले जाने पर कोई क्षेत्रीय प्रतिबन्ध नहीं हैं। बंगालग्राम के मूल्यों में वृद्धि मुख्यत: अपर्याप्त वर्षा के कारण इसके उत्पादन में भारी कमी हो जाने के फलस्वरूप हुई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

महाराष्ट्र में नलकूप लगाना

4800. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने 1967-68 में राज्य में नलकूप लगाने के लिये ऋण मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा मांगे गये ऋण का स्वरूप क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने 1967-68 की अवधि में नलकूप लगाने के लिए किसी ऋण की सहायता नहीं मांगी है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

Unemployment Among Agricultural Labourers

4801. **Shri Deorao Patil** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether Government have considered the situation in regard to the increasing unemployment among agricultural labour and the consequent backwardness ; and

(b) whether Government have formulated any scheme recently for assistance to them and for their welfare and increased employment opportunity ; and

(c) if so, the details thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) and (c). A number of measures to increase the agricultural production and employment in the rural areas and for the welfare of agricultural labourers have been initiated. These include progarmmes of minor irrigation, soil conservation, multiple cropping, use of improved seeds of high yielding variety, provisions of fertilizers and plant protection, schemes for rural roads, warehousing, rural industrialisation etc. and welfare measures such as the village housing project schemes and resettlement of landless agricultural labour. In addition, there are rural works programme which provide work to agricultural labour during the slack agricultural season.

The Ministry of Labour and Employment had also organised an All India Seminar on Agricultural Labour in 1965 which made several important recommendations concerning unemployment, under-employment, wages, welfare, etc. All the recommendations of this Seminar have been brought to the notice of the State Governments and Central Ministries for necessary action.

दण्डकारण्य परियोजना

4802. **श्री श्रीनिवास मिश्र:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दण्डकारण्य परियोजना में इस समय श्रेणी तीन और श्रेणी चार के कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी अन्य विभागों से प्रतिनियुक्ति पर आये हुए हैं;

(ग) 1 जुलाई, 1967 से अब तक इन श्रेणियों के कर्मचारियों में से कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है और उनमें से कितने व्यक्तियों को वैकल्पिक रोजगार दिया गया है; और

(घ) क्या श्रेणी चार के कर्मचारियों की न्यूनतम मजूरी के बारे में दूसरे वेतन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को दण्डकारण्य परियोजना में क्रियान्वित किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी प्राप्त की जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

Distribution of Fertilizers

4803. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the various agencies licensed by the Central Government for distributing fertilizers to the consumers ; and

(b) the quantity of fertilizers annually distributed by these agencies?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) The Central Government do not license agencies for distributing fertilisers to the consumers. This is done by the State Governments.

(b) Does not arise.

Distribution of Tractors and Pumping Sets

4804. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the various agencies licensed by the Central Government for distributing tractors and pumping sets ; and

(b) the number of tractors and pumping sets annually distributed by these Agencies ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) (a) and (b) : There is no licensing for distribution of tractors and pump sets. In regard to tractors, manufacture is licensed and the manufacturers have their own distribution arrangements. In respect of tractors imported from abroad, these imports have lately been confined to the U. S. S. R. and Czechoslovakia. For Soviet tractors, the S. T. C. used to execute agreements with 4 agents who undertook distribution in the northern, western, eastern and southern regions of the country. Recently the import of 2000 Zetor-2011 tractors from Czechoslovakia has been arranged and the distribution has been entrusted to the Agro-Industries Corporations of Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar. Entrusting the distribution of Soviet tractors to Agro-Industries Corporations is under consideration.

In regard to pump sets the manufacturers have their own distribution arrangements.

गुजरात को चावल की सप्लाई

4805. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून से अक्तूबर, 1966 तक के महीनों में गुजरात को कितना चावल दिया गया;

(ख) 1967 के इन्हीं महीनों में गुजरात को कुल कितना चावल और कुल कितना गेहूं दिया गया; और

(ग) नवम्बर, 1967 में गुजरात को कितना चावल दिया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) लगभग 24 हजार टन ।

(ख) लगभग 228 हजार टन ।

(ग) 2,000 टन ।

गुजरात के लिये चीनी का नियतन

4806. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के लिये जून, 1967 से अक्तूबर, 1967 तक अवधि में महीनेवार चीनी का कितना कोटा नियत किया गया; और

(ख) उक्त अवधि में गुजरात सरकार ने कितनी चीनी मांगी थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) 15,876 टन प्रतिमास ।

(ख) 19,000 टन प्रतिमास ।

अनाज की आवश्यकता

4807. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में विभिन्न राज्यों में राज्य-वार विभिन्न प्रकार के कुल कितने अनाज की आवश्यकता थी;

(ख) प्रत्येक राज्य में वास्तव में विभिन्न प्रकार का कुल कितना अनाज प्रति वर्ष उगाया जाता है;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा अथवा अन्य राज्य सरकारों द्वारा सीधे कमी वाले राज्यों को विभिन्न प्रकार का कितना-कितना अनाज दिया जाता है;

(घ) खाद्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिये विभिन्न राज्यों द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और प्रत्येक राज्य को इसमें कितनी सफलता मिली है; और

(ङ) प्रत्येक राज्य में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के रास्ते में क्या-क्या बाधायें हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) सरकारी प्रणाली से वितरित किये गये खाद्यान्न की मात्रा संलग्न विवरण में दी गई है। (अनुबन्ध-एक) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2064/67**] उचित मूल्य वाली दूकानों से अनाज लेने वाले कुछ व्यक्तियों ने भी खुले बाजार से अपनी आवश्यकता का अनाज खरीदा था। शेष जनसंख्या ने सारा अनाज खुले बाजार से खरीदा। खुले बाजार से खरीदी गई मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) खाद्यान्न का उत्पादन भिन्न-भिन्न वर्षों में भिन्न-भिन्न होता है। 1964-65, 1965-66 और 1966-67 में प्रत्येक राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन बताने वाला एक विवरण संलग्न है। (अनुबन्ध-दो) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2064/67**]

(ग) केन्द्रीय पूल से विभिन्न राज्यों को वर्षानुवर्ष दी गई मात्रा भी भिन्न करती है। केन्द्रीय पूल से दी गई मात्रा बताने वाला एक विवरण संलग्न है (अनुबन्ध-तीन) राज्य के स्तर पर या व्यापारिक स्तर पर भेजी गई खाद्यान्न की मात्रा के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). कुछ राज्यों में व्यापारिक फसलों के लिये हालतें अधिक अनुकूल हैं, अतः उनके स्थान पर खाद्यान्न का उत्पादन करना अच्छा न होगा। प्रत्येक राज्य के लिये खाद्यान्न के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करना वांछनीय भी नहीं है। तथा देश में समूचे तौर पर खाद्यान का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

Cost of Agricultural Production

4808. **Shri Deorao Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of States which have a machinery for investigations in respect of the cost of agricultural production ;

(b) whether a cost index has been prepared on the pattern of living index in these States ; and

(c) whether the Prices Commission has made any suggestion for working out the cost of agricultural produce ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). Generally, no regular machinery exists in different States for conducting investigations in respect of the cost of agricultural production on a continuous basis. However, Farm Management Investigations and cost of cultivation enquiries carried out, on **ad hoc** basis, in selected areas provide some data on cost of production of some crops.

In its Report on Price Policy for Kharif cereals for 1965-66 season, the Agricultural Prices Commission observed that there were many gaps in the available farm cost data and that it was essential that immediate steps were taken to collect reliable and comprehensive cost data, so that scientific guidance for determining the minimum prices became available as quickly as possible. In February 1967, the Ministry set up a Standing Technical Committee for the purpose of providing necessary guidance in organising the collection of data on indices of input costs and also in organising cost of production surveys on an integrated basis. Certain proposals made by the Committee for organising the collection of these data, are presently under consideration of the Government.

उल्हासनगर (महाराष्ट्र) में शरणार्थियों का पुनर्वास

4809. **श्री बाबू राव पटेल :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने महाराष्ट्र के उल्हासनगर में, शरणार्थियों के लिये मकानों तथा रोजगार की व्यवस्था करने तथा सड़कों, जल और जीवन की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये 1948 से 1966 तक कितनी धनराशि खर्च की ;

(ख) विभिन्न करों तथा उपकरों के रूप में उल्हासनगर में इन शरणार्थियों से उपरोक्त अवधि में कुल कितनी धनराशि वसूल की गई;

(ग) 1948 से लेकर अब तक कितने शरणार्थियों के लिये मकानों की तथा रोजगार की व्यवस्था की गई;

(घ) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आवास तथा रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम के 18 वर्ष के बाद भी उल्लासनगर में जीवन निर्वाह की स्थिति बहुत गन्दी और दयनीय है; और

(ङ) यदि हां, तो उल्हासनगर में स्थिति का सुधार करने के लिये सरकार का विचार क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

श्रम तथा रोजगार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : (क) और (ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस बस्ती के बसाने पर किया गया व्यय इस प्रकार है :

सम्पत्ति का अर्जन, वर्तमान इमारतों की मरम्मत और नई इमारतों का निर्माण	3,21,48,614 रु०
जल सम्बन्धी कार्य	35,48,169 रु०
सड़कें	22,23,301 रु०
कुल	3,79,20,084 रु०

नागरिक सुविधाओं पर किये गये व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :

नगर सेवाएं	37,85,238 रु०
सफाई	35,07,843 रु०
सार्वजनिक इमारतों की मरम्मत	11,82,000 रु०
कुल	84,75,081 रु०

पता लगा है कि 63,06,510 रु० करों और शुल्कों के रूप में वसूल किये गये थे। नगर सेवाओं पर किये गये व्यय और करों से हुई आमदनी के ऊपर दिये गये आंकड़ों में 1960 से 1963 के आंकड़े शामिल नहीं हैं क्योंकि उस अवधि का रिकार्ड एक आग दुर्घटना में जल गया था।

(ग) बस्ती की वर्तमान जनसंख्या 1.35 लाख है।

(घ) और (ङ) . बस्ती का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया था। चूंकि नगर सुविधाओं की व्यवस्था करना अब स्थानीय नगरपालिका का काम है, अतः यह फैसला करना उस निकाय का काम है कि क्या सुधार करना आवश्यक है और उनका वित्तपोषण किस तरह से होगा।

पटनागढ़ (उड़ीसा) में 50 लाइनों का स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

4810. **श्री रा० रा० सिंह देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार उड़ीसा में बोलनगीर जिले में पटनागढ़ में 50 लाइनों का एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र खोलने के मामले पर 1965 से विचार कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार को वर्ष 1965 में पटनागढ़ के लोगों की ओर से निजी टेलीफोन लगवाने के बारे में अपेक्षित संख्या में आवेदन-पत्र प्राप्त हो गये थे और उसी वर्ष पटनागढ़ में 50 लाइनों का एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिये एक संयुक्त याचिका भी सरकार को मिली थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस मामले में कब तक अन्तिम निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). 50 लाइन का एक्सचेंज खोलने के लिए आवश्यक प्राक्कलन को मंजूरी दी जा रही है ।

गुजरात में सुपर बाजार

4811. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में कोई सुपर बाजार खोला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये उस राज्य को कितनी धनराशि दी गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) अब तक गुजरात राज्य में अहमदाबाद, बड़ौदा और सूरत में तीन बहु-विभागी भण्डार खोले गए हैं ।

(ख) इन तीन बहु-विभागी भण्डारों को वित्तीय सहायता देने के लिए गुजरात सरकार को 20.32 लाख रुपए की राशि ऋण के रूप में और 2.06 लाख रुपए की राशि अनुदान के रूप में मंजूर की गई है ।

निजामाबाद में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिये भवन

4812. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजामाबाद (आन्ध्र प्रदेश) में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज के लिए पक्का भवन बनाने में होने वाली विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) इस भवन को बनाने का प्रस्ताव इस समय किस स्थिति में है; और

(ग) निजामाबाद के वर्तमान टेलीफोन एक्सचेंज को कब स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज में बदल दिया जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). निजामाबाद में 600 लाइन का एक के० बै० मल्टीपिल एक्सचेंज है जिससे 30-9-67 को 470 कनेक्शन काम कर रहे थे । स्वचल एक्सचेंज की इमारत बनाने के लिए जमीन का एक प्लाट ले लिया गया है और इमारत के प्रारम्भिक नक्शों को मंजूरी दे दी गई है । कार्यकारी/विस्तृत नक्शे

तथा प्रारम्भिक प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं। इमारत का निर्माण 1969 तक प्रारम्भ हो जाने की आशा है।

(ग) निजामाबाद में 1200 लाइन का स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की स्वीकृति पहले ही दी जा चुकी है। स्वचल एक्सचेंज की इमारत तैयार हो जाने के बाद उपस्कर लगाने का काम हाथ में ले लिया जाएगा और स्वचल एक्सचेंज 1972 तक सेवार्थ चालू हो जाने की संभावना है।

किसाननगर (आन्ध्र प्रदेश) में टेलीफोन एक्सचेंज

4813. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में पोचमपद परियोजना के निकट किसाननगर में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने में हुई विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ख) वहां टेलीफोन एक्सचेंज कब स्थापित हो जायेगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) एक्सचेंज चालू करने में ट्रंक लाइन के लिए तांबे का तार प्राप्त होने की प्रतीक्षा है।

(ख) 1968 के मध्य तक।

आन्ध्र प्रदेश से मक्का का निर्यात

4815. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में आन्ध्र प्रदेश से अन्य राज्यों को कितना मक्का भेजा गया ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल ने अन्य राज्यों से राज्य-वार, कितना मक्का मंगवाया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्र द्वारा आन्ध्र प्रदेश से अन्य राज्यों को भेजे जाने वाले मक्का के सम्बन्ध में कोई मात्रा निर्धारित नहीं की गई। भारत सरकार को यह जानकारी नहीं है कि इन वर्षों के दौरान आन्ध्र प्रदेश से राज्य सरकार की आज्ञानुसार या व्यापार के आधीन मक्का भेजी गई है।

(ख) भारत सरकार ने 1965-66 के दौरान 5,000 टन और 1965-66 के दौरान 5,700 टन मक्का पंजाब से पश्चिमी बंगाल को भेजा। पश्चिमी बंगाल द्वारा ऐसे प्राप्त हुई या राज्य सरकार के आदेशानुसार या व्यापार द्वारा प्राप्त हुई मक्का के विषय में जानकारी भारत सरकार को नहीं है।

आसाम में संचार-व्यवस्था का विकास

4816. **श्री रूपनाथ ब्रह्म :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम की सामरिक महत्व की स्थिति तथा पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आसाम में संचार व्यवस्था का विकास करने के बारे में किसी विशेष कार्यक्रम को सरकार क्रियान्वित कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल): (क) जी हां ।

(ख) एक सूक्ष्मतरंग प्रणाली पहले से ही चालू है जो आसाम में जोरहाट, तेजपुर, गौहाटी तथा शिलांग को कलकत्ता और देश के शेष भागों से जोड़ती है । जोरहाट से डिब्रूगढ़ और तिनसुखिया तक सूक्ष्मतरंग सम्बन्ध का विस्तार करने का काम प्रगति पर है । हाथ में ली जाने वाली अन्य योजनाओं में निम्नलिखित मार्ग रखे जाएंगे :

1. जोरहाट-डीमापुर-कोहिमा-इम्फाल ।
2. शिलांग-सिल्चर-अगरतला ।
3. सिलचर-इम्फाल ।

Advancement of Loans at Village Primary Co-operatives' Level

4817. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the difficulties which Government are experiencing in advancing the short-term and long-term loans through one and the same agency at village primary co-operatives' level ; and

(b) whether Government propose to provide the facility of advancing both types of loans through one and the same agency ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy). (a) and (b) : The problems and procedures relating to supply of short-term credit and also the manner of raising the required resources are different from those pertaining to long-term credit. Consequently two separate structures—one for the supply of short-term credit and the other for the supply of long-term credit—exist. Further, the administrative, financial and technical responsibilities involved in the disbursement of long-term loans are beyond the capacity of the primary co-operative societies at the village level in the present stage of their development.

Registered District Co-operative Societies

4818. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States where there are no Registered District Co-operative Societies ; and

(b) the steps being taken to establish such societies in those States ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) and (b). Co-operatives are organised for various types of activities. It is not clear to which type of society the Hon. Member is referring to. However, in the co-operative credit sector district level societies, namely central co-operative banks, exist in all the States except Nagaland.

Deposits of the Co-operative Sector in L. I. C.

4819. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the difficulties which Government are facing in investing the amount of deposits of co-operative sector in the Life Insurance Corporation ; and

(b) whether State Governments have expressed their view in this respect and if so, the nature thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). The co-operative sector does not ordinarily have surplus funds for investment in deposits outside the sector. No difficulty in this regard has been brought to the notice of Government.

Development of Co-operative Activities

4820. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total amount earmarked by each State for the Department of Co-operation and for the development of co-operative activities during 1967-68 ; and

(b) the amount spent in each State on the Department of Co-operation so far ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House **[Placed in Library. See No. LT-2065/67].**

Procurement of Foodgrains

4821. **Shri Meetha Lal Meena :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains cropwise procured in 1966-67 by the Rajasthan Branch of the Food Corporation of India ;

(b) the rates at which these foodgrains were procured ;

(c) the quantity out of it supplied to the consumers and the quantity exported from Rajasthan and the places where exported ;

(d) the rate at which these were supplied to the consumers and that at which exported ; and

(e) the extent of loss or profit to the Food Corporation during the above period ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development, and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) A quantity of about 47.3 thousand tonnes of foodgrains were procured by the Rajasthan branch of the Food Corporation of India during the financial year 1966-67 out of which a quantity of about 25.8 thousand tonnes were from rabi crop and about 21.5 thousand tonnes from Khrif crop.

(b) The average purchase price per quintal of the Corporation of different foodgrains is as under:—

Wheat	..	Rs. 61.00	
Barley	..	Rs. 55.00	
Gram	..	Rs. 59.77	
Gramdal	..	Rs. 64.77	
Rice	..	Rs. 76.68*	*A small quantity of rice was purchased
Paddy	..	Rs. 102.77*	under levy while the paddy was
Jowar	..	Rs. 48.23	purchased in open market.
Maize	..	Rs. 46.20	
Bajra	..	Rs. 66.79	

(c) Except for the export of a quantity of about 13.5 thousand tonnes of gram/gramdal, the other grains were supplied for consumption within the State. The gram/gramdal was exported to Mysore, Gujarat, West Bengal, Madras, Delhi, H. P., Orissa, Bihar, Assam, Andhra Pradesh, J. and K., Kerala, Pondicherry and Maharashtra.

(d) The Food Corporation has fixed a uniform average selling rate from Rajasthan irrespective of the fact whether the grains are supplied to the nominees of the Rajasthan Government for consumption within the State or for export. The average selling prices per quintal by the Corporation of these grains are as under:—

Wheat	..	Rs. 72.00	
Barley	..	Rs. 60.44	
Gram	..	Rs. 71.82	
Gramdal	..	Rs. 74.86	
Rice (i)	..	Rs. 85.08	— For rice purchased under levy.
(ii)	..	Rs. 192.05	— For rice converted from paddy purchased in the open market.
Jowar	..	Rs. 51.70	
Maize	..	Rs. 52.78	
Bajra	..	Rs. 76.55	

The Corporation does not sell foodgrains in retail to consumers. The retail prices are fixed by the respective State Governments and are based on the cost of foodgrains received from all sources including internal purchases, if any, and also includes retailers margin.

(e) The Corporation has neither incurred any loss nor made any huge profit. The issue prices are fixed by the Corporation after taking into account the actual cost and over-head charges including a reasonable administrative charge.

Procurement of Paddy in Rajasthan

4822. **Shri Meetha Lal Meena**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that most of the paddy procured by the Food Corporation of India in Rajasthan in 1966-67 was got pounded into rice;

(b) if so, the place at which it was got pounded;

(c) the percentage of rice from this paddy;

(d) whether it is a fact that the quality of rice was very inferior and if so, the reasons therefor;

(e) the average rate at which this rice was sold and the places at which and the persons to whom sold;

(f) whether a dispute in regard to the quality and percentage of rice had arisen between the rice mill-owner and the Food Corporation of India;

(g) if so, the details thereof and how it had been resolved?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Hanumangarh, Gangapur City and Udaipur.

(c) The percentage of recovery of rice at Hanumangarh where the milling has been completed worked out to 66.85 from local variety and 68.50 from Taichung variety. Milling at Gangapur City and Udaipur has not been completed.

(d) No, Sir.

(e) Rice so milled was supplied to the nominees of the Rajasthan Government for sale through fair price shops at the average price of Rs. 200.49 per quintal in the month of July, 1967.

(f) and (g). Yes, Sir. The dispute is with reference to recovery and excess brokens and the same has not yet been resolved and the millers have stopped milling further quantity.

लंका से आये भारतीय राष्ट्रजनों का पुनर्वास

4823. **श्री किरुतिनन** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका से आये कितने भारतीय राष्ट्रजनों को मद्रास राज्य में मंडपम में बसाए जाने की सम्भावना है और उन्हें कब तक बसाया जायेगा ;

(ख) क्या सरकार ने इस कार्य के लिए कोई धनराशि नियत की है अथवा मंडपम में उनके लिये क्वार्टर बनाये हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन लोगों के पुनर्वास के लिये कोई उद्योग चालू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो ये उद्योग कहां चालू किए जायेंगे और कब तक ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). लंका से निकाले गये भारतीयों को मद्रास राज्य में मंडपम में बसाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। भारत और लंका समझौता, 1964 के अन्तर्गत आने वाले भारतीयों के लिए मंडपम में बन्द किए गये कैम्प को फिर से स्वागत कक्ष के रूप में खोलने का प्रस्ताव है। मंडपम कैम्प को फिर से खोलने के लिए मद्रास सरकार ने 9,09,500 रुपये की स्वीकृति दे दी है।

(ग) और (घ). उद्योगों और औद्योगिक संस्थान यूनिटों में नौकरी के लिए कुछ प्रशिक्षण की योजनाएं विचाराधीन हैं। इस समय यह बताना सम्भव नहीं कि ऐसे उद्योग कब प्रारम्भ हो रहे हैं। भारत सरकार ऐसे नये औद्योगिक यूनिटों को, जो बर्मा, लंका, मजाम्बिक्यू और केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित दूसरे देशों से आये विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी देंगे, आयकर में विशेष छूट देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है।

खाद्य क्षेत्र

4824. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि खाद्य क्षेत्रों से विभिन्न राज्यों में अनाज की सप्लाई और मूल्यों में असंतुलन उत्पन्न होगा ; और

(ख) इन क्षेत्रीय प्रतिबन्धों से विभिन्न राज्यों में अनाज की मांग तथा सप्लाई में असंतुलन पैदा न हो इसके लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). खाद्य क्षेत्रों की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि गैर-सरकारी व्यापार द्वारा अनाज का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने से असन्तुलन न हो। खाद्य क्षेत्रों की स्थापना से एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज के ले जाने पर नियंत्रण और उचित मूल्यों पर अनाज का समान वितरण हो सकेगा।

कोजही बांध

4825. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में भागलपुर जिले में कोजही बांध बनाने से सम्बन्धित प्रस्ताव मंजूरी के लिए केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इसकी मंजूरी दे दी गई है ; और

(ग) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में इसको आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

हावड़ा और रामकृष्णपुर के रेलवे शेडों में दालों का जमा हो जाना

4826. **श्री रमानी :** **श्री उमानाथ :**
श्री अनिरुधन : **श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :**
श्री वि० कु० मोडक :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और रामकृष्णपुर के रेलवे शैडों में दालों के जमा हो जाने के कारण दालों के भाव बढ़ गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इसके विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) यद्यपि कुछ दालों जैसे चने और मसूर के दाम गत तीन महीनों में बढ़े हैं, परन्तु कुछ दूसरी दालों जैसे मूंग, उरद के दामों में कमी हुई है। दालों के मूल्य में वृद्धि फसल पर निर्भर करती है क्योंकि इन दालों की फसल का मौसम नहीं है अतः इसलिए दाम बढ़े हैं ।

(ख) रेलवे प्राधिकारी भारतीय रेलवे अधिनियम के अन्तर्गत माल को हटाने के लिये आवश्यक कार्यवाही करते हैं। इसके साथ ही स्थिति में बहुत सुधार हुआ है और वहां अब माल जमा नहीं है। इस माल के जमाव को रोकने के लिए कानूनी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

अनाज लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध

4827. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटे अनाज, दालें, गेहूं और चावल को एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने ले जाने पर लगे प्रतिबन्धों सम्बन्धी केन्द्रीय सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस नीति में परिवर्तन करते समय किन बातों पर विचार किया गया है ;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने मोटे अनाज, दालों, गेहूं और चावल पर लगे क्षेत्रीय प्रतिबन्धों सम्बन्धी नीति का पालन करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) और (घ). मुख्य मंत्रियों के साथ सितम्बर, 1967 में हुए सम्मेलन में कुछ राज्यएकल राज्य क्षेत्रों को बनाये रखने के पक्ष में नहीं थे। उनका विचार था कि क्षेत्रों के बनाये जाने से अनाज की उपलब्धता और मूल्यों में अन्तरराज्यिक असमानता होगी।

Supply of Foodgrains For Madhya Pradesh

4828. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains demanded by the Government of Madhya Pradesh from the Centre during the months of August, September and October, 1967 ;

(b) the quantity of foodgrains supplied by the Centre to Madhya Pradesh during the above period ; and

(c) the reasons for the non-supply of central food assistance to Madhya Pradesh as per their demand ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) 60/65,000 tonnes per month.

(b) 126·4 thousand tonnes.

(c) The demands of Madhya Pradesh are being met to the extent possible within the resources available with the Centre taking into account the minimal needs of other deficit States.

राजस्थान में नलकूपों को लगाने के लिये सहायता

4829. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने राजस्थान के विभिन्न भागों में पीने के पानी तथा खेती के लिए पानी की व्यवस्था करने हेतु प्रतिवर्ष 100 नलकूप लगाने तथा 200 कुएं खोदने की योजना को क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने कितनी सहायता मांगी है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). कृषि प्रयोजनों, पशुओं के पीने के लिए पानी, घरेलू आवश्यकताओं के लिए सन् 1964-65 से समन्वेषी नलकूप संगठन राज्य के कमी वाले क्षेत्रों में उत्पादन नलकूपों के निर्माण में राजस्थान सरकार की सहायता कर रहा है। अक्तूबर 1967 तक संगठन ने 269 बोर खोदे हैं जिसमें से 167 बोर सफल सिद्ध हुए हैं। 1968-69 के लिए राज्य की वार्षिक योजना पर विचार करने के लिए हाल ही में एक बैठक हुई जिसमें यह निर्णय किया गया कि राजस्थान सरकार को चाहिए कि वह अतिरिक्त नलकूप खोदने के बजाय सन् 1968-69

के दौरान पहले खुदे हुए नलकूपों का ही विकास करे और उनका उपयोग करे। राजस्थान से शीघ्र ही समन्वेषी नलकूप संगठन के रिगों को वापिस लेने का प्रस्ताव है।

राजस्थान सरकार जलोर जिला में 200 नलकूपों के निर्माण के लिए एक योजना चलाना चाहती थी किन्तु विस्तृत भूमिगत जल अनुमान के अभाव में योजना अभी अनुमोदित नहीं की गई है। फिर भी राजस्थान में भूमिगत अनुमान अध्ययन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि परियोजना) के अन्तर्गत समन्वेषी नलकूप संगठन द्वारा शुरू किया गया है। तब तक कृषि उत्पादन बढ़ाने और जल की सम्भाव्यता तथा किस्म के बारे में जानकारी लेने के लिए जलोर जिला में पहले ही निर्मित नलकूपों को चलाने हेतु शीघ्र कदम उठाने के लिए राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है।

दिल्ली के लिए सिंचाई योजना

4830. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में 36,000 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिये एक योजना अन्तिम रूप से तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन ने भूमिगत जल संसाधनों के समन्वेषण व विकास के लिए 900 नलकूपों की खुदाई की एक योजना तैयार की थी। सफल नलकूपों को ऋण-सहायता के रूप में व्यक्तिगत कृषकों को हस्तान्तरित करने और उसके खर्च को कई वर्षों में वसूल करने का प्रस्ताव था। इस योजना पर अनुमानत: 53.50 लाख रुपये व्यय होने थे और लगभग 36,000 एकड़ भूमि की सिंचाई होनी थी।

1968-69 के लिए दिल्ली प्रशासन के लघु सिंचाई कार्यक्रम पर इस मन्त्रालय के एक कार्यकारी दल ने विचार किया था और यह अनुभव किया गया था कि गैर-सरकारी लघु सिंचाई कार्यों के लिए काफी गुंजाइश है। परन्तु भूमिगत जल विषयक उपयुक्त दिशा की अनुपलब्धि के कारण कार्यकारी दल ने इस योजना का समर्थन नहीं किया और यह अनुभव किया कि भूमिगत जल के सघन विकास का उन ही क्षेत्रों में समर्थन किया जा सकता है जहां भूमिगत जल के संसाधनों की मौजूदगी सिद्ध हो चुकी थी।

एग्रीकल्चरल रिफाईनान्स कार्पोरेशन से वित्तीय सुविधायें प्राप्त करने के विचार से दिल्ली प्रशासन ने राजगिरी-कुओं के लिए, कुओं के बोरिंग के लिए, नलकूपों और पम्प-सैटों के लिए समन्वित क्षेत्र विकास की एक योजना तैयार की थी। यह योजना अलीपुर और नजफगढ़ खण्डों में क्रियान्वित होनी है और इस पर एग्रीकल्चरल रिफाईनान्स कार्पोरेशन सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

डाक टिकटों की छपाई

4831. **श्री समर गुह :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस और श्री जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में अब तक पृथक-पृथक मूल्य के कितने-कितने डाक टिकट छापे गये हैं तथा बेचे गये हैं ;

(ख) क्या ऐसे डाक टिकटों की छपाई में तथा बिक्री में कोई भेदभाव किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2066/67]**

(ख) और (ग). छपाई या बिक्री में कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। आम तौर पर हरेक डाक-टिकट निकलने पर 20 लाख डाक-टिकट छापे जाते हैं। फिर भी यह संख्या कम या ज्यादा हो सकती है जो कि उनकी मांग और अवसर तथा इस बात पर निर्भर करता है कि गोंद लगा कागज उपलब्ध हो, जिसे बाहर से मंगाया जाता है।

खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक

4832. **श्री श्रीनिवास मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डा० वी० आर० सेन को प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने से पहले सरकार को इस बात का पता था कि वह खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक के पद के लिये चौथी बार फिर से खड़े नहीं हो सकते ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें उम्मीदवार के रूप में खड़ा करने के क्या कारण थे ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सरकार को दी गई कानूनी सलाह के अनुसार ऐसी कोई वैधानिक बाधा नहीं थी जिसके कारण डा० सेन खाद्य तथा कृषि संगठन के महानिदेशक के पद के लिए पुनः खड़े नहीं हो सकते थे।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

M. P.'s Visit Abroad

4833. **Shri G. C. Dixit :**
Shri P. L. Barupal :

Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Members of Parliament other than Members of Parliamentary Delegations, who visited foreign countries during the period from 1952 to November, 1967 and their number State-wise ;

(b) the purpose of their visits and the total expenditure incurred thereon ; and

(c) the criteria on which the Members of Parliament, other than the Members for Parliamentary Delegations, are selected for foreign tours ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) and (b). Information is being collected from the various Ministries/Departments and will be laid on the Table of the House in due course.

(c) Generally Members of Parliament are selected for foreign tours considering their background and aptitude for particular assignments, and the representation given to various parties in Parliament.

मैसर्स बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड

4834. **श्री स० कुण्डू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मैसर्स बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड ने खानों में ठेकेदारों के मजदूरों को काम पर न लगाने के सरकारी आदेशों का उल्लंघन करके गैर-सरकारी निकायों को खानों से अयस्क निकालने का एक बड़ा ठेका दिया है ;

(ख) क्या मैसर्स बीकानेर जिप्सम्स लिमिटेड ने बहुत से कर्मचारियों की जबरी छुट्टी कर दी है ;

(ग) क्या सरकार ने उन प्रबन्धकों तथा जिप्सम्स खान कर्मचारी यूनियन के बीच जबरी छुट्टी के विवाद को न्याय-निर्णय के लिए सक्षम श्रम न्यायालय को भेज दिया है और यदि हां, तो किस तिथि को ; और

(घ) प्रबन्धकों और ठेकेदारों द्वारा किये जाने वाले सरकारी आदेशों के बार-बार उल्लंघनों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) इस कम्पनी ने जिप्सम्स के खनन, लादने और परिवहन के लिए ठेके दिए हैं । यह प्रश्न कि क्या ठेका प्रणाली न्याय-संगत है या नहीं, न्याय-निर्णय के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण के पास भेज दिया गया है ।

(ख) 10 अक्तूबर से 21 अक्तूबर, 1967 तक 139 श्रमिकों को जबरी छुट्टी दी गई ।

(ग) सरकार ने 18 दिसम्बर, 1967 को यह विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर को न्याय-निर्णय के लिए भेज दिया है ।

(घ) 2 अक्तूबर, 1967 के समझौते को लागू न किए जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं । यह सूचित किया गया है कि इस समझौते का पालन आंशिक रूप से किया जा रहा है और शीघ्र ही इसका पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा । यदि यह सिद्ध हो जाए कि इसका पालन नहीं किया जा रहा है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

आयकर अपील अधिकरण

4835. **श्री दामानी :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर अपील अधिकरण की वर्तमान सदस्य संख्या पर्याप्त समझी जाती है ; और

(ख) क्या अनिर्णीत मामलों को शीघ्रता से निपटाने के लिए तथा करदाताओं को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अन्य क्षेत्रों में पृथक अधिकरण स्थापित करने की प्रस्थापना है ?

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) और (ख). इस समय, आयकर अपील अधिकरण में 15 बैंचें हैं जो देश में विभिन्न स्थानों में स्थित हैं। अधिकरण की सदस्य-संख्या का समय-समय पर, सभी पहलुओं से पुनर्विलोकन किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में अतिरिक्त बैंचें स्थापित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Rationing in Delhi

4836. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred in respect of Rationing arrangements in Delhi in 1966-67 ; and

(b) whether Government propose to run the Rationing System in Delhi through their own fair price shops in Delhi in order to save expenditure incurred on the Department of Rationing ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Rs. 40·80 lakhs.

(b) No, Sir. Government have no fair price shops of their own in Delhi.

कलकत्ता गोदी कर्मचारियों की हड़ताल

4837. **श्री मरंडी :** **श्री रमानी :**
श्री ज्योतिर्मय बसु : **श्री निहाल सिंह :**
श्री राममूर्ति : **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इस्माइल :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता गोदी कर्मचारियों ने 15 नवम्बर, 1967 को हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) विवाद को निपटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई ; और

(घ) इस हड़ताल के परिणामस्वरूप कुल कितनी हानि हुई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) यह हड़ताल एक मांग-पत्र के सम्बन्ध में की गई थी, जिसमें ये बातें शामिल थीं : (1) अपंजीकृत गोदी श्रमिकों के कुछ वर्गों का पंजीकरण ; (2) नौभरण प्रणाली का राष्ट्रीयकरण तथा राष्ट्रीयकरण होने तक गोदी श्रमिक बोर्ड के प्रशासकीय निकाय को हटाना ; (3) मकान किराये भत्ते की अदायगी ; और (4) कलकत्ता की गोदियों में रोजगार के मामले में गोदी श्रमिकों के सम्बन्धियों को तरजीह देना ।

(ग) जब प्रारम्भिक समझौता कार्यवाही असफल हो गई तब यूनियन के प्रतिनिधियों से दिल्ली में विचार-विमर्श किया गया और उसके फलस्वरूप समझौता हो गया तथा 25 नवम्बर, 1967 के अपराह्न से हड़ताल समाप्त हो गई ।

(घ) लगभग 25 लाख रुपये ।

National Parks

4838. **Shri O. P. Tyagi :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of National Parks in the country having wild life sanctuaries ;

(b) the number of Indian and foreign tourists who visited these parks during 1962 to 1966 year-wise ; and

(c) the steps taken by Government to make them more attractive to attract tourists in larger numbers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) to (c). The information is being collected from the concerned States and it will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Seizure of Peas and Pea-Pulses at the Hindon Check-Post

4839. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether trucks containing peas and pea-pulses were seized by the police at the Hindon River Check-post on the 29th August, 1967 ;

(b) whether it is a fact that these trucks were being used for smuggling purposes ; and

(c) if so, the action taken against the smugglers ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). Information is being collected from the State Gevernment and will be laid on the Table of the Sabha when received.

आस्ट्रेलिया से गेहूं की खरीद

4841. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में अब तक आस्ट्रेलिया से गेहूं खरीदने में कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक कितना गेहूं खरीदा गया है ; और

(ग) भारत में इसके कब तक पहुंच जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग) वर्ष 1967 में अब तक आस्ट्रेलिया से 428 हजार मैट्रिक टन गेहूं खरीदी गई है। नवम्बर, 1967 के अन्त तक 324.2 हजार मैट्रिक टन गेहूं प्राप्त हुई थी। बकाया गेहूं के जनवरी 1968 के अन्त तक भारत पहुंचने की सम्भावना है।

Sale of Blankets in Super Bazar

4842. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the blankets of Lal Imli make were sold at Rs. 120/- each in Super Bazar during the period from 20th June, 1966 to 20th November, 1967, while they were being sold at the rate of Rs. 75 each in other major markets of Delhi ;

(b) the number of the blankets so sold and the reasons for disparity in the prices ; and

(c) the rate at which they are being sold at present ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) Lal-Imli blankets were sold at Super Bazar at rates varying from Rs. 43·50 to Rs. 116·40 per blanket. The prices prevailing in other major markets of Delhi cannot be compared in the absence of the precise description of the blankets mentioned in the question.

(b) The Super Bazar sold about 1,000 blankets manufactured by Lal-Imli upto 20th November, 1967.

The Super Bazar in Delhi have been all along selling all textiles, including Lal-Imli blankets at manufacturers' suggested price minus 3% discount.

(c) At present, only one type of blanket (Ashoka) manufactured by Lal-Imli is sold at Super Bazar. Its net price is Rs. 97/- only.

उर्वरकों का आयात

4843. **श्री नीति राज सिंह चौधरी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष दस लाख टन उर्वरकों का आयात करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी लागत आयेगी ; और

(ग) क्या अगले वर्ष उर्वरकों का अधिक आयात किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) चालू वर्ष के दौरान उर्वरकों की निम्नलिखित मात्रा को आयात करने का कार्यक्रम है :

नाइट्रोजन	$पी_2 ओ_5$	मीट्रिक टनों में $के_2 ओ$
967,000	360,000	296,000

(ख) इन आयातों का मूल्य अनुमानतः 2810 लाख डालर है।

(ग) जी हां।

उत्तर गुजरात में कृषि विश्वविद्यालय

4844. **श्री रा० की० अमीन :**
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर गुजरात में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने के सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) इस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना करने के स्थान के बारे में कब तक निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). गुजरात सरकार ने इस समय राज्य में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया है।

टैक्सटूल इन्जीनियरिंग कम्पनी कोयम्बतूर

4845. **श्री रमानी :** **श्री उमानाथ :**
श्री विश्वनाथ मेनन : **श्री नायनार :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयम्बतूर की टैक्सटूल इंजीनियरिंग कम्पनी जुलाई, 1967 से बन्द हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) उसके बन्द होने से कुल कितने कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(घ) क्या सरकार को श्रमिकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ङ) यदि हां, तो यह कारखाना पुनः खुलवाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है। राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, टैक्सटूल कम्पनी में नियोजित 6000 श्रमिकों ने 31 जुलाई, 1967 से काम बंद कर दिया। प्रबंधकों ने 1 अगस्त, 1967 से तालाबंदी घोषित कर दी।

उर्वरकों की खपत

4846. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रति हैक्टर उर्वरक की खपत क्या है ;

(ख) अन्य देशों में प्रति हैक्टर उर्वरकों की खपत कितनी है ; और

(ग) इसकी खपत बढ़ाने के लिये किसानों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की सप्लाई करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). भारत में तथा अन्य देशों में कृषि भूमि के लिए विभिन्न उर्वरकों की प्रति हैक्टर खपत प्रदर्शित करने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2067/67**]

(ग) योजना के प्रत्येक वर्ष के लिए उर्वरक खपत लक्ष्य कृषि उत्पादन कार्यक्रम की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर स्वीकृत कर दिए गए हैं। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में अतिरिक्त उर्वरक उत्पादन क्षमता स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं। खपत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए वर्तमान देशीय उत्पादन पर्याप्त नहीं है, अतः यथासम्भव कमी को पूरा करने के लिए उर्वरकों का आयात किया जा रहा है।

Stores and Shops in Rural Areas

4847. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open stores or shops in rural areas also for the benefit of rural population on the lines of big Super Markets which have been opened in cities and towns ; and

(b) if so, when these shops/stores would be opened ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : No, Sir. In rural areas,

marketing societies and service co-operatives are being involved in distribution of consumer articles.

(b) Question does not arise.

मत्स्य पालन निगम का विस्तार

4848. **श्री नायनार :**
श्री चक्रपाणि :
श्री अ० क० गोपालन :
श्रीमती सुशीला गोपालन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने मत्स्यपालन निगम के विस्तार के लिए एक योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). मत्स्यपालन निगम के विस्तार की कोई विस्तृत योजना प्राप्त नहीं हुई है । केरल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि 1968-69 के स्टेट प्लान में निगम के कार्यों का विस्तार करने व उनको गतिमान करने हेतु और अधिक पोत प्राप्त करने के लिए निगम की अंश-पूंजी में 46 लाख रुपए की व्यवस्था की जाए । केन्द्रीय सरकार मछली विकास पर स्टेट प्लान व्यय के लिए 20 प्रतिशत अनुदान तथा 30 प्रतिशत ऋण देती है । निगम के लिए धन की व्यवस्था करने के विषय में केरल सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है ।

किंग्जवे कैम्प दिल्ली में विस्थापित लोग

4849. **श्री हरदयाल देवगुण :**
श्री कंवर लाल गुप्त :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम पाकिस्तान से आये हुए उन विस्थापित लोगों को जो हडसन लाइन्स और आउटरम लाइन्स, किंग्जवे कैम्प में रहते हैं, स्थायी तौर पर मकान देने के लिये क्वार्टरों का निर्माण किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्वार्टर कब तक तथा किन शर्तों पर आवंटित किये जायेंगे ; और

(ग) इस पूल में से जिन लोगों को क्वार्टर नहीं मिलेंगे उन लोगों को कब क्वार्टर दिये जायेंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) और (ख). पुनर्वास विभाग से प्राप्त होने वाले ऋण की सहायता से, दिल्ली नगर निगम पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों के लिये, जो हडसन लाइन्स और आउटरम लाइन्स,

किंग्जवे कैम्प में रह रहे हैं, के लिये 700 मकानों के निर्माण की योजना पर कार्य कर रही है। इनमें से 468 मकानों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और उनको शीघ्र ही अलाट किये जाने की सम्भावना है। बाकी 232 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। दिल्ली नगर निगम की योजना के अनुसार ये मकान 'बिना लाभ बिना हानि' के आधार पर अलाट किये जाने हैं और जिसको मकान अलाट किया जायेगा उससे उसका मूल्य 20 वार्षिक किस्तों में लिया जायेगा।

(ग) यह प्रश्न पुनर्वास विभाग के सम्बन्ध में नहीं उठता क्योंकि इस विभाग के सामने और मकान बनाकर उन्हें विस्थापित व्यक्तियों को अलाट करने का प्रश्न नहीं है।

केरल में खराब चावल तथा गेहूं

4850. **श्री विश्वम्भरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम ने 1967 में केरल राज्य में कितना ऐसा चावल तथा गेहूं बेचा जो मानवीय उपभोग के अयोग्य था ; और

(ख) क्या सरकार को पता है कि मानवीय उपभोग के अयोग्य मान कर जो खाद्यान्न बेचा गया था, वह बाजार में बिकने के लिये पहुंच गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). भारतीय खाद्य निगम ने 327 टन गेहूं और 423 टन चावल, जो मानवीय उपभोग के अयोग्य था, बेचा था। यह बिक्री निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत रजिस्टर्ड स्टार्च निर्माताओं, पशु/मुर्गी का दाना निर्माताओं और पशु और मुर्गी फार्मों को, जिन्होंने यह आश्वासन दिया है कि जो अनाज उन्होंने खरीदा है उसका मानवीय उपभोग के लिये प्रयोग नहीं किया जायेगा, बेचा गया था।

Supply of Fertilizers to States

4851. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total quantity of fertilisers given to State Governments during the period from 1962 to 1966 for increased agricultural production year-wise ;

(b) the varieties of fertilisers given to State Governments ; and

(c) the total income accrued to Government from it and the average increase in production of each farmer ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). A statement showing supply position of various kinds of fertilisers made to State Governments during the years 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66 and 1966-67 is appended. (Annexure-I) **[Placed in Library. See No. LT-2068/67].**

(c) A statement showing total income accrued to the Government during these years is also appended. (Annexure-II) **[Placed in Library. See No. LT-2068/67].** The physical

inputs in agriculture are used in combination and it is difficult to calculate precisely the extent to which production is increased by the use of any single input. It is, however, broadly estimated that, on an average, every additional tonne of Ammonium Sulphate used contributes about 2 tonnes of additional foodgrains production and every additional tonne of superphosphate used contributes about one tonne of additional foodgrains production.

Hoarding of Foodgrains

4852. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of persons arrested on charges of hoarding of foodgrains in Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Haryana, Orissa and West Bengal from January, 1966 till now and the action taken against them; and

(b) the total quantity of foodgrains seized during the raids against hoarding of foodgrains in the above States together with a State-wise break-up?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-opration (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The information is being collected from the concerned State Governments and will be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

Cochin Port and Dock Workers

4853. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6024 on the 19th July, 1967 and state:

(a) whether any decision has since been taken by the sub-Committee appointed to go into the demands of Cochin Port and Dock Workers' Union; and

(b) if not, the time likely to be taken by the Committee in arriving at a decision?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). Presumably the reference is to the demands raised by the Cochin Dock Labour Union. No Sub-Committee has been appointed to go into the demands of this Union.

As mentioned in the reply to Unstarred Question 6024 dated 19th July, 67, the Casual Labour List Sub-Committee was appointed by the Dock Labour Board at the instance of the two Unions represented on the Dock Labour Board, namely, Cochin Thuramugha Thozhilali Union and the Cochin Port Thozhilali Union, to implement an award. On receipt of the Report of this Casual Labour List Sub-Committee, the Cochin Dock Labour Board in its meeting held on 6th November, 1967, had taken decisions on the criteria for finalisation of the List.

तदर्थ पुनर्वास बोर्ड

4854. **श्री समर गुह :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री 21 नवम्बर, 1967 के तारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित तदर्थ पुनर्वास बोर्ड के निर्देश पद क्या हैं ;

(ख) तदर्थ बोर्ड के सदस्य कौन-कौन होंगे और क्या प्रस्तावित बोर्ड में संसद सदस्य भी शामिल किये जायेंगे ;

(ग) क्या बोर्ड पुनर्वास उद्योग निगम के कार्यों के बारे में खुली जांच करेगा और क्या शरणार्थियों तथा निगम के कर्मचारियों को निगम के कार्यों के बारे में बोर्ड के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने के लिये कहा जायेगा ; और

(घ) प्रस्तावित तदर्थ समिति द्वारा अध्ययन कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) मुख्यतः यह प्रस्तावित है कि विवरण में संलग्न मामले इसमें आ जाने चाहिये। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2069/67]**

(ख) एक ऐसे प्रभुतकारी व्यक्ति गैर-पदाधिकारी को, जिसे वाणिज्य, उद्योग और सरकारी प्रशासन के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी हो, अध्यक्ष नियुक्त करने का प्रस्ताव है। एक ऐसे समाज सेवक को जिसे उद्योग, और पुनर्वास के मामलों और कुछ प्रमुख उद्योगपतियों के सम्बन्ध में उपयुक्त अनुभव और जानकारी हो, को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव हो। चूंकि इसके गठन को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है अतः इस समय जिन व्यक्तियों के नाम पर विचार हो रहा है, को बताना, जनहित में नहीं है।

(ग) इसके कार्य की प्रक्रिया का कार्य बोर्ड पर छोड़ देने का प्रस्ताव है।

(घ) इसके व्यापक रूप को ध्यान में रखते हुए, ऐसी आशा है कि विभिन्न बातों के अध्ययन करने में बोर्ड को एक वर्ष से अधिक समय लगेगा। परन्तु वह समय-समय पर सरकार को अपनी अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहेगा।

चावल की अधिक उपज देने वाली किस्में

4855. **श्री समर गुह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फारमोसा और फिलीपिन ने चावल की अधिक उपज देने वाली किस्म का उत्पादन करने के लिए खेती का उन्नत तरीका निकाला है ; और

(ख) यदि हां, तो चावल की उन्नत खेती के उनके तरीकों का अध्ययन करने के लिए उन देशों में कृषि विशेषज्ञों का एक दल भेजने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसन्धान, फिलीपिन द्वारा जारी की गई ताईचुंग नेटिव 1, ताईचुंग 65, ताईनान 3 तथा आईआर 8 आदि चावलों की कुछ अधिक उत्पादनशील किस्मों में भारतीय परिस्थितियों के अनुसार कुछ संशोधन करके पैकेज की विधियों में शामिल कर लिया गया है और खरीफ 1966 से अधिक उत्पादनशील कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत से क्षेत्रों में उनकी खेती शुरू कर दी गई है।

(ख) जी हां। भारत सरकार ने चावल अनुसन्धान तथा उत्पादन की विधियों के अध्ययन हेतु सघन कृषि जिला कार्यक्रम के जिलों के 3 चावल अनुसन्धान कार्यकर्त्ताओं की फिलीपिन में थोड़ी अवधि की अध्ययन यात्रा के विषय में फोर्ड संस्थान की पेशकश को स्वीकार कर लिया है। यह यात्रा किसी समय मार्च, 1968 में होगी।

चीनी, गुड़ और खांडसारी का उत्पादन

4856. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में चीनी, गुड़ और खांडसारी का कितना उत्पादन होने का अनुमान है ;

(ख) एक किलो चीनी, खांडसारी और गुड़ (मुख्य उत्पादन केन्द्रों में औसत) पर लगाये गये कर में कितना अन्तर है ;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना का वैज्ञानिकन करने की वांछनीयता पर विचार किया है ; और

(घ) नये उत्पाद बनाने/वर्तमान उपोत्पादों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य, कृषि, सामुकायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 1967-68 में होने वाले चीनी, गुड़ और खांडसारी के उत्पादन के सम्बन्ध में अनुमान देना अभी बहुत शीघ्रता होगी।

(ख) गुड़ पर कोई केन्द्रीय शुल्क नहीं है। चीनी और खांडसारी पर निम्नलिखित उत्पादन शुल्क है :

	प्रति क्विन्टल
चीनी	28.65
खांडसारी	
(i) सलफेट प्लान्ट की सहायता से उत्पादन	21.50
(ii) सलफेट प्लान्ट की सहायता के बिना उत्पादन	17.50

(ग) चीनी और खांडसारी पर समान शुल्क करने के उद्देश्य से चीनी के उत्पादन शुल्क में 8.35 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से कमी कर दी गई है।

(घ) एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, सभा-पटल पर रख दिया गया है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2070/67**]

उत्तर प्रदेश और बिहार में अकाल सहायता कार्य

4857. **श्री मधु लिमये** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने अपने-अपने राज्य में सरकारी तथा

गैर-सरकारी एजेन्सियों द्वारा किये गये अकाल सहायता कार्यों के बारे में कोई रिपोर्ट भेजी है;

(ख) क्या इनमें भूख के कारण मृत्यु का विवरण भी दिया गया है;

(ग) इन रिपोर्टों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(घ) अकाल के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिये, जैसे रोग, ऋणों की अदायगी, बीज, कृषि उपकरणों की कमी और वाहक पशु आदि, क्या उपाय किये गये हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). जबसे उत्तर प्रदेश और बिहार में सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है भारत सरकार को सूखे की स्थिति के सम्बन्ध में सामयिक सूचना और उन राज्य सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी प्राप्त होती रही है। इन सूचनाओं में भूख से मरने वाले व्यक्तियों की संख्या, जैसा की आरोप लगाये गये हैं, शामिल नहीं हैं। समय-समय पर भारत सरकार की जानकारी में आने वाले आरोपों को राज्य सरकारों को सौंपा जा रहा है। राज्य सरकारों ने इन आरोपों की पुष्टि नहीं की है।

(घ) दोनों राज्यों में महामारी को रोकने के उद्देश्य से हैजा, चेचक के टीके लगाये गये हैं और कुओं को कीटाणुनाशक दवाई छिड़क दी गई है। कृषि कार्यों को फिर से चालू करने के लिये, बीजों, उर्वरकों और कीटनाशक औषधियों के वितरण का प्रबन्ध किया गया था।

और चीजों के अतिरिक्त किसानों को बीज, कृषि उपकरणों और वाहक पशुओं की खरीद के लिये तकावी ऋण दिये गये हैं। ये ऋण अल्पावधि के लिये दिये गये थे और इनको वसूल करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

मोगा मण्डी में से न उठाया गया खाद्यान्न

4858. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदा गया मक्का तथा अन्य खाद्यान्न बहुत बड़ी मात्रा में मोगा मंडी में पड़ा हुआ है, जिसे बहुत दिनों से वहां से उठाया नहीं गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) वर्षा तथा अन्य कारणों से कितनी हानि हुई है ; और

(घ) क्या इस लापरवाही की जिम्मेदारी के बारे में जांच की गई है और यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठता।

Central Labour Organisation, Gorakhpur

4859. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 337 on the 14th November, 1967 regarding Central Labour Organisation, Gorakhpur and State :

(a) the reasons for filling up only eight posts out of 109 posts earmarked for direct recruitment from Scheduled Castes and Scheduled Tribes when a total of 18 posts, 13 for Scheduled Castes and 5 for Scheduled Tribes were reserved for them ;

(b) the reasons due to which the services of the three out of those eight persons were dispensed with while making retrenchment when the appointments made on the posts reserved for the Scheduled Castes and Tribes were less than the fixed quota ; and

(c) the time by which the reserved posts would be filled up from persons belonging to the said Castes and Tribes?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) There was already a shortfall of Scheduled Castes and Tribes when the administrative control of the Labour Depot Gorakhpur was taken over by the Directorate General of Employment and Training on 1-4-1961 from the State Director of Employment, U. P.

(b) As they were the juniormost temporary clerks, their services had to be terminated in accordance with existing rules.

(c) Every effort will be mede to make good the shortfall as and when vacancies arise, but no time limit is possible.

Hindi Stenographers in the Ministry of Food and Agriculture

4860. **Shri Molahu Prasad :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of posts of Hindi Stenographers in his Ministry ;

(b) the number of posts reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in accordance with the orders of the Ministry of Home Affairs ;

(c) whether the persons of the said Castes and Tribes are working on all the posts reserved for them ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of state in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) One each in the Departments of Agriculture and Community Development and Co-operation.

(b) The orders regarding reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes do not apply to the one post in the Department of Agriculture, as it is to be filled by transfer on deputation.

The post in the Department of Community Development and Co-operation was filled on an **ad hoc** basis and the question of allotting a point in the roster for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in respect of this post is under consideration in consultation with the Ministry of Home Affairs.

(c) and (d) : Do not arise in view of (b) above.

सुपर बाजारों के लिये खरीद समिति

4861. **श्री नम्बियार :** **श्री उमानाथ :**
श्री भगवान दास : **श्री प० राममूर्ति :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सुपर बाजारों के लिये माल की खरीद के लिये एक खरीद समिति बनाने का है ;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन होंगे ; और

(ग) यह समिति कब से काम करना आरम्भ कर देगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी नहीं । आम तौर पर सुपर बाजार केन्द्रीय / थोक उपभोक्ता सहकारी समितियों ने खोले हैं, जो कि स्वायत्त संस्थाएं हैं । ये संस्थाएं खरीददारी के लिए अपना या राज्य/राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघों की सहायता से प्रबन्ध करती हैं । भारत सरकार ने राज्य सरकारों से पहले से ही निवेदन किया हुआ है कि वे केन्द्रीय / थोक / बहु-विभागी भण्डारों को सलाह दें कि वे भण्डारों के लिये खरीददारी करने हेतु प्रबन्ध समिति के सदस्यों और महा-प्रबन्धक की क्रय समितियां गठित करें ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

Bulgarian Implements

4862. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bulgarian Ambassador recently presented agricultural implements to India ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the total value of the equipment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes.

(b) A list is attached.

[Placed in Library. See No. LT-2071/67]

(c) Rs. 1·25 lakhs approximately.

Foodgrains Held up in the Suez

4863. **Shri Nihal Singh :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrains held up in transit on account of the closure of Suez Canal and the details thereof ;

(b) whether Government would have to pay for these foodgrains ; and

(c) if so, the total value thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) About 27,400 tons of milo from U. S. A. on board a U. S. tanker has been held up in the Suez Canal.

(b) The milo was purchased in March, 1967 and has already been paid for.

(c) The F. O. B. value is U. S. $ 15,25,193.60.

पश्चिम बंगाल को और अधिक अनाज की सप्लाई

4864. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री ने वर्तमान खाद्य संकट को दूर करने के लिये चावल और गेहूं का अतिरिक्त कोटा मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) दिसम्बर, 1967 के मध्य तक में चावल लगभग 1 लाख टन स्टाक जमा करने के उद्देश्य से पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार से पर्याप्त मात्रा में चावल मांगा है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के लिये पश्चिमी बंगाल को इतनी कम अवधि में इतनी अधिक मात्रा में चावल सप्लाई करना सम्भव नहीं है । पश्चिमी बंगाल और दूसरे कमी वाले राज्यों को, केन्द्रीय सरकार के स्रोत की उपलब्धता के अनुसार अधिकतम भाग में चावल और गेहूं सप्लाई किया जा रहा है ।

डाक टिकटों का मुद्रण

4865. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में अथवा विदेशों में गैर-सरकारी मुद्रकों को डाक-टिकटों के मुद्रण का काम सौंपने के प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) सिक्यूरिटी प्रेस नासिक में, जहां कि इस समय हमारे डाक-टिकटों का मुद्रण होता है, बहुरंगी टिकटों के मुद्रण मशीनों की व्यवस्था नहीं है ।

दिल्ली को चीनी का सम्भरण

4866. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में चीनी की सप्लाई में कोई विलम्ब हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

विभिन्न मंत्रालयों की अनौपचारिक परामर्शदायी समितियों के कार्य-करण में सुधार

4867. **श्री यशपाल सिंह :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :

क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनौपचारिक परामर्शदायी समितियों के कार्य में कुछ सुधार करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो वे सुधार क्या हैं ?

संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) . अनौपचारिक परामर्शदायी समितियों के कार्य-करण को अधिक प्रभावशाली बनाने की दृष्टि से सरकार ने 1967 के आम चुनावों के पश्चात् इन समितियों का गठन करते समय कुछ सुधार किये हैं :

1. एक सदस्य को 3 अथवा 4 समितियों पर मनोनीत करने की पूर्व पद्धति के विपरीत अब एक संसद् सदस्य को मंत्रालयों और क्षेत्रीय रेलवे की एक एक समिति पर नियुक्त किया जाता है। परिणामतः प्रत्येक समिति की सदस्य संख्या यथासम्भव 30 या 40 सदस्यों तक सीमित कर दी गयी है।
2. मंत्रालयों से समितियों की बैठकों की कार्यवाही सदस्यों में परिचालन करने के लिए कहा गया है।
3. मंत्रालयों को परामर्श दिया गया है कि यदि किसी एक विशेष विषय पर मतैक्य हो तो उसे सामान्यतः स्वीकार कर लेना चाहिये। यदि उसे स्वीकार करने में कोई कठिनाई हो तो अनौपचारिक परामर्शदायी समितियों के सदस्यों से उस विचार को अस्वीकार करने के कारणों का स्पष्टीकरण कर देना चाहिये।

सोनीपत के पास चितिया में हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना

4868. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री ज्योतिर्मय बसु :**
श्री रमानी : **श्री राममूर्ति :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सोनीपत के निकट चितिया में हिन्दुस्तान मशीनी औजार

कारखाने के कर्मचारियों ने 20 नवम्बर, 1967 से आम हड़ताल की थी ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं ; और

(ग) सरकार ने इस विवाद को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि० सोनीपत के निकट चितिया में कोई कारखाना नहीं है ।

(ख) और (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक विवादों में राज्यों द्वारा मध्यस्थता

4869. **श्री श्रीनिवास मिश्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों में औद्योगिक विवादों में राज्यों की मध्यस्थता को रोकने के लिए सरकार कोई उपाय करने का विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Storage of Buffer Stock of Foodgrains.

4870. **Shri Maharaj Singh Bharati :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total ware-housing capacity available with Government at present ;

(b) the capacity of the ware-houses proposed to be constructed by 1970-71 under the scheme for storing foodgrains :

(c) whether it is a fact that the ware-houses proposed to be constructed under the Scheme would not be adequate for the required buffer stock ; and

(d) if so, the reasons for which ware-houses are not being constructed by Government expeditiously ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture-Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) The Ware-housing capacity available with the Central Government at present is 14·47 lakh tonnes. Apart from this, the capacity available with the Food Corporation of India and the Central Ware-housing Corporation is 16·17 lakh tonnes and 7·94 lakh tonnes respectively.

(b) The Government, the Food Corporation and the Central Ware-housing Corporation have taken up or propose to take up, subject to availability of resources, construction of ware-houses of additional about 12 lakh tonnes capacity by 1970-71.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

Land Ceiling Laws in Japan and Formosa

4871. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the existing land systems in Japan and Formosa have been studied regarding ceiling on land holdings ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the extent to which they can be made applicable in India ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Legislation relating to imposition of ceiling on land holdings and its implementation in Japan, Taiwan and other countries was examined by the Committee on ceiling on holdings of the Panel on Land Reform set up by the Planning Commission in 1955 and again in 1959. Land reform problems relating to Japan were also examined in detail, with a view to ascertaining the extent to which they could be made applicable to conditions in India, by the Indian Delegation on agrarian co-operatives which visited Japan in 1956. The report of the delegation was published by the Planning Commission in May, 1957. Subsequently, in 1965, the Director of the Land Reforms Division, Planning Commission, visited Japan and his report has been summarised in his note 'Strategy for Agriculture—Some Lessons of Japanese Experience," included in the Planning Commission publication 'Seminar on Land Reforms—Proceedings and Papers.'

(b) and (c). Agrarian reforms in Japan and Taiwan are briefly summarised in the attached statement **[Placed in Library. See No. LT-2072/67].**

Unemployed Labourers, Artisans and Engineers

4872. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many labourers, artisans and engineers employed for the construction of factories and other works in public as well as private sectors have to face unemployment after the completion of these works ; and

(b) if so, whether Government have taken any steps to ensure that preference is given to such persons for employment in any other similar construction works ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) Yes.

(b) Special staff has been provided in the Directorate General of Employment and Training for this purpose. The Government of India have also set up a Committee known as the Central Coordination Committee which is attached to Directorate General of Employment and Training. It comprises of representatives from various employing Ministries of the Government of India. Whenever surpluses are reported to Directorate General of Employment and Training, the Committtee makes suggestion to find alternative jobs for them. Similar Committees exist at State level to tackle the problems of local nature.

हरियाणा से दिल्ली को मोटे अनाजों का निर्यात

4873. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाना सरकार ने दिल्ली को मक्का, जौ, ज्वार तथा बाजरा

भेजना बन्द कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में इन मोटे अनाजों को मंगाने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गये उत्तर राज्य-क्षेत्रीय मक्का (लाना ले जाना नियंत्रण) आदेश 67 के अन्तर्गत हरियाना राज्य से मक्का के बाहर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध है। और राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये पंजाब घटिया अनाज (निर्यात नियंत्रण) आदेश, 1966 के अन्तर्गत ज्वार, बाजरा और बार्ले के बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध है।

(ख) दिल्ली को दिये जाने वाले राशन की मात्रा को चावल, गेहूं और गेहूं से बने उत्पादों से पूरा किया जाता है। दिल्ली में भी कुछ मत्रा में उपर्युक्त अनाज का उत्पादन होता है। समय समय पर दिल्ली प्रशासन भी घटिया किस्म के अनाज को आवश्यकता से अधिक अनाज होने वाले क्षेत्रों से प्राप्त करवाने में सहायता करता है।

Employees' Provident Fund Lying Unpaid with Government

4874. **Shri Kanwar Lal Gupta:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) the amount of provident fund still lying with Government of those workers and employees who left service before their term and which could not be paid to them;

(b) the manner in which this amount is being utilised by Government;

(c) the extent thereof in Delhi;

(d) whether Government have framed any scheme for utilising this amount for the benefit of employees in Delhi; and

(e) if so, the details thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) Under the E. P. F. Scheme, 1952, the employees' share of contribution is always paid in full. However, in certain circumstances including where a member leaves the Fund before 15 years of membership, a percentage of the employer's share of contribution is not paid to him and it is credited to the Reserve and Forfeiture Account of the E. P. Fund. As on the 31st August, 1967 a sum of Rs. 344.89 lakhs stood at the credit of the Reserve and Forfeiture Account of the Employees Provident Fund.

(b) The amount lying in the Reserve and Forfeiture Account is being utilised for financing the—

(i) **Special Reserve Fund** which has been created for making certain payment to the workers or their heirs/nominees in cases where the employees' contribution deducted from their wages has not been deposited to the Employees' Provident Fund by the employer, and

(ii) **Death Relief Fund** from which financial assistance is afforded to the nominees/heirs of the deceased members so that a minimum of Rs. 500/- is assured to the heirs or the nominee of every deceased member.

(c) to (e).		Amount utilised (as on 31-8-67)
Death Relief Fund		Rs. 54,394
Special Reserve Fund	..	Rs. 50,989

भारतीय डाक टिकटें

4875. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय डाक टिकटों की किस्म सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) भारतीय डाक टिकटों की बिक्री से गत तीन वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार अपने देश के वीरों, ऋषियों और मुनियों के चित्रों की तथा पुराने समय की घटनाओं को बताने वाली डाक टिकटें जारी करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अपने डाक टिकटों की किस्म में सुधार करने के लिये निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा रहा है :

(i) डिजाइन बनाने और छपाई में सुधार ।

(ii) डाक-टिकटों पर छापने के लिये ऐसे विषयों का चुनाव जो टिकट-संकलन रुचि के हों ।

(iii) बहुरंगी छपाई का प्रारम्भ ।

(ख) पिछले तीन वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा की रकम नीचे दी गई है :

1964-65	37,711 रु० 13 पैसे
1965-66	1,50,589 रु० 90 पैसे
1966-67	72,086 रु० 62 पैसे (जनवरी, 1967 तक)

(ग) तथा (घ). अपने देश के वीरों, ऋषियों, लेखकों आदि के सम्मान में डाक-टिकट बहुत बड़ी संख्या में पहले ही निकाले जा चुके हैं । आगामी वर्ष के कार्यक्रम को अभी तक अन्तिम-रूप नहीं दिया गया है किन्तु 26 दिसम्बर, 1967 को श्री रास बिहारी बसु के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट निकाला जाएगा ।

तेल से खाद्य की प्राप्ति

4876. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ब्रिटिश पेट्रोलियम कम्पनी को तेल से खाद्य बनाने के बारे में की

गई खोज की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान स्टैण्डर्ड आयल (न्यू जर्सी) कम्पनी के भूतपूर्व अध्यक्ष के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि समूचे विश्व के पेट्रोलियम की उत्पादन लागत के 2 प्रतिशत से भी कम लागत पर सारे संसार में प्रोटीन की जितनी भी कमी है, उससे पूरा किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर तथा इस खोज का लाभ उठाने के बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :(क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तेल से खाद्य बनाने का मामला अभी प्रयोगात्मक स्तर पर है । इस सम्बन्ध में इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ पेट्रोलियम, देहरादून में अनुसंधान प्रगति पर है । इसे पेट्रोलियम से खाद्य बनाने के लिये एक बड़ा प्लान्ट प्राप्त हुआ है । इस सम्बन्ध में रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी, जोरहाट में भी कार्य चल रहा है । इस सम्बन्ध में प्राप्त जीव सम्बन्धी अनुमानों पर सेन्ट्रल फूड टेक्नोलाजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर, न्यूटरीसन रिसर्च लेबोरेटरी, हैदराबाद और इण्डियन रिसर्च सेन्टर, बम्बई की सहायता से कार्य किया जा रहा है । कार्य में प्रगति है ।

दिल्ली धोबी सहकारी औद्योगिक समिति

4877. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में दिल्ली धोबी सहकारी औद्योगिक समिति बनाई गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1965 में उपमंत्री ने उस समिति को आश्वासन दिया था कि उसे अपना काम चलाने के लिये 10,000 रुपये का अनुदान किया जायेगा ; और

(ग) यदि हां, तो अभी तक इस आश्वासन को पूरा क्यों नहीं किया गया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी): (क) जी हां ।

(ख) इस विभाग के रिकार्ड में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे पता चले कि उपमंत्री ने इस समिति को ऐसा कोई आश्वासन दिया था ।

तथापि, इस समिति को कार्यकर पूंजी के लिए 10,000 रुपए ऋण के रूप में और तीन वर्ष की अवधि में 1200 रुपये उपदान के रूप में वित्तीय सहायता दी जा सकती है, बशर्ते यह समिति इस प्रयोजन के लिए रखी गई पात्रता की कुछ शर्तें पूरी करती हो ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

4878. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को दिल्ली में कुछ भूमि आवंटित की जा रही है ;

(ख) कितने व्यक्तियों को भूमि आवंटित की जा चुकी है ; और

(ग) कितने व्यक्तियों को अभी भूमि का आवंटन नहीं किया गया ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) 4 जनवरी, 1966 को प्रकाशित प्रेस नोट के उत्तर में जिन लोगों ने प्लाटों के एलाटमेंट के लिये अभ्यावेदन पत्र भेजे थे उनमें से 1464 व्यक्तियों को प्लाट की आफर भेजी गई है। इनमें से 1365 व्यक्तियों ने आवश्यक प्रारम्भिक राशि जमा कर दी है। परन्तु इनमें से चार व्यक्तियों ने अपने अलाटमेन्ट के अभ्यावेदन पत्र को वापिस ले लिया है और अपनी जमा की गई धन राशि को वापस लेने के लिये आवेदन किया है।

(ग) 13 अगस्त, 1967 को प्रकाशित प्रेस नोट के उत्तर में 713 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे। 31 अक्तूबर, 1967 को और आवेदन पत्र मांगे गये थे। उनकी जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय भू-क्षार संस्था (नेशनल सायल सैलाइन इंस्टीट्यूट)

4880. **डा० रानेन सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय भू-क्षार संस्था (नेशनल सायल सैलाइन इंस्टीट्यूट) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो यह इंस्टीट्यूट कब तक स्थापित किये जाने की आशा है ; और

(ग) यह इंस्टीट्यूट कहां स्थापित किया जायेगा ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) सम्भवत: "नेशनल सायल सैलाइन इंस्टीट्यूट" से माननीय सदस्य का अभिप्राय "सेन्ट्रल सायल सैलिनिटी लेबोरेटरी" से है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसी लेबोरेटरी की स्थापना का प्रस्ताव है।

(ख) सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय होते ही लेबोरेटरी की स्थापना होने की आशा है।

(ग) अभी लेबोरेटरी के स्थान के बारे में निर्णय होना बाकी है।

मुर्गी दाना

4881. **डा० रानेन सेन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य उपोत्पादों का मुर्गी दाने के रूप में उपयोग करने की सम्भावना का

पता लगाने के लिये सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या-क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य सिफारिशों की सूची संलग्न है । [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी०**-2073/67]

(ग) सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है सिवाय एक सिफारिश के जिसके अनुसार बेकार सामग्री की प्रक्रिया के लिए एक राष्ट्रीय निगम की स्थापना करना था । सरकार समझती थी कि इस कार्य की देखभाल वर्तमान एजेन्सियों के द्वारा ही की जा सकती है इसीलिए इस एक सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया था ।

विधि आयोग

4882. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी :**
श्री श्रीचन्द गोयल :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विधि आयोग ने अपनी पिछली महत्वपूर्ण सिफारिशें कब की थीं;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) इन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है अथवा क्रियान्वित करने का विचार है ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम): (क) विधि आयोग ने अब तक 32 रिपोर्टें भेजी हैं । सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 में संशोधनों के विषय में दिसम्बर, 1964 में सरकार को दी गई 27वीं रिपोर्ट और भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 के पुनः अधिनियमन के विषय में मई, 1965 में दी गई 28वीं रिपोर्ट को मुख्य सिफारिशों की संज्ञा दी जा सकती हैं ।

(ख) और (ग). 27वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशें, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के विषय में हैं, सरकार के सक्रिय विचाराधीन हैं ।

28वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की परीक्षा पहले ही की जा चुकी है और रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिये एक विधेयक (भारतीय शपथ विधेयक, 1967) राज्य सभा के चालू सत्र में पहले ही पुरःस्थापित किया जा चुका है ।

Sale of Foodgrains in Jammu and Kashmir

4883. **Shri A. B. Vajpayee**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that foodgrains supplied by the Centre to Jammu and Kashmir is being sold at different rates in Jammu and Kashmir areas by the State Government;

(b) if so, the difference in the rates and the reasons for the same; and

(c) the action taken to remove this disparity in rates?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c). The information is being collected and will be placed on the Table of the Sabha.

जम्मू और काश्मीर में लोगों का पुनर्वास

4884. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और काश्मीर राज्य में घनी आबादी नहीं है और वहां और लोगों को बसाने की गुंजायश है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये वहां पर अन्य राज्यों के लोगों को बसाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र बड़ा है, परन्तु कृषि योग्य क्षेत्र कम है अतः इस भूमि पर जनसंख्या का काफी भार है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता । ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

चण्डीगढ़ टेलीफोन केन्द्र

4885. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चण्डीगढ़ टेलीफोन केन्द्र की वर्तमान क्षमता क्या है ;

(ख) नये टेलीफोनों के लिये कितने आवेदन पत्र विचाराधीन हैं ;

(ग) क्या चण्डीगढ़ टेलीफोन केन्द्र की क्षमता बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक अन्तिम रूप दिये जाने की सम्भावना है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 4000 लाइन ।

(ख) 30-9-67 को 2587 ।

(ग) जी हां ।

(घ) 1968-69 के अन्त तक 2000 अतिरिक्त लाइनें और 1970-71 के अन्त तक आगे 2100 लाइनें चालू कर देने की योजना है।

वकील परिषद् अधिनियम

4886. **श्री स० कुण्डू :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वकील परिषद् अधिनियम में कोई परिवर्तन करने का सरकार का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद यूनुस सलीम) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही यहीं उठता।

उड़ीसा में तट के पास मछली पकड़ने के बारे में योजना

4887. **श्री स० कुन्दू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बालासोर जिले के तटवर्ती क्षेत्र में बड़े पैमाने पर समुद्र तट पर मछली पकड़ने के बारे में सरकार की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बारे में उड़ीसा सरकार से कोई प्रस्ताव मिला है ;

(घ) यहि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार की सहायता करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) उड़ीसा में बालासोर जिले के सम्मुख तटीय श्रृंखला का सर्वेक्षण भारत सरकार के गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र द्वारा पहले ही हो चुका है। कुल मिलाकर यह क्षेत्र ट्रालिंग के लिए आर्थिक दृष्टि से अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है। फिर भी इस क्षेत्र का और सघन सर्वेक्षण करने की योजना तैयार की गई है जिसके लिये प्रादीप में मछली पकड़ने का एक बड़ा पोत स्थित रखने का प्रस्ताव है।

(ग) से (ङ). किसी विशेष योजना का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। फिर भी, उड़ीसा सरकार के सामान्य यान्त्रिकरण कार्यक्रम में 150 गिल नेटरस की व्यवस्था है, जिनमें से कुछ बालासौर क्षेत्र में कार्य करेंगे। इस योजना के लिए कुल व्यय पर 20 प्रतिशत उपदान और 30 प्रतिशत ऋण प्राप्त होगा।

विभागातिरिक्त कर्मचारी

4888. **श्री स० कुन्डू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे देश में डाक तथा तार विभाग के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो विभागातिरिक्त कर्मचारियों के रूप में काम कर रहे हैं ; और

(ख) उनकी सेवा की शर्तों में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) लगभग 1,87,000 ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०**-2074/67]

डाक का तुरन्त वितरण

4889. **श्री मयाबन** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में डाक के तुरन्त वितरण के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ;

(ख) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग ने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की है कि बसों के समय का समन्वय किया जाये ताकि डाक को आगे पहुचाने में कोई देरी न हो सके ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) डाक के शीघ्र निपटान के लिए निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :

(i) डाक लाने-ले जाने के लिए इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन की 115 उड़ानों का इस्तेमाल किया जा रहा है ;

(ii) रेल डाक व्यवस्था खंडों को चालू रखने के लिए या तोल-पद्धति द्वारा वितरण के लिए सभी उपयुक्त रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है ;

(iii) पैदल तय की जाने वाली लाइनों के स्थान पर बस, साइकल आदि जैसे परिवहन के अपेक्षाकृत तेज गति वाले साधनों को लागू किया जा रहा है । पिछले चार वर्ष में 1,50,065 कि० मी० की दूरी तय करने वाली हरकारों की 8374 लाइनों को यंत्रीकृत कर दिया गया है ।

(iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रेषण तुरन्त ही डाक-व्यवस्था की लगातार पुनरीक्षा होती रहती है ।

(ख) जी हां ।

(ग) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ बार-बार बैठकें होने के परिणाम आमतौर पर लाभप्रद होते हैं।

जम्मू और काश्मीर में शरणार्थियों का पुनर्वास

4890 **श्री चेंगलराया नायडू** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1947-48 में जम्मू और काश्मीर के पाक-अधिकृत क्षेत्र से निकाले गये शरणार्थियों को प्रतिकर देने के लिये केन्द्रीय सरकार जम्मू और काश्मीर सरकार को एक करोड़ रुपया देने के लिये तैयार हो गई है ;

(ख) क्या प्रतिकर के ठीक वितरण के लिये राज्य सरकार को कोई निदेश दिये गये हैं;

(ग) क्या प्रतिकर नकद दिया जायेगा अथवा किसी अन्य रूप में; और

(घ) कितने शरणार्थी प्रतिकर के हकदार होंगे ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ). प्रश्न के भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पाकिस्तान से भारत आने वाले शरणार्थी

4891. **श्री मरण्डी** :

श्री मयाबन :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये जम्मू तथा काश्मीर के क्षेत्र से पुनः बड़ी संख्या में शरणार्थी जम्मू तथा काश्मीर में आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी अनुमानित संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उन लोगों में पाकिस्तान द्वारा भेजे गये तोड़-फोड़ तथा षडयंत्र करने वाले लोगों की जांच पड़ताल करने के लिए कोई समुचित निगरानी की जाती है; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने उन्हें बसाने के लिए केन्द्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) से (ग). राज्य सरकार से शरणार्थियों के आने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

लांग द्वीप (अन्दमान द्वीपसमूह) में नौका बनाने का कारखाना

4892. **श्री गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्दमान द्वीप समूह में लांग द्वीप में नौका बनाने का कारखाना समाप्त कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसके लिये उनके मंत्रालय से अनुमति ली गई थी ;

(घ) क्या नौका बनाने का उद्योग अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का बड़ा महत्वपूर्ण उद्योग है ; और

(ङ) उन द्वीपों में मत्स्यपालन के विकास के लिये कुल कितनी छोटी नौकाओं की आवश्यकता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) द्वीप में इस समय नौका बनाने का उद्योग केवल लघु उद्योग है ।

(ङ) चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 160 यंत्रीकृत नौकायें तथा 100 डिंघियां चलाने का कार्यक्रम है । इन नौकाओं के चलाए जाने पर और मछलियों के विपणन के लिए गुंजाइश होने पर ही कुल आवश्यकता निश्चित की जाएगी ।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घर पर दूध पहुंचाने की सुविधा

4893. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घर पर दूध पहुंचाना शुरू करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) कब तक इस योजना को कार्यरूप दिये जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम

4894. **श्री रविराय** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरम्भ किया गया था और अब तक इस विभाग पर कितना धन खर्च किया जा चुका है ; और

(ख) इस कार्यक्रम के आरम्भ होने से अब तक प्रशासन तथा विकास कार्यक्रमों पर पृथक-पृथक किये गये व्यय का ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). अक्तूबर, 1952, जबसे यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम चालू किया गया है इस पर 1966-67 तक 538.54 करोड़ रुपया खर्च किया गया। इसमें से 374.33 करोड़ रुपये विकास कार्यक्रम पर और 164.21 करोड़ रुपये ब्लाक हेडक्वार्टर जिसमें परिवहन, कार्यालय उपकरण, फरनीचर और कार्यालय भवन इत्यादि शामिल हैं पर खर्च किया गया।

बिहार में अकाल सहायता कार्य

4895. **श्री रा० की० अमीन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तथा ऐच्छिक एजेन्सियों द्वारा बिहार में इस वर्ष क्या अकाल सहायता कार्य किये गये हैं ; और

(ख) इन सहायता कार्यों में विभिन्न राज्यों तथा केन्द्रीय सरकार ने धन तथा किसी अन्य रूप में कितना अंशदान किया ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). बिहार में अकाल की स्थिति को दूर करने के लिये जो कार्य किये गये हैं और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जो केन्द्रीय सहायता दी गई है उसका ब्योरा "रिवयू आफ दी फूड एण्ड स्केअरसिटी सिचुएशन इन इण्डिया-नवम्बर, 1967" में दिया गया है और उसको 23 नवम्बर, 1967 को सभा-पटल पर रख दिया गया था।

जहां तक बिहार सरकार को अन्य सरकारों से प्राप्त होने वाली सहायता का प्रश्न है, बिहार सरकार ने बताया है कि उसे जम्मू और काश्मीर सरकार से 2.5 लाख रुपये की सहायता प्राप्त हुई है। पता लगा है कि देश के विभिन्न भागों में भी नकद और विभिन्न प्रकार से बिहार के सूखे के लिये लोगों ने सहायता दी है।

प्रधान मंत्री सूखा सहायता कोष से ऐच्छिक संगठनों को बिहार में सहायता करने के लिये 80 लाख रुपये दिये गये हैं। इसी प्रकार 10,768.5 टन अनाज, 200 टन दुग्ध चूर्ण भी बांटा गया है।

व्यापारिक फसलें उगाना

4896. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से व्यापारिक फसलों की खेती में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो पंचवर्षीय योजनाओं में योजना-वार खाद्यान्न की उपज के लिये प्रयोग में लाई गई कुल भूमि की तुलना में व्यापारिक फसलों की खेती के प्रयोग में लाई गई कुल भूमि कितनी है तथा योजनाओं के अन्तर्गत, उनकी प्रतिशतता क्या है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक योजना के अन्तर्गत, खाद्यान्न की उपज की तुलना में व्यापारिक फसलों की कुल उपज कितनी हुई है ;

(घ) प्रत्येक योजना की अवधि में व्यापारिक फसलों के अन्तर्गत कितनी भूमि में कृषि कार्यों के लिये ट्रैक्टरों आदि यंत्रों का प्रयोग किया गया ; और

(ङ) चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में व्यापारिक फसलें तथा खाद्यान्न वाली फसलें कितनी भूमि में उगाई जाने का अनुमान है और उसकी प्रतिशतता क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). भूमि उपयोगता आंकड़ों के आधार पर सन् 1950-51, 1955-56, 1960-61 तथा 1964-65 (नवीनतम उपलब्धि) के दौरान खाद्यान्नों तथा अखाद्यान्नों की फसलों वाला कुल क्षेत्र और कुल फसलों वाले क्षेत्र का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। (विवरण 1)

(ग) सन् 1950-51, 1955-56, 1960-61 तथा 1965-66 के लिए खाद्यान्नों तथा मुख्य अखाद्यान्न फसलों का उत्पादन प्रदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है। (विवरण 2)

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2076/67]

(घ) व्यापारिक खेती के अन्तर्गत भूमि जिसमें ट्रैक्टरों द्वारा खेती की गई, के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है। सन् 1956, 1961 तथा 1966 में की गई गणना के अनुसार ट्रैक्टरों की संख्या निम्नलिखित है :

1956	21005
1961	31010
1966	53,121 (अस्थायी)

(ङ) अस्थायी रूप से अनुमान लगाया जाता है कि सन् 1970-71 के दौरान कुल फसल का क्षेत्र 165.9 मिलियन हैक्टर हो सकता है जिसमें से 73.2 प्रतिशत में खाद्यान्न उगाए जा सकते हैं और शेष में अखाद्यान्नों को उगाया जा सकता है।

रात्रि में खुले रहने वाले डाकघर

4897. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रात्रि में खुले रहने वाले डाकघर किस आधार पर स्थापित किए जाते हैं ;

(ख) भारत में और विशेषतया बिहार में अब तक ऐसे कितने डाकघर स्थापित किये गये हैं ; और

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में ऐसे कितने डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) रात्रि-कालीन डाकघर खोलने में मुख्य रूप से इस बात पर विचार किया जाता है कि इन डाकघरों में बढ़े हुए काम के घंटों के दौरान काफी परियात रहे, और रात में देर से डाक को भेजने के मार्ग हों। आम तौर से ऐसे डाकघर महत्वपूर्ण तथा व्यस्त वाणिज्यिक, व्यापारिक व औद्योगिक स्थानों पर खोले जाते हैं।

(ख) 68 जिसमें से 4 बिहार में काम कर रहे हैं।

(ग) अस्थायी रूप से यह प्रस्ताव किया गया है कि 1970-71 के अन्त तक 35 रात्रि-कालीन डाकघर खोले जाएं। इनमें से 3 बिहार में हो सकते हैं।

कृषि मजदूर संघ

4898. **श्री शिव चन्द्र झा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने कृषि मजदूर संघ हैं और उनके कुल कितने सदस्य हैं;

(ख) ऐसे कितने मजदूर संघ अखिल भारतीय मजदूर संगठनों से सम्बद्ध हैं; और

(ग) कृषि मजदूर संघवाद के विकास के लिये विदेशों से, विशेषकर अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से क्या सहायता प्राप्त होती है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) एक विवरण संलग्न है, जिसमें राज्यवार कृषि श्रमिकों के ऐसे पंजीकृत मजदूर संघों और उनके सदस्यों की संख्या दी गई है, जो विवरणियां भेजते हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2077/67**]

(ख) 93 (चार केन्द्रीय मजदूर यूनियनों के संगठनों के दिसम्बर के दावे के अनुसार)।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती।

राष्ट्रीय श्रम आयोग

4899. **श्री रवि राय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन कब प्रस्तुत होने की संभावना है; और

(ख) विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) आशा है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग दिसम्बर, 1968 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगा।

(ख) इस आयोग के विचारार्थ विषयों के विस्तृत क्षेत्र को देखते हुए सरकार यह आशा करना उचित नहीं समझती, कि यह आयोग अपनी रिपोर्ट जल्दी पेश करे।

हल्दिया पत्तन में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था

4900. **श्री स० चं० सामन्त :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के निकट प्रस्तावित हल्दिया पत्तन में विस्थापित व्यक्तियों और उनके बच्चों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण देने के हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था स्थापित की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो क्या पत्तन के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जायेगी;

(ग) केन्द्र तथा राज्य सरकारों से संस्था में प्रवेश पाने वाले विस्थापित व्यक्तियों को क्या अन्य सुविधायें दी जायेंगी;

(घ) कब तक संस्था स्थापित कर दी जायेगी; और

(ङ) क्या इसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के आधीन हल्दिया में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आरम्भ करने से सम्बन्धित पश्चिम बंगाल सरकार के एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है । स्थापना के बाद इस संस्था में सभी को, जिनमें विस्थापित जन भी शामिल हैं, प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा ।

(ख) इस केन्द्र में पत्तन के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था नहीं की जाएगी । केन्द्र में दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के आधीन सिखाए जाने वाले आम व्यवसायों का प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

(ग) प्रस्तावित इस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रवेश पाने वाले विस्थापितों के लिए, दस्तकारी प्रशिक्षण योजना के आधीन मिलने वाली आम सभी सुविधाएं उल्लिखित शर्तों के आधार पर उपलब्ध होंगी ।

(घ) इस मद् को पश्चिम बंगाल में दस्तकारी प्रशिक्षण के विकास कार्यक्रम में सन् 1968-69 में शामिल किया जाएगा ।

(ङ) यह केन्द्र हल्दिया विकास खण्ड के पुनर्वास क्षेत्र में स्थापित होगा और हल्दिया विकास खण्ड द्वारा इस कार्य के लिए भूमि जुटाने की व्यवस्था की जा रही है ।

Landless Agricultural Labourers

4901. **Shri Bhogendra Jha :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the total number of landless agricultural labourers in different States of the country and their ratio to the total number of farmers ;

(b) the efforts being made by Government to provide minimum of 1/4 acre of land to each landless farmer and agricultural labourer for housing and cultivation ; and

(c) the number of such families as were provided with such land in different States during the last decade ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde). (a) to (c) : A statement is attached **[Placed in Library. See. No. LT-2077/67]**

गुजरात सर्किल में डाक तथा तार विभाग के लिये भवन

4902. **श्री द० रा० परमार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में गुजरात सर्किल में डाक तथा तार विभाग के लिये भवनों के निर्माण के हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो ये भवन कहां-कहां बनाने का विचार है और उनके निर्माण में कितनी प्रगति हुई है और वे अब तक कहां-कहां पर बनाए जा चुके हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण-पत्र रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2078/67]**

गुजरात सर्किल में पोस्टल डिवीजन

4903. **श्री द० रा० परमार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सर्किल में कितने पोस्टल डिवीजन हैं और प्रत्येक के अन्तर्गत कितना क्षेत्र है;

(ख) क्या गुजरात सर्किल में कुछ नये पोस्टल डिवीजन खोलने के लिये कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो किन-किन से और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) गुजरात सर्किल में नौ डाक डिवीजन हैं। इन डिवीजनों का कार्य-क्षेत्र सभा-पटल पर रखे गए विवरण-पत्र में दिखाया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2079/67]**

(ख) और (ग). वुलसर, पंचमहाल्स, जामनगर तथा भावनगर के राजस्व जिलों और अहमदाबाद के नगर क्षेत्र के लिए अलग डाक डिवीजन बनाने की मांगें प्राप्त हुई थीं। वुलसर राजस्व जिले और अहमदाबाद के नगर क्षेत्र के लिए अलग डिवीजन के मामलों को छोड़कर निर्धारित विभागीय मानकों के अनुसार इन डिवीजनों को बनाना न्यायोचित नहीं पाया गया। वुलसर डिवीजन के प्रस्ताव की जांच की जा रही है। अहमदाबाद नगर के लिए एक अलग

डिवीजन का प्रस्ताव उस समय तक के लिए स्थगित कर दिया गया है जब तक कि अहमदाबाद प्रधान डाकघर का दर्जा बढ़ाकर उसे श्रेणी I के स्तर का बनाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं ले लिया जाता।

बीड़ी और सिगार बनाने वाले मजदूर

4904. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री नायनार : **श्री प० गोपालन :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बीड़ी और सिगार मजदूर (रोजगार की शर्तों) अधिनियम, 1966 के उपबन्धों को विभिन्न राज्य सरकारों पर लागू करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में राज्य सरकारों से परामर्श किया है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारें अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में सहमत नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो ये राज्य सरकारें किन कारणों से उक्त अधिनियम को अपने राज्यों में लागू करने पर आपत्ति करती हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). बीड़ी और सिगार श्रमिक (रोजगार की शर्तें) अधिनियम, 1966 जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत पर लागू होता है। किसी राज्य में इस अधिनियम को प्रभावी बनाने का अधिकार वहां की राज्य सरकार को दिया गया है। हाल ही में इस मामले पर कुछ राज्यों के श्रम मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया गया। बैठक का निर्णय यह था कि पहली मई, 1968 से सभी राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम को पूर्ण रूप से लागू किया जाय। सब राज्य सरकारों को तदनुसार पत्र भेजे गये हैं।

Cost of Agricultural Production

4905. **Shri Deorao of Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to set up a machinery to determine the actual cost of agricultural production ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) (a) and (b) The Ministry of Food, Agriculture, C. D. and Co-operation has set up a Standing Technical Committee for the purpose of providing necessary guidance in organising the collection of data on indices of input costs and also in organising cost of production surveys on an intergrated basis. Certain proposals for organising collection of these data made by the Committee, are under consideration of the Government.

आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान के लिए उर्वरक की आवश्यकता

4906. **श्री य० अ० प्रसाद.:**
श्री न० कु० सांधी :
श्री धीरेन्द्र नाथ देव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान को प्रतिवर्ष कितने उर्वरक की आवश्यकता होती है;

(ख) वर्ष 1967-68 में इन राज्यों को कितना उर्वरक देने का लक्ष्य है;

(ग) अब तक कितना उर्वरक सप्लाई कर दिया गया है; और

(घ) क्या वर्ष 1967-68 में लक्ष्य पूरा हो जाने की संभावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) से (घ). प्राथमिकता के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाई जाने वाली भूमि और 1967-68 के लिए उर्वरकों की उपलब्धि के आधार पर, केन्द्रीय दलों ने राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की सलाह से आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा राजस्थान की निम्नलिखित आवश्यकताओं और निर्धारित मांग की तुलना में होने वाले नियतनों का अनुमान लगाया है :

(आंकड़े—नाईट्रोजन तथा मीटरी टनों में)

राज्य का नाम	केन्द्रीय उर्वरक भण्डार से पूरी होने वाली मांग	बिक्री के खुले कोटे से पूरी होने वाली मांग	भण्डार नियतनों की तुलना में 5-12-67 तक होने वाली वास्तविक सप्लाई
1. आन्ध्र प्रदेश	1,39,880	43,000	63,959
2. उड़ीसा	25,720	14,000	4,864
3. राजस्थान	28,160	--	12,570

सप्लाई आगे जारी है । यदि राज्य सरकारों को लक्षित नियतनों की आवश्यकता हो और वे प्रेषण निर्देश देने और स्टाक उठाने के बारे में पर्याप्त प्रबन्ध करें, तो राज्य सरकारों की इच्छानुसार सप्लाई कर दी जायेगी ।

उर्वरकों के मूल्य

4907. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष के दौरान उर्वरकों के मूल्य कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में कितनी कमी करने का विचार है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में नलकूप लगाने के लिए ऋण

4908. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने 1967-68 में राज्य में नलकूप लगाने के लिए ऋण मांगा है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा मांगे गये ऋण का स्वरूप क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) 1967-68 की अवधि में योजना सलाहकारों ने पश्चिम बंगाल सरकार के लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए 616 लाख रुपए के व्यय की सिफारिश की थी। राज्य सरकार ने भारत सरकार से प्रार्थना की थी कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में लघु सिंचाई की कुछ चुनी हुई योजनायें शुरू करने के लिए उसे 84 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता दी जाए। राज्य सरकार ने उस जिले में 100 कम गहरे कुएं खोदने के लिए इस रकम में से केवल 15 लाख रुपए की रकम सुरक्षित रखी थी।

(ग) चालू वर्ष में बजट की कमी के कारण किसी भी राज्य को, जिसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त रकम अलाट करना सम्भव नहीं हो सका है।

पश्चिम बंगाल में रोजगार

4909. **श्री बे० कृ० दास चौधरी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1966 से अब तक पश्चिम बंगाल में कितने व्यक्तियों ने काम दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम दर्ज कराये हैं;

(ख) पश्चिम बंगाल में वर्ष 1966 से अब तक कितने व्यक्तियों को काम दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से रोजगार दिलाया गया;

(ग) पश्चिम बंगाल में कुल कितने तथा कहां-कहां पर काम दिलाऊ दफ्तर हैं और सरकार का विचार कितने और काम दिलाऊ दफ्तर खोलने का है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). विवरण संलग्न है। (अनुक्रमणिका एक) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2080/67**]

(ग) नियोजन कार्यालय	—	25
खान नियोजन कार्यालय	—	2
विकलांगों के लिए विशेष नियोजन कार्यालय	—	1
विश्वविद्यालय नियोजन सम्बंधी सूचना और मार्ग दर्शन केन्द्र	—	3
	कुल	31

उन नगरों की सूची जहां नियोजन कार्यालय स्थापित है संलग्न है (अनुक्रमणिका–दो) [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०-2080/67**] इस समय सन् 1968-69 के दौरान नए नियोजन कार्यालय खोलने का कोई विचार नहीं है।

आयातित ट्रैक्टरों का वितरण

4910. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये ट्रैक्टरों के आयात के कोटे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है;

(ख) विभिन्न क्षेत्रों के उन किसानों की संख्या क्या है जिन्होंने ट्रैक्टरों के लिये अपने नाम दर्ज कराये हैं और जिनके नाम ट्रैक्टरों की सप्लाई के लिये प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ग) ऐसे किसानों की संख्या कितनी है जिनकी गत तीन वर्षों में मांग पूरी नहीं की गई है; और

(घ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पंजाब का कृषि के मामले में विशेष महत्व है, पंजाब को ट्रैक्टरों की मांग की पूरी पूर्ति करने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) देश के विभिन्न प्रदेशों के लिए, उन प्रदेशों में यंत्रीकरण के रुख को देखते हुए और उन प्रदेशों में जहां प्रगति अपर्याप्त हैं, इस रुख की वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, तदर्थ आधार पर आयातित रूसी ट्रैक्टरों के लिए कोटे निश्चित किए जाते हैं। यही नीति उन आयातित चैक ट्रैक्टरों के बारे में भी अपनाई जाती है जो कृषि-उद्योग निगम द्वारा वितरित किए जाते हैं। फिर भी ऐसे मामलों में निगम की समर्थता को भी दृष्टि में रखना होता है।

(ख) और (ग). देशीय निर्माण तथा आयात दोनों के द्वारा ट्रैक्टरों की सप्लाई की जाती है। यद्यपि आयातित ट्रैक्टरों के लिए प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है, तथापि यह कहा जा सकता है कि ट्रैक्टरों की विशेषतया रूस से आयातित कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों की बड़ी मांग अभी पूरी नहीं हुई है।

(घ) उत्तरीय क्षेत्र में पंजाब तथा अन्य राज्यों में जहां ट्रैक्टरों की बहुत अधिक मांग है, एजेन्टों को आयातित रूसी ट्रैक्टरों का एक बड़ा कोटा निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, चेकोस्लोवाकिया से आयात किए जाने वाले 1000 बिल्ट-अप जेटर-2011 ट्रैक्टरों में से 300 पंजाब को अलाट कर दिए गए हैं। पंजाब के किसान भी देश के अन्य भागों के किसानों की भांति देश में निर्मित ट्रैक्टर भी खरीद सकते हैं।

भारतीय डाक-टिकट

4911. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशों में भारतीय डाक टिकटों की बिक्री बहुत बढ़ सकती है यदि उनके डिजाइनों में सुधार कर दिया जाये और उनका प्रचार बढ़ा दिया जाये;

(ख) क्या यह भी सच है कि डाक टिकटों के डिजाइन बनाने के लिए सरकार को गवर्नमेंट प्रेस, नासिक पर निर्भर होना पड़ता है;

(ग) क्या सरकारी सेवाओं से बाहर के कलाकारों को ढूंढने के लिए कोई प्रयत्न किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ऐसी आशा है कि यदि हमारे डाक-टिकटों के डिजाइन और प्रचार में सुधार हो जाए तो विदेशों में उनकी बिक्री में सुधार हो सकता है।

(ख) से (घ). हमारे डाक-टिकटों का डिजाइन तैयार कराने में आमतौर पर गवर्नमेंट सिक्यूरिटी प्रेस, नासिक से सम्बद्ध कलाकारों की सेवाओं का उपयोग किया जाता है। अपवाद-स्वरूप बाहर के कलाकारों से भी डिजाइन मंगाकर उनका उपयोग किया जाता है, यथा—बुद्धजयन्ती, कालिदास, टैगोर, जवाहर ज्योति डाक-टिकट।

Automatic Telephone Exchange at Amraoti.

4912. **Shri Jagannath Rao Joshi :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the people of Badnera (Maharashtra) are experiencing much inconvenience particularly in regard to getting telephone numbers, booking calls, etc. since the installation of an automatic Telephone Exchange at Amraoti which is at a distance of 6 miles from Badnera ; and

(b) if so, the steps taken to remove these difficulties ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) Some complaints have been received from the Nagpur Vidharbha Chamber of Commerce and others.

(b) Technical attention at Badnera exchange has been improved to ensure prompt attention to faults and complaints as and when reported. It has also been decided to include Badnera Exchange in the local area of Amraoti telephone system. Implementation of this decision is pending receipt of some stores.

श्रम मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के निगम

4913. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन स्थापित सरकारी क्षेत्र या स्वायत्तशासी निगमों का प्रचार कार्य कौन सी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) क्या यह पूर्णतया भारतीय है; और

(ग) वर्ष 1966 तक उनको कितना कमीशन दिया गया है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). कोई नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के अथवा स्वायत्तशासी निगम के लिये विज्ञापन एजेंसी

4914. **श्री काशीनाथ पाण्डेय** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र अथवा स्वायत्तशासी निगमों का प्रचार कार्य कौन सी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है;

(ख) क्या यह पूर्णतया भारतीय है;

(ग) वर्ष 1966 तक उनको कितना कमीशन दिया गया है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). संचार विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के दो उपक्रम हैं जिनके नाम हैं, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर तथा हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास । इन दोनों उपक्रमों के बारे में अपेक्षित सूचना अधोलिखित है :

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	विज्ञापन अभिकरण का नाम	क्या विज्ञापन अभिकरण पूरी तरह भारतीय स्वामित्व में है	विज्ञापन अभिकरण को 1966 तक अदा की गयी राशि
इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर	(i) एडवर्टाइजिंग एण्ड सेल्स प्रोमोशन कम्पनी, बंगलौर	पूर्णत: भारतीय स्वामित्व	*रु० 12,996/-

*विज्ञापन अभिकरणों को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है किन्तु जो चित्रण-कार्य (आर्ट वर्क) वे करते हैं उसके लिये उन्हें भुगतान किया जाता है ।

	(ii) एल० पी० ई० अय्यर्स, प्राइवेट लिमिटेड, बम्बई	अंशतः भारतीय स्वामित्व (लंदन प्रेस एक्सचेंज लि०, यू० के० से इसका सहयोग है)।	*रु० 1,970/-
हिन्दुस्तान टेलीप्रिण्टर्स लिमिटेड, मद्रास	नेशनल एडवर्टाइजिंग सर्विस, मद्रास	पूर्णतः भारतीय स्वामित्व	कुछ नहीं (नियुक्ति जुलाई, 1967 से हुई है और अभी तक कोई अदायगी नहीं की गयी हैं)।

शोलापुर में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र

4915. **श्री दामानी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शोलापुर में एक स्वचालित टेलीफोन केन्द्र के निर्माण के लिये भूमि अर्जित की गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और उसके कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) कब तक इस टेलीफोन केन्द्र द्वारा कार्य आरम्भ कर दिये जाने की आशा है;

(घ) क्या टेलीफोनों की कुल आवश्यकता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है और उतने टेलीफोन देने के लिये पर्याप्त क्षमता की व्यवस्था की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं, किन्तु भू-अधिग्रहण की कार्रवाई चालू है।

(ख) जमीन के अधिग्रहण होने और ले लिये जाने के बाद इमारत के निर्माण में लगभग $2\frac{1}{2}$ वर्ष लग जाएंगे।

(ग) इमारत पूरा होने पर एक्सचेंज उपस्कर लगाये जाएंगे और उनका संस्थापन-कार्य शुरू होने के बाद उनमें लगभग 18 महीने लग जाएंगे।

(घ) जी हां।

Rehabilitation of Refugees from Aden, Ceylon and Pakistan

4916. **Shri Nathu Ram Ahirwar** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who came over to India from Aden, Ceylon and Pakistan during the last three months ;

*विज्ञापन अभिकरणों को कोई कमीशन नहीं दिया जाता है किन्तु जो चित्रण-कार्य (आर्ट वर्क) वे करते हैं उसके लिये उन्हें भुगतान किया जाता है।

(b) the places where they have been rehabilitated ; and

(c) the arrangements made for providing the accommodation, employment and other facilities ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation (Shri D. R. Chavan) : (a) No refugee has come from Aden to India during the last three months. However, 2,306 Indian nationals have returned from Aden since September, 1967 by the Mogul Line Ships. In addition some more persons might have returned by air or by ships of other Companies.

No refugee has arrived from Ceylon.

During the last three months, commencing from 1.9.67, 3,020 refugees have arrived in India from East Pakistan.

(b) and (c). The Government of India have granted liberalised customs and import trade control concessions to the Indian arriving from Aden, as warranted by the situation. No other rehabilitation assistance is to be provided to them.

As regards refugees from East Pakistan, rehabilitation assistance according to the accepted pattern is provided to those migrants who get admission in camps. In addition to free accommodation the refugees in camps are given cash-doles, clothing, blankets, utensils, educational and medical facilities. None of the refugees arriving from East Pakistan during the last three months, has been rehabilitated so far.

Radio Signal Tower in Andaman and Nicobar Islands

4917. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to instal a radio signal tower in Andaman and Nicobar Islands ;

(b) if so, the estimated cost, the amount of foreign exchange involved, and the country with whose assistance it would be installed ; and

(c) when it is likely to be installed ?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral) : (a) to (c). The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

अहमदाबाद डिवीजन का विभाजन

4918. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान अहमदाबाद डिवीजन बहुत बड़ा है जिसके कारण कर्मचारियों में अकार्यकुशलता और काम के प्रति उपेक्षा बढ़ रही है;

(ख) क्या सरकार को इस डिवीजन के दो प्रथम श्रेणी के डिवीजन बनाने के बारे में कोई प्रस्ताव मिले हैं, एक अहमदाबाद शहर के लिये और दूसरा देहाती क्षेत्रों के लिये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) अहमदाबाद डिवीजन, बेशक बहुत बड़ा है, किन्तु प्रवर अधीक्षक की सहायता के लिए एक उप डाकघर अधीक्षक का पद मंजूर कर दिया गया है। अकार्यकुशलता और लापरवाही के कोई गंभीर मामले ध्यान में नहीं आए हैं।

(ख) जो प्रस्ताव प्राप्त हुआ था वह प्रथम श्रेणी के दो डिवीजनों के लिए नहीं था बल्कि प्रथम श्रेणी के मौजूदा अहमदाबाद डिवीजन का विभाजन करके दूसरी श्रेणी के एक अतिरिक्त डिवीजन के लिए था;

(ग) इस प्रस्ताव की जांच की गई थी और यह निश्चय किया गया था कि विभाजन पर तभी विचार किया जाए जबकि प्रथम श्रेणी के दो डिवीजनों का औचित्य हो। अहमदाबाद प्रधान डाकघर के स्तर में होने वाले कुछ प्रत्याशित परिवर्तनों के साथ ही दोनों डिवीजनों की सीमाओं को तय करने में आने वाली कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव को अभी तक अन्तिम रूप देना संभव नहीं हो सका है।

Grape Cultivation in East and West Nimad (M. P.)

4919. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether any survey has been carried out to find out areas in the country including about 1200 square miles land in East and West Nimad to asses their suitability for grape cultivation ;

(b) if so, the result thereof; and

(c) the steps taken for grape cultivation in these areas ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Development of Cotton and Groundnut Cultivation in Nimad (M. P.)

4920. **Shri Shashibhushan Bajpai**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have selected certain places in the country including 1200 square miles land in West and East Nimad for research in regard to its suitability for the development of cotton and groundnut cultivation ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2081/67].**

Distribution of Improved Seed for Rabi Crop

4921. **Shri Nathu Ram Ahirwar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of improved seeds and the varieties thereof distributed State-wise, by the Central Government for Rabi crop; and

(b) the prices at which these seeds were supplied to the farmers?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) and (b). The production of seeds to meet their requirements is the responsibility of the State Governments themselves. In case of any shortage, the Central Government assists the State Governments by organising special seed production programmes through the National Seeds Corporation as well as by the diversion of supplies from surplus States.

For Rabi-67 crop, the following quantities of seeds have been arranged:—

		Quantity (in tonnes)
(i)	**Wheat**	
	1. Bihar	13,052
	2. West Bengal	3,500
	3. Madhya Pradesh	4,000
	4. Rajasthan	950
	5. Himachal Pradesh	2,000
	6. Assam	80
	7. Orissa	500
(ii)	**Gram**	
	1. Bihar	8,160
	2. Rajasthan	900
	3. Himachal Pradesh	40
	4. Assam	5
	5. Orissa	20
	6. Jammu and Kashmir	200
(iii)	**Barley**	
	1. Bihar	900
	2. Rajasthan	250
	3. Jammu and Kashmir	150

The above quantities of seeds have been procured by the States concerned from Punjab except for small quantities supplied by the Central State Farm, Suratgarh. As the seeds have been procured directly by the State Governments and distributed to farmers also by them directly, information about varieties and the price at which distributed is not available.

Training for Members of Co-operative Societies

4922. **Shri K. M. Madhukar:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) Whether Government are considering a change in the form of the training facilities being provided for the members of the co-operative societies; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

राज्यों को खाद्यान्न की सप्लाई

4923. **श्री बूटा सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश को कितनी मात्रा में आयातित गेहूं की सप्लाई की गई तथा इन राज्यों को आयातित गेहूं की कितनी-कितनी आवश्यकता थी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश को जनवरी, 1967 से नवम्बर, 1967 तक सप्लाई की गई आयातित गेहूं की कुल मात्रा और उन राज्यों द्वारा मांगी गई गेहूं की आवश्यकता का ब्योरा निम्नलिखित है :

(हजारों टनों में)

राज्य	सप्लाई की मात्रा	मांग
पंजाब	70	15 से 20 प्रति मास
हरियाना	63	10 से 16.7 प्रति मास
हिमाचल प्रदेश	38	9 से 17.6 प्रति मास

बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र

4924. **श्री स० चं० सामन्त** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बल्लभगढ़ टेलीफोन केन्द्र, जो फरीदाबाद के काफी बड़े औद्योगिक क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करता है प्रायः खराब रहता है और इसके फलस्वरूप उस क्षेत्र के उद्योगपतियों को बड़ी असुविधा और कठिनाई होती है; और

(ख) यदि हां, तो इस टेलीफोन केन्द्र के कार्य-संचालन को सुधारने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। बल्लभगढ़ टेलीफोन एक्सचेंज संतोषप्रद ढंग से काम कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सहायक विधि सलाहकारों की भर्ती

4925. **श्री राम चरण** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1967 में, 900–1100 के वेतन-मान में सहायक

विधि सलाहकारों के दो पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे और उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 16, 17 और 18 अगस्त, 1967 को साक्षात्कार लिया गया था;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित अर्हता को पूरा करने के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारम्भ में कितने उम्मीदवारों की सिफारिश की गई थी और उनमें साक्षात्कार के लिए विधि मंत्रालय की सिफारिश पर कितने और व्यक्तियों को शामिल किया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि साक्षात्कार के लिए बुलाए गए तीन उम्मीदवार, पद के लिए नियत की गई अर्हताओं को पूरा नहीं करते थे;

(घ) यदि हां, तो किस श्रेणी के अन्तर्गत उनको बुलाया गया था; और

(ङ) क्या किसी उम्मीदवार ने नियत अर्हताओं में रियायत की मांग की थी और उसे रियायत दी गई थी ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी हां।

(ख) 30 ऐसे अभ्यर्थी, जो आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए उपयुक्त समझे गए थे, साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए आयोग द्वारा चुने गए थे। इस संख्या में कोई तब्दीली नहीं हुई। साक्षात्कार के लिए बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची में किसी नाम को शामिल करने के लिए विधि मंत्रालय द्वारा कोई भी सिफारिश नहीं की गई।

(ग) और (घ). पद के लिए विज्ञापन में इस आशय का उपबन्ध था कि विहित अर्हताएं, उन अभ्यर्थियों के मामले में जो अन्यथा सुअर्हित हों, संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिल की जा सकती हैं। यह बात कि किस रीति में और किन मामलों में आयोग, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों के मामले में अर्हताओं को शिथिल करने का विनिश्चय कर सकता है, आयोग के आत्यंतिक विवेक के अन्तर्गत आती है। आयोग का विचार है कि किसी भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता के अवधारण सम्बन्धी विषयों में यह लोक हित में नहीं होगा कि उन विशिष्ट मामलों के बारे में, यदि कोई हों, जिनमें वह अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में अर्हताओं का शिथिल करना आवश्यक समझता है, जानकारी दी जाए।

(ङ) आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी की ओर से अर्हताओं को शिथिल करने की प्रार्थना नहीं की गई।

दण्डकारण्य परियोजना में काम कर रहे डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता

4926. **श्री स० कुण्डू** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1966 में उड़ीसा के कोरापूट जिले में दण्डकारण्य परियोजना में काम करने वाले डाक और तार विभाग के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को परियोजना भत्ता देना मंजूर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित कर्मचारियों को परियोजना भत्ता मिल गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) 6 दिसम्बर, 1966 से पहले केवल वही कार्यालय जो कि प्रायोजना प्राधिकारियों की विशेष प्रार्थना पर मुख्य रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खोले गए थे प्रायोजना भत्ता के लिए विचार किये जाने के हकदार थे । चूंकि दण्डकारण्य प्रायोजना में डाक-तार कार्यालय इन शर्तों को पूरा नहीं करते थे अतः यह भत्ता उनके लिए मंजूर नहीं किया गया । अब इन शर्तों को उदार बना दिया गया है और पोस्ट मास्टर जनरल से प्राप्त एक प्रस्ताव अब विचाराधीन है ।

Hindi Equivalents of Technical Terms in P & T Department

4927. **Shri Shiv Kumar Shastri**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether any publication containing Hindi equivalents of technical terms used in Posts and Telegraphs Department has been brought out ;

(b) if so, whether the copies thereof have been sent to all the Post Offices ;

(c) the number of post offices in which the list of Hindi equivalents for terms being used in Posts and Telegraphs Department is not available ; and

(d) the arrangements made or being made to meet this shortage ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) to (d). No. Hindi equivalents of P and T terms are being finalised by the Commission of Scientific and Technical Terminology under the Ministry of Education. As soon as they are finalised, they will be brought out in the form of a booklet which will be supplied to all the Post Offices.

Food Imports

4928. **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Chengalraya Naidu :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that U.S.A. has announced that 35 lakh tons of foodgrains would be sold to India during the first six months of 1968 ;

(b) if so, how does the said quantity compare with the supplies received during the corresponding period of the preceding years ; and

(c) the cost thereof and the terms of payment ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) The first P. L. 480 agreement with U. S. A. was entered into in August, 1956. The quantities of foodgrains received from the U. S. A. under P. L. 480 in the first six months of each year from 1957 to 1967 were as below :

Received during the first six months of	(Lakh M. T.) Quantity
1957	12.2
1958	8.3
1959	20.8
1960	20.0
1961	15.5
1962	12.0
1963	20.9
1964	23.2
1965	30.3
1966	46.1
1967	28.7

(c) The conditions which will be incorporated in the next agreement for the expected quantity of 3.5 lakh tonnes of foodgrains have not yet been finalised.

Central Assistance for Minor Irrigation Schemes in Rajasthan

4929. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the amount allocated by the Central Government for the minor irrigation schemes in Rajasthan State in 1967-68 with a view to increase the food production and the amount out of it granted so far?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): The total outlay on the minor irrigation programmme of Rajasthan has been fixed at Rs. 287 lakhs. Of this, an amount of Rs. 215 lakhs, representing the central assistance, has been allocated. The financial sanction for the central assistance, according to the existing procedure, is issued towards the close of the financial year for various Heads of Development on the basis of progress in actual expenditure.

Telephone Connections in Rajasthan

4930. **Shri Onkar Lal Bohra :** Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the total amount being spent by Government on new schemes in those areas of Rajasthan, where means of communications are badly lacking ;

(b) the number of telephone connections being provided during this year in different cities of Rajasthan, and the number of those being extended to villages and towns ; and

(c) the total number of new Telegraph and Post Offices proposed to be opened in Rajasthan during the current year the number of those already opened so far?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) It is not possible to indicate precisely the total amount being spent on new schemes as areas are not clearly definable.

(b) (i) Number of telephone connections being provided this year in Telephone Exchanges in various cities and towns of Rajasthan—3400, (ii) number of places (rural areas) where telephone facilities are being extended—20.

(c) (i) Total number of new Telegraph Offices to be opened during the current year in Rajasthan is 40 (out of which 20 offices have already been opened).

(ii) subject to departmental standard being fulfilled, it is proposed to open about 134 post offices in Rajasthan and of these 32 offices have been opened up to the end of October, 1967.

Hindi Teleprinters

4931. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) the number of Hindi teleprinters required for effective functioning of Devnagri Telegram system;

(b) the number of Hindi teleprinters at present available with the P and T Department and how this number compares with the number of teleprinters actually required as also the number of those out of them which are in working order; and

(c) when Hindi teleprinters will also be provided in such Post Offices which are at present having English teleprinters?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) As the traffic in Devnagri is rather meagre, no necessity has been felt of having Teleprinters using Devnagri script as a regular measure.

(b) 17 machines are at present available. The question of comparison does not arise in view of (a) above. All the 17 machines are in working order.

(c) A consignment of new Hindi Teleprinter machines is expected to be received by the end of 1968. These machines will be provided on circuits provided there is adequate traffic to justify introduction of teleprinter working.

Transmission of Hindi Telegrams

4932. **Shri Ramji Ram:** Will the Minister of **Communications** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in certain Telegraph Offices where provision has been made by the Department of Posts and Telegraphs for transmitting and receiving telegrams in Hindi, the Hindi telegrams are not transmitted expeditiously;

(b) the number of such Telegraph Offices where the receipt of Hindi telegrams is delayed because the Hindi knowing telegraph clerk are not available on duty; and

(c) the steps taken or proposed to be taken by Government to remove the shortcomings in this regard?

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): (a) No, on the other hand, to ensure expeditious disposal of telegrams in Devnagri script, in T. Os. which handle large number of such telegrams, separate circuits have been earmarked for the purpose.

(b) The department is not aware of any such case.

(c) Does not arise.

गोवा तट से दूर मछलियां पकड़ना

4933. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गहरे समुद्र तट से दूर मत्स्यग्रहण संगठन ने गोवा के तट से दूर बड़े क्षेत्रों में भारी संख्या में मछलियां होने का पता लगाया है;

(ख) क्या तट के साथ वाले अन्य क्षेत्रों में, जिनमें भारी संख्या में मछलियां होने की संभावना हो, सर्वेक्षण करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले संगठन ने नवम्बर, 1967 में गोवा के तट से दूर समुद्र में दो पोतों की सहायता से एक सर्वेक्षण शुरू किया था। सर्वेक्षण का उद्देश्य गोवा से दूर के क्षेत्रों में मछली-संसाधनों की जांच करना तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए ट्रेलिंग की उपयोगिता का अध्ययन करना था। इन दो पोतों ने 135 वर्गमील क्षेत्र में 20 से 40 फैन्थम की गहराई तक प्रयोग किये। इससे खासे अच्छे मीन क्षेत्रों का पता चला है परन्तु सही परिणाम प्राप्त करने के लिए मछली पकड़ने के अधिक प्रयोग करने पड़ेंगे।

(ख) और (ग). गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के केन्द्र के अधीन कई क्षेत्रों में ऐसे सर्वेक्षण हो रहे हैं। पिछले सर्वेक्षणों ने सौराष्ट्र, रत्नागिरि, मंगलौर, केरल, दक्षिण-पूर्वी मद्रास, विशाखापत्तनम तथा प्रादीप के तटों से दूर 40 फैन्थम की गहराई तक वाणिज्यिक स्तर पर मछली पकड़ने के कार्य को शुरू करने के लिए लाभप्रद जानकारी प्रदान की है।

बिना जोती भूमि का उपयोग

4934. **श्री मरंडी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री 11 जुलाई, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिना जोती भूमि को वर्ष 1967-68 में कृषि के लिये उपयोग करने सम्बन्धी आंकड़े क्या अब उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसी समूची भूमि को कृषि प्रयोजनों हेतु उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकारों से जिनमें संघ क्षेत्र भी शामिल हैं यह जानकारी इकट्ठा

करने में पर्याप्त समय लगता है, अतः कृषि वर्ष के पूरा करने के बाद अभी तक ऐसे आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) ऐसी भूमि को उपयोग में लाने के लिये उपयुक्त भूमि सुधार योजनायें तीनों क्रमानुसार पंचवर्षीय योजनाओं में शामिल की गई हैं। सन् 1966-67 के अन्त तक 101 लाख एकड़ भूमि का सुधार कर दिया गया है। सन् 1967-68 के लिए लगभग 5 लाख एकड़ के लक्ष्य हैं। भूमिहीन कृषि श्रमिकों के पुनर्वास के लिए बेकार भूमि सुधार सम्बन्धी केन्द्र चालित योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी बेकार भूमि का सुधार किया जा रहा है। इस काम में जो लागत आती है उसका 300 रुपये प्रति एकड़ तक के व्यय में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करती हैं। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें बिना जुती हुई भूमि को सीढ़ीदार खेत बनाने और उसको सुधारने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में तथा कुछ वर्षों में आसान किश्तों पर अदा किए जाने वाले ऋणों के रूप में सहायता भी देती हैं।

राजस्थान में अन्वेषणात्मक नलकूप

4935. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन के अधीन रिगों को राजस्थान से मद्रास ले जाने का निर्णय किया है;

(ख) क्या राजस्थान में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन द्वारा किया गया भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा छिद्रण-कार्य भूमिगत जल का राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में सिंचाई के काम के लिए उपयोग में लाने में सहायक सिद्ध हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में और अधिक ट्यूबवैल मंजूर करने का है ताकि उन इलाकों में जहां भूमिगत जल बहुतायत में है, बार-बार होने वाले अकाल की स्थिति को रोका जा सके ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) केन्द्रीय कृषि विभाग के अधीन कार्य करने वाली समन्वेषी नलकूप संगठन राजस्थान सरकार को 1964-65 से अकाल वाले क्षेत्रों में उत्पादन नलकूपों के निर्माण के लिए सहायता दे रहा है। यह पहले ही 167 सफल छिद्रण कर चुका है। हाल ही में राज्य की 1968-69 की वार्षिक योजना पर विचार करने के लिए हुई एक बैठक में निर्णय किया गया था कि अधिक नलकूप तैयार करने के बजाय 1968-69 में राजस्थान सरकार पहले ही सफलता से खुदे हुए नलकूपों के विकास और उपयोग पर अधिक ध्यान दे। अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि राजस्थान से वापस मंगवाये गये रिगों को किन क्षेत्रों में लगाया जायेगा।

(ख) जैसलमेर जिले में लाठी-डालवा-फतेहगढ़ ग्रामों के बीच तथा बाड़मेर जिले के भोटिया-नीमला क्षेत्र में किये गये समन्वेषी ड्रिलिंग कार्यों से पता चला है कि नलकूपों द्वारा भावी विकास करने के लिए भूमिगत जल उपलब्ध हो सकता है।

(ग) उपरोक्त (क) के उत्तर के कारण, यह प्रश्न नहीं होता। फिर भी, यह राजस्थान सरकार का कार्य है कि वह अपने संगठन अर्थात् राजस्थान भूमिगत जल मण्डल के माध्यम से अकाल वाले क्षेत्रों में अधिक नलकूपों के निर्माण करने के सम्बन्ध में विचार करे।

लंकारनसर तहसील में नलकूप

4936. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्थान चयन समिति ने 15 सितम्बर, 1967 को हुई अपनी बैठक में बीकानेर जिले की लंकारनसर तहसील में कुछ स्थानों पर बरमा-छेदकों को अपने हाथ में लेने की स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस राज्य में अपना काम समाप्त करने से पहले इन बरमा-छेदकों को अपने अधिकार में ले लेने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) जी हां, 15-9-1967 को जयपुर में हुई स्थान चयन समिति की बैठक में यह निर्णय किया गया था कि कलो तथा लंकारनसर के बीच के क्षेत्र में एक नलकूप को हाथ में ले लिया जाये।

(ख) संघीय कृषि विभाग के अन्तर्गत समन्वेषी नलकूप संगठन इस शर्त पर कि ऐसे स्थान प्राप्त हो जायें जहां भारी उपकरण ले जाये जा सकेंगे कलो तथा लंकारनसर के बीच के क्षेत्र में कार्य शुरू करेगा।

किदवईपुर (पटना) में डाक तथा तार विभाग की कालोनी की भूमि

4937. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में किदवईपुर में डाक तथा तार विभाग की कालोनी के धृतक्षेत्र संख्या 35 की 0.18 एकड़ भूमि पर बिहार राज्य के लोक निर्माण विभाग के भूतपूर्व मंत्री ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है;

(ख) क्या उक्त मंत्री ने इस भूमि को अपने नाम में करवाने के लिये डाक तथा तार विभाग से प्रार्थना की थी;

(ग) क्या डाक तथा तार विभाग के कर्मचारी संघ ने डाक तथा तार प्रशासन से प्रार्थना की थी कि यह भूमि विक्रय-विलेख के आधार पर पुस्तकालय, कर्मचारी संघ के कार्यालय आदि के लिये हस्तांतरित कर दी जाये; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। अवैध रूप से कब्जे में लिया गया वास्तविक क्षेत्र लगभग 0.29 एकड़ है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां, किन्तु प्रार्थना स्वीकार नहीं की गई।

(घ) सार्वजनिक स्थान (अनधिकृत दखलकार की बेदखली) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अंतर्गत भूतपूर्व लोक निर्माण मंत्री श्री राम लखन यादव को राजसम्पत्ति अधिकारी व पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा 6-12-67 को नोटिस दिया गया है जिसमें 21-12-67 तक या उसके पहले उनसे यह कारण बताने के लिए कहा गया है कि उन्हें बेदखली का आदेश क्यों न दिया जाए ? आगे की कार्रवाई उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

Canadian aid for Development of Kosi Region

4938. **Shri Gunanand Thakur:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Government of Canada has agreed to offer some financial assistance for the development of Kosi region;

(b) if so, the amount thereof; and

(c) the purposes for which it would be utilized?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

पहाड़ी ढलानों तथा ऊबड़खाबड़ क्षेत्रों के लिये वृक्ष

4939. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वृक्षों से रहित पहाड़ी ढलानों तथा ऊबड़खाबड़ क्षत्रों में दक्षिण अमरीका के सस्त किस्म के वृक्ष लगाने के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में विमानों द्वारा बीज डालने का प्रयोग करेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). पूछी गई जानकारी इकट्ठी की जा रही है और मिलने पर सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी उत्पादन की लागत तथा चीनी के विक्रय मूल्य

4940. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चीनी की क्षेत्रवार वास्तविक उत्पादन लागत क्या है;

(ख) चीनी का कारखानों द्वारा विक्रय मूल्य क्या है;

(ग) (एक) सरकारी दुकानों और (दो) खुले बाजार में उसके खुदरा मूल्य क्या हैं;

(घ) विभिन्न देशों में पोत पर्यन्त विक्रय मूल्य क्या हैं;

(ङ) भारत में 1966-67 में चीनी का कुल कितना उत्पादन हुआ था; और

(च) इसी अवधि में भारत में अनुमानतः कुल कितनी खपत हुई ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के सेक्शन 3 के सब सेक्शन (3c) के उपबन्धों के अनुसार चीनी जांच आयोग द्वारा 1967-68 में उत्पादित चीनी के सम्बन्ध में की गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने जोनवार निम्नलिखित मूल्य निर्धारित किये हैं :

	कारखाना द्वारा मूल्य (प्रति क्विन्टल) रुपयों में
जोन 1.	
महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर मैसूर और उत्तर आंध्र प्रदेश के कारखानों में	145.00
जोन 2.	
उड़ीसा, आंध्र के बाकी भागों में मद्रास, दक्षिण मैसूर, केरल और पांडीचेरी के कारखानों में	161.00
जोन 3.	
मेरठ, मुजफ्फरनगर के कारखानों, बुलन्दशहर तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों, हरियाना, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान में	169.50
जोन 4.	
देहरादून और सहारनपुर जिलों के कारखानों, रोहिलखंड, आगरा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लखनऊ डिवीजनों में	156.00
जोन 5.	
पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के कारखानों में	158.00
आसाम कोआपरेटिव शूगर मिल्स, आसाम	167.50

(ग) यह मूल्य गतवर्ष दिये गये गन्ने के मूल्यों पर आधारित हैं। इस वर्ष कारखाने गन्ने के लिये अधिक मूल्य दे रहे हैं। 1967-68 में उत्पादित सामान्य किस्म की चीनी का मूल्य खुले बाजार में 4.40 रुपये प्रति किलोग्राम है।

(घ) 1967 में निर्यात की गई चीनी का जहाज तक का मूल्य इस प्रकार है :

देश	प्रति टन रुपयों में
अमरीका	1,000
ब्रिटेन (समझौता कोटा)	370
ब्रिटेन (तय मूल्य कोटा)	1,000
कनाडा	365

(ङ) और (च). 1 नवम्बर, 1966 से 31 अक्तूबर, 1967 के दौरान चीनी का उत्पादन और खपत क्रमशः 21.43 और 26.19 लाख टन है

पटना में डाक और तार विभाग के कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

4941. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना में डाक तथा तार के अराजपत्रित कर्मचारियों के छत्तीस क्वार्टरों को दो-दो क्वार्टरों में विभक्त करना स्वीकार कर लिया गया है, क्योंकि उनका न्याधार क्षेत्रफल उनमें रहने वाले कर्मचारियों के वेतन-वर्ग के हिसाब से अधिक बैठता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि अधिक न्याधार क्षेत्रफल वाले क्वार्टरों के सम्बन्ध में, जिनमें डाक और तार विभाग के राजपत्रित अधिकारी रहते हैं, सरकार के मितव्ययता के मानक लागू नहीं किये गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो अराजपत्रित तथा राजपत्रित अधिकारियों के बीच किये गये इस भेद-भाव को दूर करने तथा क्वार्टरों का समुचित विभाजन सुनिश्चित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) ऐसा प्रस्ताव रखा गया है कि तीन कमरे वाले 36 क्वार्टरों में रद्दोबदल और बढ़ोतरी करके सुधार किया जाए और उन्हें दो कमरे वाले 72 क्वार्टर बना दिये जाएं।

(ख) और (ग). ऊंची श्रेणी के बंगलों में बहुत ज्यादा रद्दोबदल के बिना, जिसका मतलब उन्हें लगभग फिर से ही बनाना हो जाता है अपेक्षित नीची श्रेणी में नहीं बदला जा सकता।

पटना में डाक तथा तार के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

4942. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच हैं कि दिनांक 16 जून, 1966 के डी० जी० पी० एण्ड टी०

नं० 2/23/66 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार पटना के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए विशेष रूप से बनाये गये तीन कमरों वाले क्वार्टरों का दर्जा बढ़ा दिया गया है और उन्हें बिहार के पोस्टमास्टर जनरल द्वारा राजपत्रित अधिकारियों को एलाट कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार की वर्तमान सामान्य नीति के अनुसार विभिन्न वेतन श्रेणियों में कर्मचारियों को किसी एक स्टेशन पर अधिक से अधिक 20 प्रतिशत क्वार्टर एलाट किये जाते हैं किन्तु इस नीति के विपरीत पटना में 250-00 से 399-00 तक की रुपये की वेतन श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले क्वार्टरों का दर्जा बढ़ा दिया गया था जिससे अब इस वेतन श्रेणी के केवल पांच प्रतिशत कर्मचारियों को ही क्वार्टर मिल सकेंगे;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) सभी का नहीं बल्कि ऐसे केवल 14 क्वार्टरों का जो खाली हो गए थे, दर्जा बढ़ाया गया है और उन्हें संशोधित बचत के प्रतिमानों के अनुसार अलाट किया गया है । क्वार्टर किसी विशेष वेतन वर्ग के लिए बनाये जाते हैं, राजपत्रित या अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए नहीं ।

(ख) जी नहीं । इस समय 250 रु० से 399 रु० के वेतन वर्ग वाले 28 प्रतिशत कर्मचारियों के पास क्वार्टर हैं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उड़ीसा में सीधा टेलीफोन सम्पर्क

4943. **श्री गु० च० नायक** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बारविल (उड़ीसा) से रूरकेला, झारसुगुडा, संबलपुर, कलकत्ता और जमशेदपुर के लिए सीधा टेलीफोन सम्पर्क है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्पर्क की व्यवस्था कब तक की जाने की संभावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं ।

(ख) इस समय ऐसे कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि परियात के आधार पर इन स्थानों के लिये सीधे परिपथों की व्यवस्था करना न्यायोचित नहीं है ।

मनीपुर में भूमि बन्धक बैंक

4944. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में एक भूमि बन्धक बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो आज तक यह बैंक स्थापित न किये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख) . मनीपुर प्रशासन ने चौथी योजना के दौरान मनीपुर में एक भूमि बन्धक बैंक गठित करने के लिए प्रस्ताव किया था। मनीपुर में सहकारी आन्दोलन के विकास की वर्तमान अवस्था तथा व्यापार की सम्भावना को देखते हुए, प्रशासन को यह सलाह दी गई कि एक अलग भूमि बन्धक बैंक खोलने के बजाय मनीपुर के शीर्ष सहकारी बैंक को भूमि बन्धक बैंकिंग के लिए एक अलग विभाग खोलना चाहिए। प्रशासन तद्नुसार कार्यवाही कर रहा है और उसने इस प्रयोजन के लिए अपनी 1968-69 की योजना में आवश्यक वित्तीय व्यवस्था भी की है।

मनीपुर में डाक व तारघर

4945. **श्री मेघ चन्द्र** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मनीपुर संघ राज्य-क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्रों तथा घाटी में अब तक कितने डाकघर, शाखा डाकघर और तारघर खोले जा चुके हैं ;

(ख) वहां देहाती क्षेत्रों में कितने शाखा डाकघर तथा तारघर खोले जायेंगे ; और

(ग) वहां कितने शाखा डाकघरों में पूर्णकालिक कर्मचारी हैं तथा कितने डाकघरों में केवल अशंकालिक कर्मचारी है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) 189 शाखा डाकघरों सहित कुल 206 डाकघर और 19 तारघर।

(ख) 38 शाखा डाकघर और 3 तारघर।

(ग) (i) उन शाखा डाकघरों की संख्या जहां पूर्णकालिक कर्मचारी हैं.....5

(ii) उन शाखा डाकघरों की संख्या जहां केवल अंशकालिक कर्मचारी हैं.....184

बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी की मिलें

4946. **श्री वेणी शंकर शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और उत्तर प्रदेश में चीनी की कितनी मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें 1966-67 के मौसम में चलती रही थीं और उससे पहले वर्ष, अर्थात् 1965-66 की तुलना में उनके उत्पादन का अनुपात क्या रहा था;

(ग) 1966-67 के मौसम में और 1965-66 के मौसम में गुड़ का कितना उत्पादन हुआ था ; और औसत विक्रय मूल्य कितना था; और

(घ) बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मद्रास में गन्ना उत्पादकों को मिलों से तथा गुड़ और खंडसारी निर्माताओं से क्रमशः अपने गन्ने का प्रति एकड़ कितना मूल्य मिलता है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) :

(क) और (ख). अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :

राज्य	कारखानों की कुल संख्या		काम करने वाले कारखानों की संख्या		चीनी का उत्पादन (लाखों टनों में)	
	1965-66	1966-67	1965-66	1966-67	1965-66	1966-67
बिहार	29	29	29	29	3.71	2.11
उत्तर प्रदेश	72	72	71*	71*	13.70	7.11

(ग) मौसम	गुड़ और खांडसारी का अनुमानित उत्पादन (लाखों टनों में)	मुजफ्फरनगर मंडी में गुड़ का औसतन मूल्य (प्रति क्विन्टल)
1965-66	69.1	60.9
1966-67	60.9	147.9

(घ) राज्य 1966-67 में चीनी उत्पादकों को गन्ने की सप्लाई किये जाने पर गन्ने का प्राप्त मूल्य प्रति एकड़ ।

	चीनी मिलें	गुड़ और खांडसारी निर्माता
उत्तर प्रदेश	760	1080
बिहार	695	1070
मद्रास	1785	2750
महाराष्ट्र	1580	2280

भारतीय सहकारिता कांग्रेस

4947. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

श्री जगेश्वर यादव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं भारतीय सहकारिता कांग्रेस की हाल में दिल्ली में बैठक हुई थी ;

*कानपुर स्थित प्रयोगात्मक कारखाना काम नहीं कर रहा है ।

(ख) इस बैठक में किन विषयों पर विचार किया गया था ;

(ग) इस कांग्रेस ने क्या निर्णय किए थे ; और

(घ) उसकी सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित विषयों पर विचार किया गया था :

(1) सहकारी आन्दोलन तथा स्वतः नियमन ;

(2) सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि ऋण ;

(3) सहकारी विपणन तथा विधायन ;

(4) उपभोक्ता सहकारी समितियां ;

(5) औद्योगिक सहकारी समितियां ;

(6) शहरी ऋण, गृह निर्माण तथा बीमा सहकारी समितियां ।

(ग) भारत के राष्ट्रीय सहकारी संघ, जिसने कांग्रेस का आयोजन किया था, से इनकी प्रतीक्षा है ।

(घ) जब कांग्रेस की सिफारिशें प्राप्त होंगी तब सरकार उन पर विचार करेगी ।

बर्मा से वापिस आये भारतीय मूलक लोगों को प्लाटों का दिया जाना

4948. **श्री ओंकार लाल बेरवा** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने बर्मा से वापस आये भारतीय मूलक शरणार्थियों से उन्हें प्लाट/भूमि देने के लिये विहित फार्मों पर आवेदन-पत्र मांगें हैं ;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन ने बर्मा से वापस आये भारतीय मूलक लोगों को निवास/वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु दिल्ली विकास प्राधिकार से कुछ प्लाट/भूमि नियन्त्रण से मुक्त करने के लिये जोर दिया है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली प्रशासन बर्मा से वापस आये भारतीय मूलक लोगों को कब तक प्लाट देने का विचार कर रहा है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) : जी, नहीं । दिल्ली प्रशासन को इस सम्बन्ध में तीन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं ।

(ख) से (घ). वजीरपुर निवास योजना, रूप II के अन्तर्गत निर्मित 61 मकानों को बर्मा से आये शरणार्थियों को अलाट करने के लिये आरक्षित रखे गये हैं। इन प्लाटों को अलाट करने के लिये शीघ्र ही आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे।

कालकाजी कालोनी

4949. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम ने वर्मा से आये हुए भारत मूलक लोगों को देने के लिये कालकाजी कालोनी में दुकानों के लिये निविदायें मांगी है;

(ख) क्या इन दुकानों का निर्माण-कार्य पूरा करने तथा इनके आवंटन के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो ये दुकानें बर्मा से आये शरणार्थियों को कब दी जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण-कार्य का ठेका न दिये जाने के क्या कारण है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) बर्मा से आये मूलक लोगों को दुकान के प्लाट अलाट करने और अपनी दुकानें निर्मित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव है।

वर्मा से स्वेदेश लौटे लोगों के लिये दुकानों का नियतन

4950. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने नई दिल्ली नगरपालिका को बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के लिये दुकानें नियत करने हेतु हिदायतें दी थीं;

(ख) क्या स्टालों/दुकानों का नियतन करते समय नई दिल्ली नगरपालिका ने दुकानों/स्टालों के नियतन के लिये स्वदेश लौटे लोगों से पहले प्राप्त हुए आवेदन-पत्रों पर भी विचार किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या नई दिल्ली नगर पालिका ने बर्मा से स्वदेश लौटे लोगों के लिये दुकानों का नियतन करने हेतु निर्माणाधीन 'मोहन सिंह मार्केट' में कोई व्यवस्था की है ?

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चह्वाण) : (क) जी, हां।

(ख) स्टाल/दुकानों का नियतन नगरपालिका समिति, नई दिल्ली द्वारा टेन्डर आमंत्रित करके किया जाता है। और किसी आवेदन-पत्रों पर विचार नहीं किया गया था।

(ग) जी, नहीं।

पश्चिम बंगाल डिवीजन में रेलवे डाक सेवा के सार्टर

4951. **श्री अब्राहम :** **श्री गणेश घोष :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री एस्थोस :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 24 नवम्बर, 1967 को पश्चिम बंगाल डिवीजन में पुलिस की गोलीबारी से रेलवे डाक सेवा का एक सार्टर मर गया था;

(ख) यदि हां, तो पुलिस को किन परिस्थतियों के कारण गोली चलानी पड़ी; और

(ग) क्या सरकार ने इसके लिये कोई मुआवजा दिया है और पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि वह इस मामले की न्यायिक जांच कराये ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां। 24-11-1967 को मिरजापुर स्ट्रीट और हैरीसन रोड के चौराहे के आस-पास, जहां कि उस समय पुलिस ने गोलीबारी की थी, रेल डाक सेवा के एक सार्टर के गोली लगने से घायल हो जाने के कारण मर जाने की सूचना मिली है।

(ख) ऐसा लगता है कि पुलिस और विद्यार्थियों के बीच मुठभेड़ हो जाने के कारण गोली चलानी पड़ी थी।

(ग) मृतक की माता को 350 रु० की राशि अदा की गई है। दाहक्रिया के खर्च के लिए 50 रु० की रकम और अदा की गई है। अनुग्रह निधि से मंजूरी देने के प्रश्न पर भी विचार किया किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को उन परिस्थितियों की जांच करने के लिये पत्र लिखा गया है, जिनके कारण उक्त कर्मचारी की मृत्यु हुई थी।

मैसूर सर्किल का पोस्ट मास्टर जनरल

4952. **श्री गणेश घोष :**
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री उमानाथ :

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर सर्किल का पोस्ट मास्टर जनरल कार्यालय परिसर के एक भाग का उपयोग अपने निवास स्थान के लिये कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनसे उसे खाली कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) इमारत का कार्यालय साथ ही पोस्ट मास्टर जनरल, मैसूर सर्कल के निवास स्थान के लिये किराये पर ली गई थी।

(ख) चूंकि कार्यालय के लिये अब अधिक स्थान की जरूरत है, अतः पोस्ट मास्टर जनरल मसूर सर्कल से अपने निवास-स्थान के लिए अपनी निजी व्यवस्था करने की प्रार्थना की गई है।

सुपर बाजारों के सन्तुलन पत्र

4953. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री चक्रपाणि :**
श्रीमती सुशीला गोपालन : **श्री प० गोपालन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सुपर बाजारों ने अभी तक वर्ष 1966 के सम्बन्ध में अपने सन्तुलन पत्र प्रकाशित नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मामले में जांच कराने का सरकार का विचार है; और

(घ) सन्तुलन पत्र कब तक घोषित किए जाने की सम्भावना है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी) : (क) और (ख). 1966-67 में कार्य करने वाले बहु-विभागी भण्डारों में से अधिकांश अपने अस्थायी संतुलन-पत्र तैयार कर चुके हैं। उनकी लेखा-परीक्षा की जानी है, जोकि लगभग सभी मामलों में चल रही है। छः बहु-विभागी भण्डारों की लेखा-परीक्षा पूरी की जा चुकी है और उनके अन्तिम संतुलन-पत्र उपलब्ध हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) बहु-विभागी भण्डारों की लेखों की परीक्षा पूरी होते ही, उनके अन्तिम संतुलन-पत्र तैयार हो जाएंगे।

Land Development Banks

4954. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States in which land development banks or such other institutions are functioning for giving loan facilities to farmers for land development ;

(b) the conditions on which those banks give long-term and short-term loans to farmers and the annual rate of interest charged by each bank ;

(c) the basis on which the instalments are determined for the repayment of long-term or short-term loans in the said banks, particularly in the Uttar Pradesh State Co-operative Land Development Bank Limited ; and

(d) whether it is a fact that the time of repayment of the principal amounts by farmers are prolonged so that maximum interest could be charged from them and if so, Government's reaction thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) There are Land Mortgage/Devclopment Banks in all States except Nagaland.

(b) Land Mortgage/Development Banks give only long-term loans. The quantum of loan to be sanctioned to an applicant is determined by the bank with reference to the purpose for which the loan has been applied for, the security offered and the repaying capacity of the applicant. All security is in the form of mortgage of agricultural land. The rate of interest charged by each bank is indicated in the attached statement.

(c) The instalment for repayment are generally determined on the basis of purpose of loan and repaying capacity by way of net additional income that will accrue by effecting the development with the loans, although in some banks like the U. P. State Co-operative Land Development Bank the period of the loan is the same for all purposes.

(d) No such instance has come to the notice of Government.

Statement

Rate of interest charged by the Land Development Banks on long-term loans.

(Per cent per annum)

State	Usual rate
Andhra Pradesh	8.50
Assam	9.00
Bihar	8.50
Gujarat	8.75
Haryana	7.75
Jammu and Kashmir	7 to 8
Kerala	9.25
Madhya Pradesh	9.00
Madras	8.25
Maharashtra	6.5 to 9
Mysore	9.00
Orissa	9.25
Punjab	7.75
Rajasthan	9.00
Uttar Pradesh	8.25
West Bengal	9.5 to 10.00

कृषि तथा पशु चिकित्सा कालेजों में स्नातक पाठ्यक्रम

4955. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि तथा पशुचिकित्सा कालेजों को निदेश दिये हैं कि यदि वे जुलाई 1968 तक मैट्रिक अथवा उसके समान परीक्षा के बाद कृषि का पंचवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू नहीं करेंगे, तो वे भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् द्वारा दिये जाने वाले अनुदान के पात्र नहीं रहेंगे;

(ख) चतुरवर्षीय पाठ्यक्रम के स्थान पर पंचवर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने पर होने वाले व्यय का अनुमान क्या है; और

(ग) इस व्यय का कितना प्रतिशत केन्द्रीय सरकार समान अनुदान के रूप में वहन करेगी ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां। परन्तु जुलाई 1968 के पश्चात् इस सिफारिश को क्रियान्वित करने की सीमा बढ़ाने का प्रश्न पहले ही परिषद् के विचाराधीन है।

(ख) इण्टरमीडिएट के पश्चात् कृषि विषयक 3 वर्ष का डिग्री कोर्स शुरू करने पर होने वाले व्यय का अनुमान लगाने के लिए 1966 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक समिति की स्थापना की थी। चतुर्थ योजना के 4 वर्षों की अवधि में मौजूदा कृषि महाविद्यालयों के लिए 50.80 लाख रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया था।

(ग) इस समय भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् के कृषि प्रभाग के योजना उपबन्धों में इस प्रकार के किसी अनुदान की व्यवस्था नहीं की गई है।

Wage Board for Journalists

4956. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that a delegation of the Federation of News papers employees met him on the 5th December, 1967 in regard to the recommendations of the Wage Board for Journalists; and

(b) if so, the outcome thereof?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) and (b). A delegation of the Delhi Newspaper Employees Federation met me on the 5th December, 1967, in connection with the modifications made by Government in the recommendations of Wage Board for Non-journalists. They were advised to co-operate in securing the implementation of the recommendations as accepted by the Government instead of agitating for more.

They also stated that they would submit a memorandum about their demands for consideration of the Government.

आन्ध्र प्रदेश में चीनी के कारखाने

4957. **श्री नारायण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के चीनी के 19 कारखानों ने इस मौसम में गन्ना उत्पादकों को एक टन गन्ने के केवल 90 रुपये देने की पेशकश की है, जिसके कारण गन्ना उत्पादकों ने चीनी के कारखानों को गन्ना देना बन्द कर दिया है, जिससे चीनी उद्योग में गम्भीर संकट पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो आन्ध्र प्रदेश में गन्ने का पर्याप्त उत्पादन कराने के लिये सरकार क्या उपाय करने का विचार कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). जिन चीनी मिलों ने उत्पादन आरम्भ कर दिया है उनसे प्राप्त हुई सूचना के अनुसार गन्ने का मूल्य 8 से 10 रुपये प्रति क्विन्टल दिया गया है । आन्ध्र प्रदेश को गन्ने की सप्लाई रोकने के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है । राज्य सरकार गन्ने के मूल्य बढ़ाने के लिये कारखानों पर जोर दे रही हैं ।

Amalgamation of Co-operative Societies

4958. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Registrars of Co-operative Societies are not empowered to amalgamate or bifurcate the societies;

(b) whether Government are aware that in some States the Registrars of Co-operative Societies have amalgamated certain societies in the name of reorganisation; and

(c) if so, the steps being taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) No, Sir, Under the Co-operative Acts of certain States the Registrar has the necessary powers.

(b) and (c) : In States where the Registrar has the statutory powers to amalgamate or bifurcate societies, the exercise of such powers in appropriate situations cannot be ruled out. However, this is a matter primarily pertaining to the jurisdiction of State Governments as the Co-operative Acts in various States are passed by the State Legislatures.

De-officialisation of Co-operative Societies

4959. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Minister of State for Co-operation, while inaugurating the National Co-operative Conference on the 1st November, 1967, gave an assurance to the effect that a Working Group would be set up to consider the question of de-officialisation ; and

(b) if so, when it would be set up, its terms of reference and when it would start working ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). No National Co-operative Conference was held on November 1, 1967. However, while inaugurating the meeting of the Working Group on Co-operative Movement and Self-Regulation of the 5th Indian Co-operative Congress in New Delhi on December 3, 1967, the Minister said that he would set up a small group consisting of officials and non-officials to consider the steps to be taken to bring about more de-officialisation in the co-operative sector. The Group is going to be set up soon.

Co-operative Movement

4960. **Shri Yogendra Sharma :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Prime Minister gave a suggestion to the National Co-operative Conference that the co-operative movement should be freed from the vested interests and politics ;

(b) if so, whether Government have formulated any programme in this regard ; and

(c) the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : Measures towards this end are under consideration.

Appeals against Registrar of Co-operative Societies

4961. **Shri N. R. Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government had made a suggestion to the State Governments that provision should be made for the hearing of appeals against the orders of Registrars of Co-operative Societies ;

(b) the names of States which have not so far implemented this suggestion ;

(c) whether it is a fact that in many States, the Registrar is the highest appellate authority ; and

(d) if so, the names of such States where it has been statutorily laid down ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Yes, Sir.

(b) The Co-operative law in all States provides for hearing of appeals against the orders of the Registrar either by the State Government or by a Tribunal. In Assam, however, such appeals lie only on a question of law and/or on a dissolution of a society.

(c) and (d). In cases where persons other than the Registrar pass and order under the Co-operative Act, appeal lies to the Registrar/Tribunal. In cases where the order is passed by the Registrar himself, appeal lies to the State Government/Tribunal.

Crop Credit System

4962. **Shri N. R. Patil :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States in which the crop credit system, as directed by the Reserve Bank, has been introduced fully ;

(b) the names of States in which it has not been introduced fully ;

(c) the names of States which have given suggestions for modification in the procedure and the nature of suggestions made by them ; and

(d) the steps being taken by Reserve Bank of India on their suggestions ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) and (b). A statement is appended. **[Placed in Library. See No. LT-2082/67]**

(c) and (d). Information is being collected.

Disposal of Election Petitions

4963. **Shri N. R. Patil** : Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that disposal of Election Petitions is delayed due to the repeated postponement of cases on account of notices not having been served in time ; and

(b) whether it is proposed to lay down any time-limit for the disposal of such cases within six months by amending the existing law suitably ?

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) : (a) The Government have no information on this point as under the existing provisions of the Law, the High Courts are directly responsible for the trial of the election petitions.

(b) Apart from sub-section (7) of section 86 of the Representation of the People Act, 1951, which provides that the High Courts shall endeavour to conclude the trial of the petitions within six months from the date of presentation of the petition, no time limit has been fixed, as it cannot be fixed, under the law for the disposal of these election petitions. The discretion and independence of the Courts cannot for obvious reasons be fettered and curtailed in this fashion. There may be innumerable circumstances of a genuine nature under which it may not be possible or even desirable to finish a trial within a period of six months or any other fixed period.

टेलीग्राफ मास्टरों का वेतनमान

4964. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1958 से पहले चुने गये टेलीग्राफ मास्टरों तथा एल० एस० जी० टेलीग्राफ मास्टरों के वेतनमान एक समान नहीं हैं किन्तु तार कार्यालयों में उनको एक जैसा काम करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी हां ।

(ख) 1959 तक हुई विभागीय प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर नियुक्त किये गए तार मास्टर रु० 210-10-290-15-320द ० रो०-15-380 के संशोधित वेतनमान के हकदार हैं । उसके बाद यह सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा समाप्त कर दी गई और वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर तार प्रचालकों को पदोन्नत करके निम्न चुनाव पदक्रम के तार मास्टर नियुक्त करने का निश्चय किया गया । दूसरे वर्ग के ये तार मास्टर निम्न चुनाव पदक्रम के रु० 210-10-290-15-320-द० रो०-15-350 के वेतनमान में हैं । यह निम्न चुनाव

पदक्रम का वेतनमान डाक-तार प्रचालन कार्यालयों में सभी निम्न चुनाव पदक्रम के पदों के लिये एकसा है ।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिये गए उत्तर की दृष्टि से प्रश्न ही नहीं उठता ।

तारघरों को विभागीय तारघरों में बदलना

4965. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त तारघरों को विभागीय तारघरों में बदलने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो कितने तारघरों को विभागीय तारघरों में बदल दिये जाने की संभावना है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसा करने से क्या लाभ होने की सम्भावना है ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) संयुक्त डाक तारघरों को विभागीय तारघरों में सामान्य रूप से ही नहीं बदल दिया जाता । यह इस बात पर निर्भर करता है कि किसी विशेष डाक तार घर में परियात का भार कितना रहता है । उन्हें बदलने के निश्चित मानदंड निर्धारित किये गए हैं ।

(ख) जितने संयुक्त डाक-तारघर बदले जाने की शर्तें पूरी करेंगे बदल दिये जाएंगे । इस समय दो प्रस्तावों की जांच हो रही है ।

(ग) परियात के शीघ्र निपटान की दृष्टि से केवल तार के काम पर ध्यान देने के लिए ।

अखिल भारतीय तार यातायात तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ

4966. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय तार यातायात तृतीय श्रेणी कर्मचारी संघ ने संयुक्त सलाहकार व्यवस्था के माध्यम से अपने वेतनमान के सम्बन्ध में मध्यस्थ निर्णय स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मामला मध्यस्थ बोर्ड को सौंप दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो बोर्ड अपनी सिफारिशें कब तक दे देगा ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). टेलीग्राफिस्टों के वेतनमान में संशोधन करने के प्रश्न पर डाक-तार विभागीय परिषद् (संयुक्त परामर्शदातृ व्यवस्था) की 12-12-1967 को हुई बैठक में विचार-विमर्श हुआ था और इस प्रश्न पर सरकारी पक्ष और कर्मचारी पक्ष के बीच अन्तिम रूप से हुई असहमति स्वीकार कर ली गई । यदि नियमों के अनुसार कर्मचारी पक्ष विवाचन की मांग करेगा तो यह प्रश्न संयुक्त परामर्श

तथा अनिवार्य विवाचन व्यवस्था के अन्तर्गत विवाचन को सौंप दिया जायगा । यह बताना संभव नहीं है कि पंचाट देने में विवाचन बोर्ड को कितना समय लगेगा ।

नई दिल्ली में तार कर्मचारियों के लिये शयन संबंधी सुविधायें

4967. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में तार-कर्मचारियों के लिए, जिन्हें दिन-रात काम करना पड़ता है, शयन सम्बन्धी सुविधाएं नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये शयन-कक्ष की सुविधाएं मौजूद हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Setting up of Agricultural Credit Corporations

4968. **Shri Yogendra Sharma :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the States whose reactions have so far been received in regard to the setting up of Agricultural Credit Corporations ; and

(b) the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) Assam, Bihar and Orissa.

(b) They have no objection to the setting up of Agricultural Credit Corporations. Certain suggestions on matters of procedure and detail have been made.

Super Bazar, New Delhi

4969. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware of the discontentment prevailing amongst the employees in Super Bazar, New Delhi in regard to their service conditions and mismanagement in its working ; and

(b) if so, action taken in the matter ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy) : (a) The discontentment prevailed only amongst a section of the employees (about 95 out of 1100 employees) in the Super Bazar, mainly owing to the non-recognition of their Labour Union.

(b) The Super Bazar have referred most of the demands of the employees to a mutually agreed arbitrator and the awards given by this arbitrator are being honoured. As regards the allegations regarding the mismanagement in the working of the Super Bazar, they were of a general nature and did not relate to any specific instances.

Training of Members of Co-operative Societies

4970. **Shri Jageshwar Yadav :** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount allocated, State-wise for the training of the members of the Co-operative Societies in 1967-68 ; and

(b) the amount spent so far out of the above allocations ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy). (a) and (b) : A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2083/67]**

Japanese Engines for Fishing Boats

4971. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the members of the Maharashtra Fishermen Co-operative Society prefer Japanese 'Yanmar' engine for their fishing boats to indigenous ones, which are not suitable for long distances in the rivers ;

(b) if so, whether Government propose to import 'Yanmar' engines ; and

(c) if so, when and the number thereof?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde): (a) It has been reported that 'Yanmar' engines are popular with fishermen in the State of Maharashtra. Marine diesel engines manufactured in the country are almost entirely high revolution engines while more than 50% of the engines required for the mechanization programme are for trawling for which low revolution engines are more suitable and are preferred by users.

(b) and (c). Import of marine diesel engines has been suspended pending examination of the capacity of the indigenous marine diesel engine manufacturing industry to meet the demand of low revolution engines.

रूसी ट्रैक्टरों के ले जाने पर प्रतिबन्ध

4972. **श्री मोहन स्वरूप** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित रूसी ट्रैक्टरों की क्षेत्रीय आवश्यकता के संरक्षण के उद्देश्य से उनके एक जोन से दूसरे जोन में ले जाने पर कोई प्रतिबन्ध है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). एक जोन के एजेन्ट को आयात किये गये ट्रैक्टर किसी दूसरे जोन में बेचने का अधिकार नहीं है । जहां तक बिक्री के पश्चात् होने वाले हस्तान्तरणों का संबंध है, एक जोन से दूसरे जोन में बड़े पैमाने पर उनकी बिक्री के कोई सबूत नहीं मिले हैं । अतः कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाये गये हैं ।

Procurement of Foodgrains in States

4973. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state the methods of procurement of foodgrains being followed in each State?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde): A statement is attached. **[Placed in Library. See No. LT-2084/67].**

Rate of Interest Charged from Members of Primary Co-operative Societies

4974. **Shri K. M. Madhukar**: Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state:

(a) the maximum rate of interest per annum in each State which has to be paid by the members of primary co-operative societies;

(b) the reasons for disparity in the rates of interest charged in different States; and

(c) whether Government propose to fix a uniform rate of interest for the entire country?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadaswamy): (a) A statement is enclosed showing the maximum and usual rates of interest charged by primary agricultural credit societies, on short and medium-term loans in each State. **[Placed in Library. See No. LT-2085/67].**

(b) The rates of interest charged are related to the operational cost, cost of borrowing, margins retained at each tier etc. and hence they differ from State to State.

(c) No, Sir.

मेसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी लिमिटेड, इलाहाबाद द्वारा तालाबन्दी

4975. **श्री अनिरुद्धन** :
श्री अब्राहम :
श्री नम्बियार :
श्री भगवान दास :
श्री एस्थोस :
श्री गणेश घोष :

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मेसर्स ए० एच० व्हीलर एण्ड कम्पनी, इलाहाबाद ने जो कि रेलवे में किताबों की दूकानों के ठेकेदार हैं, 20 नवम्बर, 1967 से तालाबन्दी कर रखी है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) तालाबन्दी से कुल कितने कर्मचारी बेकार हो गए हैं; और

(घ) इस झगड़े को हल करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है और भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है ।

अभ्रक के कारखानों के मजदूर

4976. **श्री रमानी :** **श्री एस्थोस :**
श्री मुहम्मद इस्माइल : **श्री अब्राहम :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारी बाग जिले के दमचंच, तिसरी, धरौखी, घाराखोल और गबन के अभ्रक कारखानों के मजदूरों ने 28 नवम्बर, 1967 से हड़ताल की हुई है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मागें क्या हैं; और

(ग) इस झगड़े को तय करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है । यह सूचना मिली है कि अभ्रक कारखानों के कुछ श्रमिक 28 नवम्बर, 1967 से हड़ताल पर चले गए । उनकी मांग थी कि मजूरी में वृद्धि की जाए और चावल मुफ्त सप्लाई किया जाए ।

Import of Rice from Thailand in Exchange for Jute

4978. **Shri Raghuvir Singh Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Thailand has offered to supply rice to India in exchange for its jute ;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Shinde): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

वगाया (बिहार) में डाकघर

4979. **श्री मरंडी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विहार के संथाल परगना जिले में वगाया नामक स्थान में डाक-

घर में पत्रों की रजिस्ट्री करने, मनीआर्डर निपटाने तथा तारों के काम के लिये कोई सुविधा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वगाया डाकघर में ये सुविधायें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उसे सब-पोस्ट आफिस में परिवर्तित करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो यह डाकघर कब तक सब-पोस्ट आफिस बनाये जाने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) जी नहीं। ये सुविधाएं पहले से ही उपलब्ध हैं।

(ख) से (घ). प्रश्न ही नहीं उठते।

आन्ध्र प्रदेश के कुछ जिलों में अच्छी फसल का न होना

4980. **श्री रंगा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विशाखापत्तनम जिलों में तथा अन्य जिलों के पठारी क्षेत्रों में इस वर्ष फसल के गम्भीर रूप से खराब होने के समाचार मिले हैं; जबकि इन जिलों की फसलें पिछले दो वर्षों में भी आंशिक रूप से खराब हो गयीं थीं;

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या-क्या राहत कार्य किये गये हैं और राज्य सरकार ने केन्द्र से क्या सहायता मांगी है; और

(ग) क्या सरकार वित्तीय सहायता तथा मुफ्त खाद्य की सप्लाई करके, 'केयर' आदि से प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय सहायता देकर तथा नलकूप के उपकरणों की सप्लाई करके तथा सिंचाई के साधनों का विकास करके आंध्र प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) से (ग). आन्ध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि निम्नलिखित जिलों में फसल रही है :

1. श्री काकुलम	
2. विशाखापत्तनम	
3. पूर्व गोदावरी	अपलैंड तालुक
4. कृष्णा	नोकिड तालुक के 81 गांवों में
5. पश्चिमी गोदावरी	एलूरन, चिन्तलापूडी और ताडा पलीगूडम तालुक के से 40 गांव

6. गुन्टूर	नरसपट, विर्नूकोडा, पलनद, ओंगले और बापतला तालुक के 435 गांव
7. नैलोर	कानीगिरी, पोदीली और दरसी तालुके के 431 गांव
8. करनूल	मरकापुर, तालुक और बेरेगुनडा-पलम सब-तालुक
9. आनन्तपुर	मडकासिरा, हिन्दपुर, रावादुर्ग, धर्मावरम तालुक
10. चित्तूड़	476 गांव
11. नालगोंडा	870 गांव

राज्य सरकार ने विशाखापत्तनम और श्रीकाकाकुलम जिलों के क्रमशः 10,000 और 2,000 टन चावल भेजने का निर्णय किया है।

राज्य सरकार ने कमी को दूर करने के लिये निम्नलिखित धनराशि की मंजूरी दी है :

	(रुपये लाखों में)
(क) नये कुएं बनवाने और वर्तमान कुओं को गहरा करने के लिये।	15·02
(ख) कारखानों के क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	8.00
(ग) साधारण सिंचाई कार्य और तलाबों की मरम्मत	125.18
(घ) नागार्जुन सागर परियोजना की खुदाई	15.00
(ङ) कुओं को खोदने और भूमि का विकास करने के लिये लैंड मारगेज बैंकों से ऋण का लिया जाना	200.00
(च) सहायता के लिये अकाल कोष से रुपये का लिया जाना	38.00

राज्य सरकार ने जंगलों में पशुओं को चराने के लिये अनुमति दी है तथा बड़े पैमाने पर ऋणों में कमी व स्थगित करने की अनुमति दी है। नलकूप उपकरणों की सप्लाई का कार्य भी राज्य सरकार के विचाराधीन है।

आंध्र प्रदेश सरकार के आग्रह पर खाद्य और कृषि मंत्रालय ने सूखा पीड़ित क्षेत्रों में 500 टन बाल आहार मुफ्त बाटने के लिये अलाट किया है। यह बाल आहार पहले विहार में मुफ्त वितरण के लिये तैयार किया गया था। यह ज्ञात हुआ है कि "केयर" पहले ही कमी वाले क्षेत्रों में भोजन का कार्यक्रम चला रही है।

आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सहायता कार्यों पर किये गये वास्तविक खर्चे को प्राप्त करने का अधिकार है ।

चक्कियों और आटा मिलों द्वारा पीसे गये आटे की किस्म पर नियंत्रण

4981. **श्री रणजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री 5 दिसम्बर, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3049 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक्कियों द्वारा पीसे गये आटे की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिए इस बीच कोई कार्यवाही की गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित मानदण्ड को केवल आटा मिलों के लिए ही लागू करने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). गेहूं के उत्पाद जैसे आटा, सूजी और मैदा पर लागू होने वाले पी० एफ० नियम अन्य तरीकों से तैयार किए गए उत्पादों पर भी लागू होते हैं और इस सम्बन्ध में चक्की से पीसे गये आटे और रोलर फ्लोर मिल से पिसे आटे में कोई भेद नहीं है ।

हिन्दुस्तान शूगर मिल्स, गोला गोकर्णनाथ

4982. **श्री बालगोबिन्द वर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि 20 नवम्बर, 1967 से गोला गोकर्णनाथ (जिला खेरी) में हिन्दुस्तान शूगर मिल्स, गोला गोकर्णनाथ को गन्ने की सप्लाई के सम्बन्ध में गन्ना उत्पादकों की हड़ताल चल रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) और (ख). जी, हां । गन्ना उत्पादकों की हड़ताल हुई थी । लेकिन उस क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों और हिन्दुस्तान शूगर मिल्स के बीच समझौता हो गया है ।

नदी घाटी परियोजनाओं के क्षेत्रों में उपज

4983. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी समिति के एक कार्यकारी दल ने नदी घाटी परियोजनाओं के क्षेत्रों में उपज को बढ़ाने के लिए कुछ कार्यवाही करने की सिफारिश की है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) से (ग). योजना आयोग की प्राकृतिक संसाधनों सम्बन्धी समिति द्वारा नदी घाटी परियोजनाओं में बांधों के श्रवण क्षेत्रों में भूमि सरंक्षण के बारे में अध्ययन पर तैयार किया गया प्रतिवेदन अभी-अभी प्राप्त हुआ है। इस प्रतिवेदन का सम्बन्ध मुख्यता सात नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों में भूमि के संरक्षण उपायों के संरक्षी पहलुओं से है जिससे जलागारों में गाद इकट्ठी होने की दर को कम किया जा सके। सिफारिशों का सम्बन्ध तलछटीकरण की दर को कम करने के लिए कार्यवाही करने से है अर्थात् भूमि का ब्योरेवार सर्वेक्षण करना, गाद के अध्ययन से तलछटीकरण के कारणों का पता लगाना, हवाई चित्रों के अर्थ निकालना, राज्यों में भूमि संरक्षण संगठनों को सुदृढ़ बनाना, आवश्यक विधान बनाना, प्रचार आदि। ये योजनायें केन्द्रीय सरकार द्वारा आरम्भ किए गए नदी घाटी परियोजनाओं के श्रवण क्षेत्रों में मिट्टी संरक्षण सम्बन्धी कार्यक्रमों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। समय-समय पर हिदायतें दी जाती हैं जिनमें मुख्यता इन सिफारिशों का ध्यान रखा जाता है। प्रत्येक सिफारिश विचाराधीन है।

तथापि नदी घाटी परियोजनाओं के क्षेत्रों से कृषि उत्पादन में सुधार के बारे में इस बात का उल्लेख कर दिया जाए कि समिति के प्रतिवेदन में इस पहलू विशेष की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। भूमि संरक्षण योजनाओं की क्रियान्विति से जलागार और अधिक समय तक कार्य कर सकेंगे और अन्ततोगत्वा कृषि सम्बन्धी अधिक अच्छे परिणाम निकलेंगे।

राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण

4984. **श्री द० रा० परमार :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने राज्य सरकारों को, 1967 के साधारण निर्वाचनों के दौरान कांग्रेस तथा कांग्रेस से भिन्न दलों के नेताओं द्वारा दिए गए भाषणों के अभिलेख रखने की अनुमति दी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाचन अर्जियों के प्रयोजनार्थ भाषणों के इस अभिलेख को अधिप्रमाणिक माना गया था ;

(ग) क्या ये अभिलेख किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्य हैं जो इन्हें देखना चाहें ;

(घ) क्या यह भी सच है कि गुजरात राज्य में इस अभिलेख का प्रयोग केवल सत्तारूढ़ दल के लाभ के लिए ही किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : (क) जी नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

Water Resources in Jodhpur

4984-A. **Shri O. P. Tyagi:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that wells containing inexhaustible source of water have been dug a little away from Jodhpur and the level of water did not go down even after the water was drawn by tube-wells ;

(b) if so, whether Government propose to prospect these water reserves ; and

(c) whether any instructions have been sent to the Rajasthan Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) to (c) . The Rajasthan Government has intimated that 3 wells in Jodhpur District were found with large underground water resources, 2 at Ransigaon and one at Pichiyak. The Exploratory Tube-well Organisation, a subordinate office under this Ministry, which is engaged in ground water exploration in the country, is already aware of the presence of ground water resources in Barunda area in Jodhpur District. The E. T. O. proposes to carry out ground-water assessment studies in Western Rajasthan, including Jodhpur District in pursuance of a project under the United Nations Development Programme.

Fruit Preservation Factories in M. P.

4984-B. **Shri G. C. Dixit:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether there are any fruit preservation factories in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the names of the places where they are situated and the capacity of each ;

(c) whether any one of them has received Government aid ; and

(d) if the reply to part (a) above be in the negative, the reasons therefor and whether Government propose to take any action in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde): (a) . Yes, Sir.

(b) There are 21 factories as under :

Jabalpur	..	2
Indore	..	3
Ratlam	..	3
Ujjain	..	1
Bhopal	..	1
Raipur	..	3
Gwalior	..	3
Damoh	..	1
Neemach	..	1
Tamia	..	1
Shujalpur	..	1
Datia	..	1
		21

All the above 21 fruit preservation factories are Cottage Scale Units and the value of the annual production of each does not exceed Rs. 50,000-/. The actual installed production capacity of individual units is however not available.

(c) The units are given technical assistance and guidance, whereever necessary.

(d) Does not arise.

केरल में कागज तथा लुगदी परियोजना

4984-ग. **श्री प० गोपालन :** **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री नायनार : **श्री अ० क० गोपालन :**

क्या **खाद्य, तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाद्य तथा कृषि संगठन/विश्व बैंक के विशेषज्ञ दल ने केरल में कागज तथा लुगदी परियोजना स्थापित करने के लिए उच्चतम प्राथमिकता देने की सिफारिश की है ;

(ख) क्या सरकार ने इन सिफारिशों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) खाद्य और कृषि संगठन एवं विश्व बैंक विशेषज्ञ दल ने सुझाव दिया है कि व्यवहार्यता-अध्ययन किया जाना चाहिए और केरल में ऐसी एक परियोजना की सम्भावनाओं का पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए ।

(ख) जी, हां ।

(ग) निर्णय किया गया है कि दल ने जिन स्थानों के बारे में 'आगामी परीक्षण के लिए उचित आश्वासन' कहा था, उनके विषय में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जाए ।

P. M's Convocation Address at Roorkee University Engineering College

4984-D. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Surya Prakash Puri :**
Shri Ramavtar Sharma : **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Ram Gopal Shalwale :

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that recently the Prime Minister delivered a Convocation Address at the Roorkee Engineering College ;

(b) whether it is also a fact that the Graduates there demonstrated and demanded employment ;

(c) whether the Prime Minister gave an assurance that she would consider the matter carefully ; and

(d) whether Government have drawn up any plan in this regard ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi): (a) to (c). The Prime Minister delivered the convocation address at Roorkee University on 13th November, 1967. When she rose to deliver her address, a section of the graduates walked out raising slogans that they wanted employment and not speeches. They did not meet the Prime Minister nor did Prime Minister give them any assurance on this subject. In the course of her speech, however, she did refer to the imbalance between education and employment opportunities as a matter of concern to Government.

(d) Various development schemes included in the Plans are expected to create larger number of employment opportunities for unemployed persons including engineering graduates and reduce the imbalance between the supply of and demand for them.

दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारियों के लिए परियोजना भत्ता

4984-ङ. **श्री श्रद्धाकर सूपकार**: क्या **श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना में कार्य कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने नये नियमों के अन्तर्गत, जो 1 अक्तूबर, 1966 से लागू हुए हैं, परियोजना भत्ते की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें यह भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई

4984-च. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले पखवाड़े में सरकार ने पश्चिम बंगाल को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई करने का वचन दिया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे): (क) और (ख). पिछले पखवाड़े में सरकार ने कोई वचन नहीं दिया था । अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार अपने भंडार में से यथापूर्व चावल और गेहूं की अधिकतम मात्रा पश्चिमी बंगाल सरकार को सप्लाई करती रहेगी ।

वारबिल क्षेत्र (उड़ीसा) में खनिज श्रमिकों के लिए अस्पताल

4984-छ. **श्री गु० च० नायक** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में वारबिल के खनन क्षेत्र में काम करने वाले खनिक श्रमिकों के

उपचार के लिए 100 शय्याओं वाला एक केन्द्रीय अस्पताल तथा इस केन्द्रीय अस्पताल के अधीन दो क्षेत्रीय अस्पताल, जिनमें प्रत्येक में 50 शय्या हों, खोलने के केन्द्रीय सरकार के प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ?

श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). लौह धातुक खान श्रमिकों के लिए एक केन्द्रीय अस्पताल की स्थापना की योजना लौह धातुक खान श्रमिक कल्याण निधि, उड़ीसा के अध्यक्ष ने तैयार की है। इस समय इस योजना पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

भूमिगत जल का सर्वेक्षण

4984-**ज. श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1966-67 में देश में भूमिगत जल सर्वेक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेष निधि से सहायता प्राप्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता प्राप्त की गई थी और यह सर्वेक्षण किन क्षेत्रों में किया जा रहा है ; और

(ग) क्या चालू वर्ष में ऐसा सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) से (घ). केन्द्रीय कृषि विभाग के अधीन कार्य करने वाली समन्वेषी नलकूप संस्था ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) की सहायता से हाल ही में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के सर्वेक्षण की एक योजना शुरू की है। इस परियोजना के प्लान आफ ओप्रेशन पर दिसम्बर, 1966 में हस्ताक्षर हुए थे। इसमें निम्न वित्तीय प्रबन्धों की व्यवस्था है :

विशेष निधि	1,013,400 अमरीकी डालर
नियतन	(76,00,500 रुपये के बराबर)
विशेष निधि अंशदान	947,100 अमरीकी डालर
से नियतन	(71,03,250 रुपये के बराबर)
स्थानीय औप्रेशन व्यय के लिए	66,300 अमरीकी डालर
भारत सरकार का अन्शदान	(4,97,250 रुपये के बराबर)
भारत सरकार, किस्म के रूप में	703,690 अमरीकी डालर
प्रतिभूति अंशदान	(52,77,675 रुपये के बराबर)

विशेष निधि के अधिकारी योजना के अन्तर्गत कुछ विशेषज्ञों की सेवायें, उपकरण तथा छात्र वृत्तियां प्रदान करेंगे ।

परियोजना का मुख्य ध्येय पश्चिम राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भूमिगत विकास सर्वेक्षण से पूर्व सर्वेक्षण करना है । हाईड्रोलोजिकल तथा मैट्रोलोजिकल विषयक प्रारम्भिक दित्ता इक्कठा करने तथा प्रारम्भिक मानचित्र आदि की तैयारी का कार्य शुरू कर दिया गया है और चल रहा है ।

Deputation of Officers to the Election Commission

4984-I. **Shri Prakash Vir Shastri :** Will the Minister of **Law** be pleased to state :

(a) the names of officers of All India Services and the Central Services appointed by the Election Commission of India in the scale of Rs. 750/- p. m. or more and who have been drawn from the Secretariat and other Departments under the Central Government after the 1st April, 1966 ; and

(b) the duration for which these officers have been on leave after the 1st April, 1966 ;

The Minister of Law (Shri Govinda Menon) : (a) and (b). A statement is placed on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-2086/67]**

पोरबन्दर पत्तन का विकास

4984-ञ. **श्री हरदयाल देवगुण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोरबन्दर के वाणिज्य मण्डल ने सरकार से प्रार्थना की है कि पी० एल० 480 के अन्तर्गत आने वाले माल में से कुछ माल पोरबन्दर पत्तन के रास्ते मंगाया जाये, जिससे इस पत्तन के विकास में सहायता मिलेगी और बम्बई पत्तन तथा अन्य बड़े पत्तनों पर काम का भार भी हल्का हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : (क) हाल ही में इस सम्बन्ध में कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

काजू का उत्पादन

4984-ट. **श्री पी० सी० अदिचन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारत में कच्चे काजू का कुल कितना उत्पादन होता है ;

(ख) इसमें से कितना काजू देश में काजू प्रक्रिया उद्योग अब उपयोग में ला रहा है ; और

(ग) 1956 में कच्चे काजू का कुल उत्पादन कितना हुआ था और उसमें से काजू उद्योग ने उस वर्ष कितने काजू का उपयोग किया था।

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री शिन्दे) : (क) 1,75,000 मैट्रिक टन (1965-66)।

(ख) उद्योग के संगठित क्षेत्र में लगभग 70,000 मैट्रिक टन।

(ग) सन् 1956 में कच्चे काजू का कुल उत्पादन लगभग 83,000 मैट्रिक टन था। उस वर्ष उद्योग के संगठित क्षेत्र में लगभग 62,000 मैट्रिक टन को सुधारा गया था।

Training Centres for Industrial Development

4984-L. **Shri O. P. Tyagi** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the names and number of training Centres established by Government for industrial development ;

(b) the assistance provided by Government to the trained persons coming out of these Centres for starting industries ;

(c) the number of such trainees as have set up industries of their own after receiving training at these Centres and also those who have done so with the assistance of Government ; and

(d) the number of persons who completed training during the period from January, 1965 to November, 1967 and the number of those among them who have got employment ?

The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) : (a) There are 356 Industrial Training Institutes in the country. A list showing the names of these Institutes will be placed on the Table of the House.

(b) and (c). Special training in business management and entrepreneurship is given to those trainees of the I. T. Is who are interested in receiving such training. The question of giving financial assistance to displaced person trainees for starting their own business after training is under consideration.

(d) The number of trainees passed out from the Institutes during the period from January, 1965 to November, 1967 is about 1·74 lakhs. The information regarding the number of those among them who got employment during this period is not available. However the Pilot Surveys conducted at two centres (Varanasi and Madras) revealed that nearly 99·0 per cent of the passed out trainees are employed.

अतारांकित प्रश्न संख्या 2118 के उत्तर में शुद्धि
Correction of Answer to U.S.Q. No. 2118

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): पहली जून, 1967 के बाद जिन राज्यों तथा सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में राशन में कटौती की गई थी, उनके नामों के सम्बन्ध में श्री मधु लिमये द्वारा 28 नवम्बर, 1967

को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2118 के उत्तर में मैंने कहा था कि ऐसी कटौती केवल वृहत्तर कलकत्ता, आसनसोल ग्रुप-टाऊन तथा सिलीगुड़ी में ही की गई थी। आन्ध्र प्रदेश सरकार से अब मिली सूचना से प्रतीत होता है कि हैदराबाद/सिकन्दराबाद और विशाखापत्तनम के राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों में 27 अगस्त, 1967 से राशन में कटौती की गई थी। इन शहरों में इस कटौती की मात्रा 210 ग्राम प्रति वयस्क प्रति सप्ताह है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता देना

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : श्रीमान, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता देने के बारे में अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा आज यहां होनी थी परन्तु इसकी घोषणा पहले ही आकाशवाणी से कर दी गई। इसकी घोषणा इस सभा में की जानी चाहिये थी। माननीय वित्त मंत्री आश्वासन दें कि महत्वपूर्ण विषयों की घोषणा सभा में की जायेगी।

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : सरकार ने पहले ही कह दिया था कि भविष्य में मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते में वृद्धि का भुगतान नकद किया जायेगा। इसलिये जैसे ही यह हुआ, इसकी घोषणा कर दी गई।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि ऐसी घोषणायें सभा में ही की जायें।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं माननीय वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे प्रार्थना करती हूं कि वह इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें:

"मूल्य सूचकांक में हाल ही में हुई वृद्धि के कारण केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता देना"

श्री मोरारजी देसाई : इस ध्यान दिलाने वाली सूचना की कोई आवश्यकता नहीं थी।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप ने यह ध्यान दिलाने वाली सूचना स्वीकार की है। इसलिये, यह अध्यक्षपीठ पर आक्षेप है।

श्री मोरारजी देसाई : इसकी सूचना अध्यक्ष महोदय ने नहीं दी। अब मैं ध्यान दिलाने वाली सूचना के विषय पर आता हूं।

अतारांकित प्रश्न संख्या 4373 के उत्तर में मैंने 14 दिसम्बर, 1967 को इस सदन में कहा था कि अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अक्तूबर 1967 में 205 से ऊपर पहुंच गया था जिससे केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों में पिछला संशोधन करने के बाद से 10 अंकों की वृद्धि हो गई है और मंहगाई भत्ते की दरों में फिर से संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। मंहगाई भत्ते पर गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों के अनुसार केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते की दरों को 1-11-1967 से बढ़ाने के आदेश अब 18-12-67 को जारी कर दिये गये हैं। भत्ते में की जा रही वृद्धियां पूरी तरह नकदी में दी जायेंगी।

Shrimati Tarkeshwari Sinha: What will be the cost to the Central Government on account of this increase in dearness allowance and will the Central Government compensate the State Governments on this account.

Shri Morarji Desai: Total annual expenditure will be Rupees Thirty crores. The State Governments will not be given any amount for this purpose.

श्री स० मो० बनर्जी : सरकार मूल्यों में वृद्धि रोकने में असफल रही है। इसलिये, क्या इस मामले पर विचार करने के लिये एक आयोग नियुक्त किया जायेगा और क्या भविष्य निधि में जमा राशि लौटाई जायेगी ?

श्री मोरारजी देसाई : मूल्य कम हो रहे हैं। मंहगाई भत्ते में यह वृद्धि मूल्यों में पहले हुई वृद्धि के कारण है। पहले जमा हुई राशि की यदि मांग की जायेगी तो उसे लौटा दिया जायेगा।

श्री म० ला० सोंधी (नई दिल्ली) : अब जबकि उप प्रधान मंत्री के कहने के अनुसार आर्थिक स्थिति में सुधार हो गया है, क्या वे गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशें पूर्णतया क्रियान्वित करने पर विचार करेंगे ?

श्री मोरारजी देसाई : मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं में देता हूं।

श्री हेम बरुआ (मंगलदाई) : सरकार ने मूल्यों में वृद्धि के अनुसार राष्ट्रीय मजूरी में वृद्धि के बारे में क्यों नहीं सोचा है।

श्री मोरारजी देसाई : अभी इसके लिये समय उपयुक्त नहीं है।

Shri Randhir Singh: I would like to know whether the defence personnel will also benefit by such increase in dearness allowance and whether the Government have evolved any national wage policy.

Shri Morarji Desai: This decision applies to defence personnel. The national wage policy cannot be evolved at present.

विशेषाधिकार का प्रश्न
QUESTION OF PRIVILEGE

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, I do not want the tempers to rise in this House. That is why, I do not want to pursue the question of privilege raised by me yesterday. But I am sorry to say that whenever a point is raised, it should be discussed on its merits and the question of north and south should not be brought every time. We are all Indians and the whole country is our home.

अध्यक्ष महोदय : अब क्योंकि सदस्य अपने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर आग्रह नहीं कर रहे, इसलिये अब इस पर अग्रेतर कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं ।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अभिप्राय अध्यक्ष महोदय अथवा सभा का अपमान करना नहीं था ।

सदस्य की गिरफ्तारी
ARREST OF MEMBER
(डा० रानेन सेन)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को यह सूचना देनी है कि पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता से प्राप्त दिनांक 18 दिसम्बर, 1967 के एक तार में बताया गया है कि लोक-सभा के सदस्य डा० रानेन सेन को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 143/145/147/188 के अन्तर्गत 18 दिसम्बर, 1967 को एस्प्लेनेड ईस्ट में गिरफ्तार कर लिया गया और यह कि उन्हें प्रेजीडेन्सी जेल में रखा गया है ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : पश्चिमी बंगाल में प्रतिदिन कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा रहा है तथा दुर्व्यवहार किया जा रहा है ।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

मशीन से धान कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 आदि के अन्तर्गत अधिसूचनायें

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री शिन्दे) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मशीन से धान कूटना उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, मशीन से धान कूटना उद्योग (विनियमन तथा लाइसेंस देना) चौथा

संशोधन नियम, 1967, की एक प्रति, जो दिनांक 29 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1772 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2055/67**]

(2) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम, 1962 की धारा 14 की उपधारा (3) के अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के वर्ष 1966-67 के वार्षिक प्रतिदेवेन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2056/67**]

(3) भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति के वर्ष 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी संस्करण)। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2057/67**]

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन आदि के 51वें अधिवेशन में भेजे गये भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल का प्रतिवेदन

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री स० चु० जमीर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) जून 1967, में जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के 51वें अधिवेशन में भेजे गये भारतीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल के प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी०-2058/67**]

(2) 28 अक्तूबर, 1967, को नई दिल्ली में हुए पटसन सम्बन्धी औद्योगिक समिति के चौथे अधिवेशन के मुख्य निष्कर्षों की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-2059/67**]

(3) (एक) शिशिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 37 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(क) शिशिक्षुता (संशोधन) नियम, 1967, जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1713 में प्रकाशित हुए थे।

(ख) शिशिक्षुता (संशोधन) नियम, 1967, जो दिनांक 11 नवम्बर, 1967, के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1714 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) उपरोक्त अधिसूचनाओं को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-2060/67**]

संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966

विधि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री मु० यूनस सलीम) : मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, की धारा 8 की उपधारा (2) के अन्तर्गत संसदीय तथा विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन आदेश, 1966, की एक प्रति सभा-पटल रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-2061/67]

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति
LEAVE OF ABSENCE FROM THE SITTINGS OF THE HOUSE

अध्यक्ष महोदय : निम्नलिखित सदस्यों को सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में दर्ज अवधि के लिये सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी गई :

(1) श्रीमती उमाराय

(2) महारानी विजयमाला राजाराम छत्रपति भौंसले

(3) श्री वीरेन शाह

(4) श्री सुरेन्द्र कुमार तापड़िया

(5) श्री अब्दुल गनी दर

(6) श्री पी० गंगा रेड्डी

आशा है सभा इससे सहमत है।

कुछ माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को तदनुसार सूचित कर दिया जायेगा।

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में
RE. ARREST OF MEMBER

Shri Mohammad Ismail (Barrackpore): Many persons are being arrested in Bengal.....

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जायें। यह सब कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री मुहम्मद इस्माइल : **

श्री इसहाक साम्मली (अमरोहा) : **

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कोई विशेष बात लाना चाहते हैं, तो लिख कर दीजिये। तभी हम देखेंगे कि इस बारे में क्या किया जा सकता है। हमें प्रक्रिया के अनुसार चलना है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**Not recorded.

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

श्री अमृत नाहाटा (बाड़मेर) : श्रीमान, मैंने प्रक्रिया के अनुसार आपको हजारी प्रतिवेदन के बारे में लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : इसका सदस्य की गिरफ्तारी से कोई सम्बन्ध नहीं है । कार्य मंत्रणा समिति इस बात पर विचार करेगी कि सभा में कौन-कौन से मामले लिये जायें । मैं केवल इसी कारण सभा के कार्य में परिवर्तन नहीं कर सकता कि 20 अथवा 30 सदस्यों ने किसी बात के लिये हस्ताक्षर किये हैं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : कार्य मंत्रणा समिति में मैंने तथा श्री रविराय ने यह मामला उठाया था कि हजारी प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये । सत्तारूढ़ दल के सदस्य इसके लिये बल नहीं देते हैं और यहां बिड़ला-विरोधियों के रूप में आगे आने का प्रयत्न करते हैं ।

विधिविरुद्ध क्रिया-कलाप (निवारण) विधेयक—जारी
UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) BILL—Contd.

Shri Randhir Singh (Rohtak) : The anti-national forces are gaining strength in our country.

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

This Bill has been brought to deal with those people who advocate for secession of our territory. In Kashmir, anti-national activities are going on. Some persons there are openly advocating merger with Pakistan. Nagas and Mizo hostiles want separation from India and are negotiating with Pakistan and China. The Government has been criticised for not dealing with such elements firmly. It is strange that when a measure is introduced in the Parliament from that very point of view, the opposition parties make it a prestige issue and oppose the measure.

The argument that the Government should also be covered by these provision, is wrong. Throughout the world, the Governments alone enter negotiations on Government to Government basis in the event of a territorial dispute. I fully support this Bill and urge the opposition to think on this issue again and pass the Bill unanimously.

श्री जी० भा० कृपालानी (गुना) : श्रीमान, मैं मौलिक अधिकारों सम्बन्धी समिति का अध्यक्ष था । मौलिक अधिकारों का प्रश्न उन्नीसवीं शताब्दियों की कल्पना है । इस शताब्दी में यह उपयुक्त दिखाई नहीं देता क्यों कि प्रत्येक सरकार को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाने के कारण मिल जाते हैं ।

मुझे इस बात में बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि सरकार का अभिप्राय अच्छा है परन्तु सरकार कुछ भी करे, सभी कानूनों की भांति इसका प्रयोग भी ऐसे प्रयोजनों के लिये किया जायेगा

जिनके लिये उसे नहीं बनाया गया है। इसलिये, इसे राज्यों के ऊपर नहीं छोड़ा जाना चाहिये। इस अवधि के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व प्रत्येक राज्य को गृह-कार्य मंत्री की स्वीकृति लेनी चाहिये।

विरोधी दल के लोगों का यह कहना ठीक ही है कि सरकार हमारे राज्यक्षेत्र के बड़े-बड़े भाग विदेशों को देती रही है और उसने इसे उचित सिद्ध किया है। सरकार को अपने ऊपर भी कानून द्वारा यह प्रतिबन्ध लगाना चाहिये कि संसद की स्वीकृति के बिना भारतीय राज्यक्षेत्र का कोई भाग विदेशों को नहीं सौंपा जा सकता। सरकार को हमारी स्वतंत्रता का सौदा करने अथवा हमारे राज्यक्षेत्र के किसी भाग को विदेशों को देने का कोई अधिकार नहीं है।

इन कानूनों का बहुत सावधानी से प्रयोग किया जाना चाहिये। इस विधेयक को कुछ समय बाद लाया जाना चाहिये। सरकार के पास पहले ही बहुत अधिकार हैं। यदि कोई देश के विरुद्ध षडयन्त्र करता है तो उन कानूनों का सहारा लिया जा सकता था। भारतीय दण्ड संहिता बहुत कठोर कानून है। ऐसा कठोर कानून किसी भी प्रजातन्त्रीय देश में नहीं है। सरकार को उसका प्रयोग करना चाहिये। यह नया कानून की क्या आवश्यकता है? हमारे यहां पर और भी बहुत से कानून अंग्रेजों के समय से चले आ रहे हैं।

इस विधेयक में बहुत सी त्रुटियां हैं। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हैं जो धोके और अन्य कुप्रथाओं में विश्वास रखते हैं। कुछ लोग वैसे देश को हानि पहुंचाना चाहते हैं। सरकार को इस मामले की गहराई में जाना चाहिये। केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। हमें समझने की कोशिश करनी चाहिये कि लोग चीन के प्रति लगाव क्यों बनाये हुये हैं? कुछ कश्मीरियों की इस सरकार में निष्ठा क्यों नहीं है? यह सब इसलिये है सरकार देश की आर्थिक समस्याओं को हल नहीं कर सकी है। क्या देश के छोटे वर्ग के लोग प्रसन्न और संतुष्ट हैं? वे नहीं हैं। उन्हें आज अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में साम्यवाद फैलता है। इसमें सुधार करने के बजाय सरकार इस असाधारण कानून द्वारा विघटनकारी तत्वों को समाप्त करना चाहती है। सरकार को लोगों की नित्यप्रति आवश्यकतायें पूरी करने के साधन जुटाने चाहिए। हमें अपनी खेती और उद्योग को बढ़ाना चाहिये। बड़े-बड़े उद्योगों से अधिक लाभ नहीं होगा।

सरकार को सतर्क रहना चाहिये और लोगों की हालत सुधारनी चाहिये। सरकार को सबसे पहले तो अपने में सुधार करना चाहिये। देश के सभी प्रश्नों पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। देश में कांग्रेस सरकारों के बीच झगड़े चलते हैं। मैसूर महाराष्ट्र का सीमा विवाद इसका उदाहरण है इसी प्रकार नदी घाटी जल झगड़े चल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को पहले अपने आप में सुधार करना चाहिये। उस समय ऐसे कानून की आवश्यकता नहीं होगी।

श्री दशरथ राम रेड्डी (कावली) : मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं। इसके उपबन्ध संवैधानिक हैं और नागरिकों के अधिकारों से मेल खाते हैं। इसके संवैधानिक होने की बात को ठीक कहने वालों में भारत के महान्यायवादी श्री दफतरी हैं। उन्होंने इस तथ्य को संयुक्त

समिति के समक्ष कहा है। उनकी बात तो सर्वमान्य है। यह बात उन्होंने कानूनी दृष्टिकोण से कही है। उन्होंने कहा है जब इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया था उस समय इसकी छान-बीन करते समय उन्होंने इसमें कई संशोधन कर दिये थे। और अब इस विधेयक में कानूनी दृष्टि-कोण से कोई त्रुटि नहीं है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् दो बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Fourteen of the Clock

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री दशरथ राम रेड्डी : देश की सुरक्षा और एकता को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रतिबन्ध लगाना बहुत आवश्यक है। महान्यायवादी सरकार के प्रतिनिधि नहीं हैं। वह एक विधि विशेषज्ञ हैं और उनका मत विषय के ज्ञान पर आधारित है। आप उनके मत को गलत नहीं कह सकते। वैसे तो उच्चतम न्यायालय के निर्णय भी बदल जाते हैं।

यहां पर यह कहा गया है कि इस विधेयक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार के पास पहले ही बहुत अधिकार हैं। महान्यायवादी ने इस बारे में भी अपना मत व्यक्त किया है। उनके अनुसार इस प्रकार का विधेयक लाया जाना बहुत आवश्यक है। कुछ लोगों ने कहा है कि इस विधेयक की आवश्यकता ही क्या है ? यह ठीक है कि डी० एम० के० वालों ने देश से अलग होने की अपनी मांग छोड़ दी है परन्तु कौन जानता है कि कल को कोई और ही सिर उठा ले और देश के प्रति विद्रोह का नारा लगाने लगे। यह कानून तो एक सावधानी के रूप में लाया गया है।

सरकार को इस कानून को लागू करते समय बहुत सतर्क रहना होगा और देखना होगा कि कोई भी इस कानून के होते हुए देश की एकता तथा सुरक्षा को हानि न पहुंचाये। इस प्रकार यह अधिनियम सरकार को संकट की स्थिति में अधिकार देगा कि दोषी तथ्यों के विरुद्ध कार्यवाही कर सके। ताकि कोई व्यक्ति या संगठन देश को हानि न पहुंचा सके।

Dr. Surya Prakash Puri (Nawada): I have gone through the Report of the Committee. I have come to the conclusion that it will definitely harm our fundamental rights. The Hon. Minister should have explained the circumstances when this law would be used. I think that this Act would replace the Defence of India Rules. It is clear that Government wants to keep some weapon or other in its hands.

It is a tradition in our country that organisations are made to look after and preserve our cultural heritage. I suppose this Act will not in any way harm those organisations. There can be certain elements who can be harmful to the national security. This law will be used to curb those elements. It is a precaution that Government is taking. I feel that is thinking of general

elections of 1972 and taking steps to ensure the Congress Party's chances of victory. I consider this Bill a Bill of brute force. At the same time I request the Hon. Minister to withdraw this Bill.

श्री विश्वनाथन (वंडीवाश) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। कांग्रेस पार्टी को जनता ने अस्वीकार कर दिया है। अब यह पार्टी चोर दरवाजे से आकर सत्ता को अपने हाथ में बनाये रखना चाहती है। अब सरकार तानाशाही अधिकार लेना चाहती है।

यह कहा गया है कि इस कानून द्वारा देश के पृथकवादी तत्वों को दबाया जा सकेगा। यह केवल कानून बनाने से नहीं किया जा सकता। आपको ऐसी प्रवृत्तियों के कारण को जानने का प्रयत्न करना चाहिये।

जब तक देश में आर्थिक विषमता और क्षेत्रीय असन्तुलन है तब तक विघटनकारी तत्वों को समाप्त नहीं किया जा सकेगा। वैसे तो अंग्रेजों ने भी इतने कठोर कानून नहीं बनाये थे। अब यह सरकार और कानूनों के होते हुए भी ऐसे-ऐसे कठोर कानून बना रही है। मुझे इस कानून के बनाये जाने में कोई औचित्य मालूम नहीं होता।

कहा गया है कि यह प्रतिबन्ध उचित है। यदि मूल अधिकार हों, तो उन पर प्रतिबन्ध लगाये जा सकते हैं। मूल अधिकारों का सम्पूर्ण अध्याय ठप्प करके रख दिया गया। किसी नागरिक को उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में जाने की स्वतन्त्रता कहां है। महान्याय-वादी, श्री दफतरी ने भी इन अधिकारों को बहुत अधिक माना है। महान्यायवादी ने भी विधेयक का किसी हद तक समर्थन नहीं किया है।

खण्ड 3 (2) तथा 3 (3) में सरकार को भारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। न्यायाधि-करण में जाने से पहले भी किसी दल अथवा संस्था को अवैध घोषित किया जा सकता है। देश में अधिकरणों के काम के सम्बन्ध में सभी जानते हैं। अधिकरण हमेशा असफल रहा है क्योंकि यह एक स्थायी संस्था नहीं है। इसमें गृह-कार्य मंत्री की इच्छा के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है।

मैं चाहता हूं कि सभी कांग्रेसी सदस्य भी विरोधी दल का समर्थन करें और इस विधेयक को अस्वीकार कर दें। यदि सरकार यह अनुभव करती है कि इस विधेयक को लाने के लिये पर्याप्त आधार है, तो इसे सभी राज्य सरकारों के परामर्श से प्रस्तुत किया जाना चाहिये था। क्योंकि जब तक राज्य सरकारें सहयोग न दें तब तक इसे क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : इस विधेयक पर दो बार चर्चा की जा चुकी है। मूल प्रश्न यह उठाया गया है कि विधेयक की आवश्यकता ही नहीं है। इस सम्बन्ध में दो प्रकार के तर्क दिये गये हैं। पहला तर्क यह है कि ऐसा दल कौन सा है जिसके विरुद्ध विधेयक के उपबन्धों का प्रयोग किया जा रहा है। दूसरा तर्क यह है कि वर्तमान कानून में ही ऐसे पर्याप्त उपबन्ध हैं जिसका इस सम्बन्ध में प्रयोग किया जा सकता है।

पहले तर्क के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मुझसे उत्तर प्राप्त करने की आशा करना उचित नहीं होगा कि इसे किसके विरुद्ध प्रयोग में लाने के लिये अधिनियमित किया जा रहा है। हमारा ध्यान किसी दल विशेष की ओर नहीं है। इसकी आवश्यकता केवल ऐसे लोगों के विरुद्ध ही अनुभव की जा रही है जो अधिनियम के अन्तर्गत अपराधी हो सकते हैं। हम केवल ऐसी अवांछनीय गतिविधि की परिभाषा कर रहे हैं जिसे विधि विरुद्ध क्रियाकलाप समझा जाता है। देश में ऐसी स्थिति विद्यमान है जिससे उसकी अखण्डता तथा प्रभुसत्ता को ही खतरा उत्पन्न हो गया है और ऐसा कानून बनाना आवश्यक हो गया है। हमें यह परामर्श दिया गया है और हम आश्वस्त हो गये हैं कि कानून में वर्तमान स्थिति से निपटने के लिये कोई उपबन्ध नहीं है। यह विधेयक ऐसे क्रियाकलाप के विरुद्ध है जिससे देश का विखण्डन हो सकता है। अतः हमें विश्वास है कि ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति इस विधेयक को अधिनियम बनाये जाने पर अपनी स्थिति पर पुनः विचार करेंगे। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो विधि का प्रयोग किया जायेगा।

कुछ सदस्य ने महान्यायवादी के किसी वक्तव्य का उल्लेख किया है। महान्यायवादी के साक्ष्य से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि विधेयक संवैधानिक है तथा मौलिक अधिकारों पर लगाये गये प्रतिबन्ध उचित हैं। मताभिव्यक्ति अथवा किसी विचार की सैद्धान्तिक अभिव्यक्ति इस कानून के अन्तर्गत नहीं आती। परन्तु यदि कोई हमारे किसी भूखण्ड को किसी विदेशी सरकार को देने की बात का समर्थन करता है तो यह बात अवश्य इस अधिनियम के अन्तर्गत आती है। उदाहरणार्थ यदि कोई दल कहता है कि चीन के साथ हमें अपनी समस्यायें शान्तिपूर्ण तरीके से हल करनी चाहिये तो इस पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकती परन्तु यदि कोई शान्ति बनाये रखने के लिये चीन को हमारा कोई राज्यक्षेत्र देने की बात कहता है तो इस विधान के अन्तर्गत यह अवश्य एक आपत्तिजनक बात होगी। किसी विषय पर सैद्धान्तिक या शैक्षिक चर्चा अथवा प्रश्नों को शान्तिपूर्ण तरीके से निपटाने और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने के बारे में सामान्य उपदेश करने तथा इसी तरह की अन्य सामान्य बातें करने के कारण यह विधेयक लागू नहीं होगा परन्तु अपने किसी क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को दे देने का एक विशेष सुझाव इस विधेयक के अधीन एक विधि विरुद्ध गतिविधि समझा जायगा।

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि इस विधि के अन्तर्गत यह सिद्ध करना अभियुक्त का काम होगा कि वह निर्दोष है। यह बात ठीक नहीं है। इस अधिनियम के उपबन्धों को ठीक तरह नहीं समझा गया है जब हमने यह उपबन्ध कर दिया है कि संस्था को यह बताने का अवसर दिया जायेगा कि उसके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाये तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि सिद्ध करने का भार उस संस्था पर डाल दिया गया है। संस्था के विरुद्ध लगाये गये आरोप अधिकरण के समक्ष सिद्ध करने का उत्तरादायित्व सरकार पर ही होगा।

श्री विश्वनाथ मेनन ने कहा है कि उच्च न्यायालय अधिकरण की नियुक्ति करें। यह बात सभी जानते हैं कि न्यायाधिपति के परामर्श से ही न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्त नहीं कर सकती।

हम यह शक्तियां इसलिये प्राप्त कर रहे हैं क्योंकि परिस्थितियों के अनुसार इनकी आवश्यकता है, यद्यपि निस्सन्देह यह शक्तियां अत्यधिक प्रबल शक्तियां हैं। मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि हमारा किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध कोई राजनैतिक उद्देश्य नहीं हैं और यदि इन शक्तियों का कभी प्रयोग न किया गया तो हमें इसकी बहुत प्रसन्नता होगी। वास्तव में इस विधेयक का उद्देश्य मौलिक अधिकारों पर तब उचित प्रतिबन्ध लगाना है जब देश की एकता तथा प्रभुसत्ता खतरे में हो।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये 15 फरवरी, 1968 तक परिचालित किया जाये।"

लोकसभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 86 ; विपक्ष में 150
Ayes 86; Noes 150

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

उपध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 15 सभा में मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 78 तथा 117 सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।
The amendments were put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि व्यक्तियों तथा संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों के और अधिक प्रभावी निवारण के लिये तथा तत्संसक्त विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब विधेयक पर खंडशः चर्चा होगी।

खण्ड 2

श्री जार्ज फरनेन्डीज (बम्बई दक्षिण) : मैं संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं संशोधन संख्या 38 से 41 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2 पंक्ति 18, में

And [और] शब्द के पश्चात् territorial [क्षेत्रीय] शब्द रख दिये जायें [42]

श्री नम्बियार : मैं संशोधन सख्या 43 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री राममूर्ति (मदुरै) : मैं संशोधन संख्या 79 से 84 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर) : मैं संशोधन संख्या 154 तथा 155 प्रस्तुत रखता हूं ।

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमन तथा दीव) : मैं संशोधन संख्या 161 से 164 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री मेघराजजी : संशोधन संख्या 154 में मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि खण्ड 2 (क) में "केवल राय की अभिव्यक्ति को छोड़कर" शब्दों को संगत स्थान पर रखा जाये। यदि दो अथवा तीन व्यक्ति एक स्थान पर इकट्ठे हो जायें तथा कोई मत अभिव्यक्त कर दें तो उन्हें ऐसी विधि के अधीन गिरफ्तार कर लिया जायेगा । इससे मत की अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता एक उपहास बनकर रह जायेगी । इसलिये केवल राय की अभिव्यक्ति को विधि से मुक्त किया जाना चाहिये ।

संशोधन संख्या 155 द्वारा मैं चाहता हूं कि धारा 2 (च) (एक) के स्थान पर यह शब्द रखे जायें : "जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को राजद्रोह अथवा सम्बन्ध-विच्छेद करने के लिये उत्तेजित करता है ।"

गृह-कार्य मंत्री ने अभी कुछ क्षण पूर्व "विधि विरुद्ध क्रियाकलाप" को एक आन्दोलन का आयोजन करना अथवा लोगों को उत्तेजित करना बताया है । उत्तेजित करना अपराध माना जाना चाहिये न कि केवल उसका समर्थन ही अपराध समझा जाना चाहिये ।

Shri Kanwar Lal Gupta (Sadar Bazar): Sir, Page 2, line 18 of the Bill reads

"which disclaims, questions, disrupts or is intended to disrupt the sovereignty and integrity of India".

The purpose of my amendment is to insert the word "territorial" before the word "integrity". The term "integrity" is very comprehensive and any restriction can be imposed on any political party under the meaning of this term. Our past experience has been that the Government has used every power given to it for the benefit of its party. Therefore, it is very necessary that this term should be made specific. The meaning of the term "integrity" will not only be made clear if we insert the word "territorial" before it but it will also meet the objective of the Bill.

श्री विश्वनाथन : (वंडीवाश) : विधेयक के पृष्ठ 1, पंक्ति 9 में "संस्था" की जो परिभाषा दी गई है, वह बिल्कुल अस्पष्ट है । यदि सरकार के विचार में कोई राजनैतिक दल उसके हितों

के विरुद्ध काम कर रहा है तो सरकार उस दल को विधि विरुद्ध सिद्ध करने का प्रयत्न कर सकती है। ऐसा करना हमारी वर्तमान राजनैतिक परिस्थितियों में ठीक नहीं होगा और यह कार्मिक संघों के विरुद्ध भी हो सकता है। अतः इस परिभाषा में ऐसा संशोधन कर दिया जाना चाहिये जिससे चुनाव आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल तथा कार्मिक संघ इसके अन्तर्गत न आयें।

मेरा दूसरा संशोधन पृष्ठ 2, पंक्ति 7 में परिवर्तन से सम्बन्धित है। वर्तमान विधेयक के अनुसार एक अधिकरण में एक न्यायाधीश होगा जिसे कार्यपालिका नियुक्त करेगी। परन्तु आजकल लोगों को उच्च न्यायालयों में अधिक विश्वास है। अतः हम चाहते हैं कि अधिकरण शब्द का अभिप्राय न्यायालय के एक बैंच से होना चाहिये जिसका क्षेत्राधिकार उस स्थान पर भी हो, जहां संस्था का मुख्य कार्यालय स्थित है। अतः निर्णायक प्राधिकार अवश्य ही उच्च न्यायालय होना चाहिये न कि कोई विशिष्ट व्यक्ति।

Shri Ramavtar Shastri (Patna): Sir, while the discussion was going on the Bill, the Home Minister had stated that the object of the Bill is not to impose any restriction on the political parties. If that is really the intention, clause 2, page 1, line 9 should be so amended as to provide that the term 'association' would not include a registered trade union or a political party. Otherwise, it will mean that the Government wants to suppress the trade union movement and the opposition parties in the country.

Shri George Fernandes: The amendment I have proposed is for the purpose of excluding trade unions registered under the Indian Trade Unions Act or a political party from the purview of the clause. The term "association" should not include these two classes.

[**श्री गु० सिं० ढिल्लों पीठासीन हुए**
Shri G. S. Dhillon in the Chair]

That is in the interest of the ruling party also because cession or secession of a part of the territory of India will be done only by the ruling party. If any trade union complains of little economic development of a particular area, it should not be regarded as unlawful activity. Therefore, it is only right that political parties and registered trade unions are not covered under the Bill.

श्री नम्बियार: मैं संशोधन संख्या 38 से 41 और 43 प्रस्तुत करता हूं।

'अवैध गतिविधि' की परिभाषा दो प्रकार की की गई है। यदि विधेयक 'अभ्यर्पण' तथा 'सम्बन्ध विच्छेद' को रोकने के लिये प्रस्तुत किया गया है तो खण्ड 2 (च) का दूसरा भाग क्यों रखा गया है। यदि कोई राजनैतिक दल भारत की सार्वभौमिकता और अखण्डता अस्वीकार करता है, आपत्ति करता है, छिन्न-भिन्न करता है अथवा ऐसा अभिप्राय रखता है, तो उसे इस खण्ड के अधीन पकड़ा जा सकता है। इसका "अभ्यर्पण" तथा "सम्बन्ध विच्छेद" से कोई सम्बन्ध नहीं है।

मंत्री महोदय ने जानबूझकर विधेयक का नाम "अभ्यर्पण तथा सम्बन्ध विच्छेद निवारण विधेयक न रखकर" विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) विधेयक रखा है। इसी से यह मालूम होता है कि यह विधेयक इतना निर्दोष नहीं है जितना कि दिखाई देता है।

जनसंघ वाले कहते हैं कि आप केवल अखंडता की बात करते हो। आप प्रादेशिक अखंडता की बात क्यों नहीं करते ? सरकार प्रादेशिक अखंडता की चिन्ता नहीं करती है।

इस कानून के अन्तर्गत सिवाय शासित दल के कोई भी राजनीतिक दल सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले यह साम्यवादियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे, फिर अन्य दलों को एक-एक करके लेंगे। मैं चाहता हूं कि गृह-कार्य मंत्री तथा विधि मंत्री इस बात को स्पष्ट करें। गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं कहा है कि कानून के अन्तर्गत स्थाई दल नहीं है।

आपने "बोले हुए तथा लिखे हुए शब्दों" का प्रयोग किया है। भगवान के लिये इन शब्दों को हटा दो। यह स्पष्ट नहीं है।

अन्त में मेरा कहना यह है कि प्रादेशिक अखंडता होनी चाहिए। जो भाग स्पष्ट नहीं है वह हटा दिया जाना चाहिए।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : महोदय मैं संशोधन संख्या 81 के बारे में बोल रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि जो न्याय एक व्यक्ति को आप दे सकते हैं वह आप एक संस्था को क्यों नहीं देते। गवाही का परिगणन एक न्यायाधीश की अपेक्षा अधिक न्यायाधीश ठीक कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण मामलों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश स्वयं मामलों को एक न्यायाधीश की बजाय अधिक न्यायाधीशों को सौंपते हैं। ऐसा न करके आप एक संस्था के मौलिक अधिकार को छीन रहे हैं। अन्ततोगत्वा इस मामले का निर्णय उच्च न्यायालय स्वयं करेगा। इसलिये वहां उच्च न्यायालय का एक बैंच होना चाहिए। सिद्धान्त रूप में गृह कार्य मंत्री इसका विरोध नहीं कर सकते।

यदि आप एक संस्था पर इस प्रकार पाबन्दी लगा देंगे तो लोकतन्त्र यहां समाप्त हो जायेगा।

यह तर्क भी ठीक नहीं है कि यह कार्य साधकता के कारण किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ उद्देश्य दिखाई पड़ता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त पूरे करने के लिए साक्षी को 3 व्यक्तियों के बैंच द्वारा परिगणनित करना चाहिए।

Shri Shrichand Goyal (Chandigarh): Sir, I have tabled my amendment No. 42 to Clause 2. I want word "territorial" to be added after the word "and", without the word "territorial," "integrity" may mean "social integrity" or "cultural integrity" and when it goes before some court for interpretation there would be difficulty and the court may even strike it down. I therefore want the word "territorial" to be added.

श्री सेक्वीरा (गोआ, दमण तथा दीव) : महोदय मेरे संशोधन का उद्देश्य विधेयक के पृष्ठ 2 से पंक्तियां संख्या 1 तथा 2 को हटाना है। क्योंकि हमारी सीमा अभी निर्धारित नहीं की है। हमें चाहिए कि समझौते के बारे में जनता में इस पर चर्चा हो। ऐसा करने से किसी भी देश को क्षेत्र देने का अधिकार नहीं रहेगा।

अपने संशोधन संख्या 164 के द्वारा मैं चाहता हूं कि जो अधिकार इस समय मजिस्ट्रेटों को दिये हुए हैं वे जिला न्यायाधीशों को दिये जायें ताकि वह स्वतन्त्र न्यायपालिका के हाथ में रहें। मजिस्ट्रेट तो पुलिस की रिपोर्ट पर विश्वास कर लेते हैं परन्तु न्याय पालिका ऐसा नहीं करेगी।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज के संशोधन का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। हमने संयुक्त समिति में भी कहा था कि इसमें यह लिख दिया जाये कि यह किसी राजनीतिक दल अथवा ट्रेड यूनियन पर लागू नहीं होगा। ऐसा करने से देश के लोकतन्त्र को सहारा मिलेगा तथा इस कानून के अन्तर्गत किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

जैसा कि आपको पता है कि मेरठ षडयन्त्र अभियोग में सर जॉन बीमान्ट ने निर्णय दिया था कि "विचारों पर मुकदमा चलाना गैर-कानूनी है" तथा हमारे साथियों को फिर मुक्त कर दिया गया था। हमारे सब राजनीतिक दलों ने देश पर आक्रमण के समय मिल कर देश की सहायता की है। इस कारण राजनीतिक दलों को इससे कोई हानि नहीं होनी चाहिए।

न्यायाधिकरण की बात तो केवल दिखावा है तथा श्री राममूर्ति के संशोधन से गिरफ्तार किए हुए लोगों के साथ न्याय होगा।

मैं चाहता हूं कि आप देश के हितों तथा एकता को ध्यान में रखते हुए इन संशोधनों को स्वीकार कर लें। आप व्यक्तियों की बात करते हैं। इस विधेयक पर यहां चर्चा हो रही थी परन्तु श्री कामराज ने ऐसा उत्तेजनापूर्ण वक्तव्य मद्रास में दिया। मैं नहीं चाहता कि उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाये परन्तु मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

जैसा कि श्री गोयल तथा श्री लिमये ने कहा कि कश्मीर का आधा भाग पाकिस्तान के कब्जे में है तथा इसी प्रकार की स्थिति बेरुबारी और लाठीटीला में है, परन्तु सरकार ने इनके बारे में क्या किया है ?

मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज दिया जाये। हमने तो प्रार्थना यह की थी कि इसे जन राय जानने के लिए परिचालित किया जाये परन्तु वह बात मानी नहीं गई। हम चाहते हैं कि हमारे संशोधन स्वीकार कर लिये जायें।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : महोदय इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि "सम्पूर्ण प्रभुता" तथा "एकीकरण" शब्दों को संविधान से लिया गया है तथा इन्हें सुरक्षित रखने के लिए उचित पाबन्दी भी लगाई जा सकती है। परन्तु वर्तमान कानून द्वारा तो "गैर-कानूनी कार्रवाई" की परिभाषा के द्वारा एक अपराध निर्माण किया जा रहा है। मैं इसके विरुद्ध हूं।

यदि एकीकरण से सरकार का अभिप्राय "क्षेत्रीय एकीकरण" है तो उन्हें यह संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए ।

यहां तो सम्पूर्ण प्रभुता बहुत कठिन हो गई है । सरकार बहुत से करार विदेशी सरकारों के साथ करती है और जब तक उनके बारे में कोई कानून न बने, वे संसद् के सामने तो आते नहीं हैं । यहां कार्यपालिका को बहुत अधिकार प्राप्त हुए हैं । यदि संसद् की स्वतन्त्रता समाप्त हो गई तो सब स्वतन्त्रता समाप्त हो जायेगी ।

न्यायाधिकरण के बारे में यह तर्क ठीक नहीं है कि वहां न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है । यह एक बहुत से भेदभाव की प्रक्रिया है ।

सरकार को चाहिए कि यह स्पष्ट करे कि "एकीकरण" का अर्थ "क्षेत्रीय एकीकरण" से है । मैं आशा करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लेंगे ।

विधि मन्त्री (श्री गोविन्द मेनन) : सरकार ने जो संशोधन पेश किये हैं उनमें से एक को स्वीकार करने को तैयार है । उसका सम्बन्ध "एकीकरण" से है । हम वहां "क्षेत्रीय एकीकरण" शब्द मानने को तैयार हैं । यह माननीय सदस्यों के विचारों का आदर करते हुए किया गया है ।

न्यायाधिकरण के बारे में हमारा विचार यह है कि यदि किसी कार्य करते हुए न्यायाधीश को उच्च न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्त किया जाता है तो कोई हर्ज नहीं है । इससे कार्य भी शीघ्र हो जायेगा । सरकार का न्यायाधिकरण के बारे में जो कुछ विधेयक में लिखा है उसे बदलने का कोई विचार नहीं है ।

मौलिक अधिकारों को इसके अन्तर्गत भी सुरक्षित रखा गया है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

सरकार का विचार है कि यह सब दलों के हित में है ।

Shri Shrichand Goyal (Chandigarh) : Mr. Deputy-Speaker, the cases pertaining to Defence of India and detention have been heard by a tribunal of three judges. The question pertaining to banning of a political party would arise only rarely and as such it should be heard by a bench of three judges. The chairman of that may be a Supreme Court judge and the other two may be high court judges.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : महोदय, मैं श्री पी० राममूर्ति के संशोधन का समर्थन करता हूं । साधारण अपराधों को भी एक न्यायाधीश सुनता है । परन्तु किसी व्यक्ति अथवा संस्था की स्वतन्त्रता का प्रश्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । यह चुनाव के मुकदमे से भी गम्भीर है । इसका सम्बन्ध मौलिक अधिकारों से है । इसके लिये तीन न्यायाधीशों का एक न्यायाधिकरण होना चाहिये । मैं चाहता हूं कि इस संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, एक व्यक्ति अथवा दल को सरकार गैर-कानूनी घोषित करने जा रही है और यह कार्य एक न्यायाधीश करेगा। यह बात भी उचित नहीं है कि उच्च न्यायाधीश के ऊपर छोड़ दिया जाये कि वह एक न्यायालय को यह कार्य दे अथवा एक से अधिक को। इसलिए हम चाहते हैं कि उच्च न्यायाधीश का एक बैंच ही इस मामले पर विचार करे। मैं श्री रणधीर सिंह को बधाई देता हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया है।

श्री कृष्ण मूर्ति (कड्डलूर) : जब मूल विधेयक पर चर्चा हो रही थी तो गृह-कार्य मंत्री मान गए थे कि वह दो तीन न्यायाधीशों के होने का विरोध नहीं करेंगे। अब सरकार कुछ दलों के विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती है जिनकी सरकारें हैं। मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं कि एक न्यायाधीश के स्थान पर उच्च न्यायालय का एक बैंच होना चाहिये। लोकतन्त्र को एक व्यक्ति द्वारा नहीं जांचना चाहिये।

Shri George Fernandes (Bombay South) : Sir, in the absence of the Home Minister here we are discussing all in vain.

उपाध्यक्ष महोदय : विधि मंत्री यहां उपस्थित हैं और उन्हें पूरा अधिकार है कि किसी भी संदेह को दूर करें।

श्री स० कुण्डू (बालासौर): महोदय, न्याय के बारे में कहा जाता है कि वह न केवल होना चाहिये वरन दिखाई भी देना चाहिये।

यदि आप यहां लोकतन्त्र चाहते हैं तो गृह-कार्य मंत्री तथा विधि मंत्री को न्यायाधिकरण को स्वीकार कर लेना चाहिये।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : मैं सदन को याद दिलाना चाहती हूं कि मूल विधेयक में तीन न्यायाधीशों की व्यवस्था थी और वे सब उच्च न्यायालय के दर्जे के होने चाहियें। यह आवश्यक नहीं बताया गया था कि वे सब सेवा में हों। मैं न्यायाधिकरण के सुझाव के हक में हूं परन्तु हमें इस बात पर बल नहीं देना चाहिए कि वे उच्च न्यायालय के सेवा में लगे हुए न्यायाधीश हों।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : यदि सरकार न्यायाधिकरण की बात मानने को तैयार है तो मैं अपना संशोधन वापिस ले सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इतनी लम्बी चर्चा में पश्चात् उन्हें सोचने का अवसर तो दीजिये।

Shri George Fernandes : Sir, he has not yet replied to my suggestion about the labour unions and political parties. That reply should come.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : यह बात स्पष्ट होनी चाहिये कि यहां न्यायाधीशों की

बात नहीं है कि वे उच्च न्यायालय के हों अथवा नहीं। न ही उच्च न्यायालय के बैंच की बात है। प्रश्न यह है कि विधेयक के अनुसार न्यायाधिकरण होगा और उसके सदस्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे। वे न्यायाधीश सेवा में होंगे न कि सेवा निवृत्ति क्योंकि सेवा निवृत्ति के बाद वे न्यायाधीश नहीं रहते। बाकी बातों पर उस समय चर्चा हो सकती है जब हम खण्ड 5 को लेंगे।

मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज का राजनीतिक दल तथा मजदूर संगठनों के बारे में सुझाव स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

Shri George Fernandes (Bombay South): The Trade Unions are registered under Indian Trade Union Act and as such they have to submit to Government every year their accounts and names of office bearers. Inspite of the fact that so much control is kept, I do not understand why you are not prepared to exclude the Trade Unions from the purview of this Act. I again request the Hon. Minister to accept my suggestion about Trade Unions.

उपाध्यक्ष महोदय : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि चुनाव आयोग एक दल को मान्यता देता है तथा उसे एक निशान भी देता है। तथा इसलिए वह दल इस परिभाषा में नहीं आनी चाहिये। यही बात मजदूर संगठनों पर भी लागू होती है। क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कुछ कहेंगे।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै): मैं एक और बात पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ। "गैर-कानूनी संस्था" के "सदस्यों" की भी परिभाषा करनी चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हमें आगे बढ़ना चाहिये क्योंकि इसी पर एक घंटा तक चर्चा हो चुकी है।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैंने अपने जीवन के 30 वर्ष मजदूर संगठन आन्दोलन में व्यतीत किये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मुझे पता है।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : महोदय, मुझे पता नहीं कि सदस्य महोदय किस प्रकार की छूट राजनीतिक दलों तथा मजदूर संगठनों के लिये चाहते हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूं कि कोई राजनीतिक दल तथा मजदूर संगठन गैर-कानूनी कार्यवाही नहीं करेगा। परन्तु हम यह भी नहीं भूल सकते कि श्री राममूर्ति के दल के कुछ व्यक्ति नक्सलबाड़ी में क्या-क्या कर रहे हैं।

इसी कारण मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, doing an illegal thing and having an illegal association are two different things. I have no objection to your providing that those who indulge in illegal things would be punished but those associations which carry on their work in peaceful manner should be exempted from its purview.

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : मैं श्री जार्ज फरनेन्डीज का संशोधन स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या गृह-कार्य मंत्री "एकीकरण" शब्द को "क्षेत्रीय एकीकरण" सम्बन्धी संशोधन स्वीकार करने को तैयार हैं ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : जी हां, मैं संशोधन संख्या 42 जिसमें "क्षेत्रीय एकीकरण" की बात कही है, स्वीकार करने को तैयार हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या इसका अर्थ यह है कि यदि किसी संस्था के एक या दो व्यक्ति गैर-कानूनी कार्यवाही करें तो क्या सारी संस्था गैर-कानूनी हो जायेगी ?

Shri Madhu Limaye : If you add "members collectively" then it would be all right.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : जब हम "सदस्य" कहते हैं तो इसका अर्थ होता है कि सामान्यतः सदस्य । इसमें एक या दो सदस्यों की बात नहीं हैं ।

श्री सेझियान (कुम्बकोणम) : आप उन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही कीजिये न कि संस्था के विरुद्ध कार्यवाही करें ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह बात तो हम न्यायाधिकरण के सामने सिद्ध करेंगे ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : यह गैर-कानूनी कार्यवाही दो भागों में बांट दी है । इसका क्या अभिप्राय है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : इसका अर्थ यह है कि यदि कोई सम्पूर्ण प्रभुता तथा प्रादेशिक अखंडता को हानि पहुंचायेगा अथवा संदेह करेगा उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। मान लीजिए कि कोई दल किसी विदेशी शक्ति को यहां बुलाता है अथवा कहता है "चीन का स्वागत है" तो यह इस अधिनियम के अन्तर्गत अपराध माना जायेगा ।

श्री मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, क्या यह सच है कि गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि यदि कोई सैद्धान्तिक रूप में इस पर चर्चा करे तो यह गलत नहीं है ।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने कहा था कि कोई सिद्धान्तरूप में इस पर अपने विचार प्रकट करे तो वह इस अधिनियम की परिधि में नहीं आता ।

उपाध्यक्ष महोदय : सिवाय श्री वाजपेयी के संशोधन संख्या 42 के मैं बाकी सब संशोधनों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं । अब मैं संशोधन संख्या 42 को मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

मैं प्रस्ताव करता हूं ।

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 में :

And [और] शब्द के पश्चात् territorial [क्षेत्रीय] शब्द रख दिये जायें [42]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 2 को मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मतदान हुआ
Lok Sabha divided

पक्ष में 43; विपक्ष में 160
Ayes 43; Noes 160

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री नम्बियार के संशोधन संख्या 38, 39, 40, 41 तथा 43 मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन संख्या 38, 39, 40, 41 और 43 **सभा में रखे गये तथा अस्वीकृत हुए**
The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राममूर्ति के संशोधन संख्या 79, 80, 81, 82, 83 तथा 84 मतदान के लिये रखता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, संशोधन संख्या 81 के बारे में विधि मंत्री जी ने कहा था कि वह उस पर खण्ड 5 पर चर्चा के समय विचार करने को तैयार हैं ।

श्री पी० राममूर्ति : महोदय, मैं अपना संशोधन संख्या 81 वापिस लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा संशोधन संख्या 81 के वापिस करने की अनुमति देती है ?

संशोधन सभा की अनुमति से वापिस लिया गया
The amendment was, by leave, withdrawn

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री राममूर्ति के संशोधन संख्या 79, 80, 81, 82, 83 और 84 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए
The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री सेक्वीरा अपने संशोधन पर मतदान चाहते हैं ?

श्री सेक्वीरा : मैं केवल संशोधन संख्या 164 पर मतदान चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 164 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The motion was negatived

अन्य सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये और अस्वीकृत हुए।

All other amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ

Lok Sabha divided

पक्ष में 154 विपक्ष में 49

Ayes 154; Noes 49

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause, 2 as amended, was added to the Bill

खण्ड 3 किसी संस्था का अवैध घोषित किया जाना।

श्री जार्ज फरनेन्जोज : मैं अपने संशोधन संख्या 3, 4, 5, 6 तथा 7 प्रस्तुत करता हूँ।

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 45 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० राममूर्ति : मैं अपना संशोधन संख्या 95 प्रस्तुत करता हूं।

श्री नी० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मैं अपना संशोधन संख्या 86 प्रस्तुत करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बाजपेयी, श्री कृष्णमूर्ति, श्री स० मो० बनर्जी, श्री मेघराजजी तथा श्री सेक्वीरा द्वारा खण्ड 3 पर जो संशोधन दिये गए हैं, वे सब इन संशोधनों में आ गये हैं।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Sir, in my opinion this whole bill is unnecessary and very dangerous. It is like a poisonous snake. I want him to remove its poisonous teeth. Some of those poisonous teeth have been removed by the Joint Committee. The proviso which says "that nothing in this sub-section shall require the Central Government to disclose any fact which it considers to be against the public interest to disclose", is very dangerous. It will be doing great injustice to the association against which this will be used. After all you will have to give the reasons before the Court of Law. So it would be better if those reasons are given before the matter goes to a Court of Law. Those people and associations should be given opportunity to put forward their point of view. Such rights the Government should not have. In case the tribunal agrees to this then you may take action.

Shri Shrichand Goyal (Chandigarh): Sir, it is most improper for the Central Government to arrogate to itself the fact that it will not even disclose the reasons to the association which would fall within the purview of this Act. In that case there are only two courses open for the association. One is that under Article 226 of the constitution it will approach the High Court or under Article 32 it will approach the Supreme Court. We also disclose to a person even the reasons for his detention and only then the Court or the Tribunal is in a position to come to a conclusion. The term "public interest" is a misleading term and shows indefiniteness. I therefore request that the proviso in this clause may be deleted.

We also want the second proviso to clause 3 also to be deleted. After all Government will know the truth about such matters through its intelligence and it will not happen all of a sudden. I again request that this proviso should also be deleted.

श्री मेघराजजी (सुरेन्द्रनगर) : महोदय, खण्ड 3 के उप-खण्ड (2) का परन्तुक कानून के विरुद्ध है क्योंकि यह ठीक नहीं है कि जिनके विरुद्ध कार्यवाही की जाये उन्हें उसके कारण भी न बताये जायें। इसी प्रकार खण्ड 3 के उप-खण्ड (3) के परन्तुक को भी हटा दिया जाये क्योंकि यह सब रोक तथा संतुलन की नीति के विरुद्ध है। इस कारण इन्हें हटा दिया जाये।

श्री कृष्णमूर्ति (कुडुलूर) : इस मामले में सारा अधिकार केन्द्रीय सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है कि कौन सा दल अवैध घोषित करना चाहिये। मेरे विचार में उस राज्य की सरकार के विचारों पर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि हमारे देश में संघीय पद्धित है जिसमें राज्यों की सरकारों को भी मान करना चाहिये।

न्यायाधिकरण के एक न्यायाधीश से काम नहीं चलेगा। हमें चाहिये कि उच्च न्यायालय के एक या दो न्यायाधीशों को इसमें सम्मिलित कर दिया जाये। इसके अतिरिक्त किसी संस्था या दल को अवैध घोषित करने से पूर्व संसद में उस पर चर्चा होनी चाहिये ताकि वह दल यहां अपनी स्थिति स्पष्ट कर सके तथा यदि आवश्यक हो तो सरकार अपनी कार्यवाही वापिस ले सके।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): महोदय, मैंने संशोधन संख्या 141 तथा 142 रखे हैं। इसमें "जनहित" का स्पष्टीकरण नहीं किया गया है। हमें पता है कि "जनहित" का नाम लेकर सरकार हमसे बहुत सी बातें छिपाती है जिन्हें बाहर सब जानते हैं। इसलिये हमें स्पष्ट कर दिया जाये।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि 1 से 6 तक की पंक्तियों को हटा दिया जाये। क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा सरकार किसी भी संस्था को अवैध घोषित कर देगी चाहे वे रजिस्टर्ड ही क्यों न हों।

Shri George Fernandes (Bombay-South): Sir, my amendment Nos. are 3, 4, 5, 6 and 7. In the name of public interest so many wrong things are done. I was got detained by Shri Shanti Lal Shah when he was a Minister in Maharashtra in 1963. I was not told the reasons therefor but strong and baseless rumours were spread against me that I had received

money from China. I therefore want such things to finish and hence my amendments. In my amendment Nos. 5, 6 and 7 which I want should be accepted. I want word "and" to be put in place of word "or" in sub-clause 4 (a).

The procedure for informing a person or association should also be proper. Nobody reads the notifications. It shold be published in the newspaper. I hope the Home Minister would accept my amendments.

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : महोदय, मेरा संशोधन संख्या 44, 45 तथा 46 हैं और मैंने उनको भलीभांति समझा दिया है। यह कहना उचित नहीं है कि सरकार वह बात नहीं बतायेगी जो जनहित में नहीं है। सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट कर देनी चाहिये क्योंकि यह नक्सलबाड़ी का नाम लेकर साम्यवाद (मार्क्सवादी) दल को अवैध घोषित करना चाहते हैं। यदि उनकी यह मंशा नहीं है तो वे स्पष्ट रूप से कहें कि ऐसा नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहता कि नक्सलबाड़ी का बार-बार नाम लिया जाये।

यदि साम्यवाद (मार्क्सवादी) का कोई सदस्य कोई अवैध कार्यवाही करता है तो इसका अर्थ यह नहीं होना चाहिये कि सारे दल को ही अवैध घोषित कर दिया जाये। ऐसा करना गैर-कानूनी तथा गैर-लोकतान्त्रिक है। मैं इसका कारण जानना चाहता हूं। यदि एक दल को अवैध घोषित कर दिया जाता है तथा उसे गजट में छाप दिया जाता है तो भी सरकार उसे न्यायाधिकरण के पास जाने से पूर्व वापिस ले सकती है। इस परन्तुक के सब दल विरोधी हैं। घोषित को न्यायाधिकरण के निर्णय के पश्चात ही कार्यान्वित करना चाहिये। मेरे तीसरे संशोधन में कहा गया है कि इसे कार्यान्वित करने से पूर्व संसद की अनुमति प्राप्त करनी चाहिये ताकि सब विषय पर संसद में चर्चा हो सके।

श्री सेक्वीरा (गोवा, दमण तथा दीव) : महोदय मेरे संशोधन संख्या 165 तथा 166 हैं। किसी भी संस्था का अवैध घोषित करना कोई साधारण बात नहीं है। इसलिये कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिये।

साथ ही मैंने कहा है कि उप-खण्ड 3 के परन्तुक को हटा दिया जाये। यदि ऐसा नहीं किया तो सरकार अधिसूचना के पश्चात किसी भी संस्था को 6 मास तक बहुत तंग कर सकती है। यह बहुत खतरनाक बात है।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : महोदय, गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि वे सारी बातें न्यायाधिकरण के सामने रख देंगे। मेरा उनसे यह अनुरोध है कि न्यायाधिकरण अपना कार्य गुप्त रूप में तो करेगा जो बात न्यायाधिकरण के सामने रखी जायेगी वह जनता को भी पता चल जायेगी। इसके अतिरिक्त किसी राजनीतिक दल का अवैध घोषित करना कोई साधारण कार्य नहीं है। इसलिये मेरा अनुरोध यह है कि यह कारण पहले ही बता दिये जायें ताकि जनता को किसी भी दल के अवैध घोषित होने से पूर्व उसके बारे में पता चल जाये कि ऐसा करने के क्या कारण हैं। मैं इसी कारण परन्तुक का विरोध करता हूं।

डा० सुशीला नैयर (झांसी) : महोदय, मैं खण्ड का समर्थन तथा संशोधनों का विरोध करने के लिये खड़ी हुई हूं। इन सब बातों पर संयुक्त समिति में पूरी चर्चा हो चुकी है और वहां इन बातों को स्वीकार कर लिया गया था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। जो बात संयुक्त समिति में किसी ने डा० सुशीला नैयर को व्यक्तिगत रूप में बताई गई थी उसकी चर्चा यहां करना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वह सामान्य रूप में जिक्र कर सकती हैं।

डा० सुशीला नैयर : सारी साक्षी सभा-पटल पर रख दी है। इसलिये इन्हें मेरी बात का विरोध नहीं करना चाहिये था।

इस विधेयक का प्रयोग कोई साधारण परिस्थितियों में नहीं किया जायेगा। यह तो असामान्य स्थिति के लिये है क्योंकि किसी संस्था को अवैध घोषित करना कोई साधारण बात नहीं है। परन्तु कुछ परिस्थितियों में कार्य शीघ्रता से करना होगा। सरकार ने 30 दिन का अवसर दिया है जिसमें सरकार को न्यायाधिकरण के सामने जाना होगा। इसलिये यह परन्तुक बहुत आवश्यक है।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : महोदय, दो उपबन्धों के बारे में यहां विरोध प्रकट किया गया है। पहली बात तो यह है कि जिस संस्था को अवैध घोषित करना है उसे उसके कारण बताये जायें। मेरा उत्तर यह है कि यदि ऐसा कर दिया तो हमारी उस संस्था के बारे में फिर जाँच पूरी नहीं हो सकेगी और उस जांच में बाधा पड़ेगी। परन्तु बाद में न्यायाधिकण से तो यह बातें छपाई नहीं जायेंगी।

दूसरे उपबन्ध के बारे में मेरा उत्तर यह है कि हम अधिकार केवल अधिकार के लिये प्राप्त नहीं कर रहे हैं। छः मास की अवधि इसलिये रखी है ताकि कोई बीच में शरारत न हो सके। राज्य सरकारों से परामर्श का जो सुझाव श्री कृष्णमूर्ति ने दिया वह इस कारण मंजूर नहीं है क्योंकि यह बात केन्द्र की सूची में आती है।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि संसद् का अनुसमर्थन प्राप्त होना चाहिये। मुझे यह सुझाव इस कारण मंजूर नहीं है क्योंकि हम संसद् को एक न्यायालय का कार्य सौंपना नहीं चाहते।

श्री नम्बियार की बात मुझे इस कारण उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि मेरे मन में इस समय कोई भी दल नहीं है जिसे अवैध घोषित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 45, 85 तथा 86 एक साथ सभा के मतदान के लिये रखता हूँ।

संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 3 सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने ।'

लोक सभा में मतविभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 128; **विपक्ष में** 37
Ayes 128 ; Noes. 37

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 3 was added to the Bill

खण्ड 4

श्री नम्बियार : मैं अपना संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री पी० राममूर्ति : मैं भी अपने संशोधन संख्या 90, 91 तथा 92 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : मैं अपना संशोधन संख्या 47 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : मैं अपने संशोधन संख्या 90, 91 तथा 92 प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री नम्बियार : खण्ड 4 के अनुसार न्यायाधिकरण को अधिकार है कि सरकार के पत्र आदि देने पर वह उस संस्था के बारे में विचार कर सकता है । मेरा कहना यह है कि यह कार्य तब होना चाहिए जब कोई प्रत्यक्ष मामला दिखाई दे कि यह संस्था अवैध कार्य करती है । अन्यथा न्यायाधिकरण के सामने मामला जाने से देश में यह धारणा बन जायेगी कि अमुक संस्था वास्तव में कोई अवैध कार्य कर रही है । छोटे अधिकारी तो वैसे ही किसी भी संस्था को अवैध घोषित कर देंगे । इस कारण मेरा कहना है कि प्रत्यक्ष रूप में अवैध कार्य दिखाई दे तब ही केवल न्यायाधिकरण कार्यवाही करें ।

श्री पी० राममूर्ति (मदुरै) : महोदय, किसी संस्था की अवैध कार्यवाही के बारे में सरकार को न्यायाधिकरण को बताना चाहिए कि उसने यह अवैध कार्य किया है ताकि वह संस्था उसका उत्तर दे सके । परन्तु विधेयक में अवैध घोषित किये जाने वालों से पूछा जा रहा है कि उन्हें क्यों नहीं अवैध घोषित किया जाये ? यह बात ठीक नहीं है ।

मेरा दूसरा संशोधन संख्या 92 है । मैं चाहता हूँ कि न्यायाधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय गवाही अधिनियम के अनुसार कार्य करना चाहिये क्योंकि इस विधेयक का प्रभाव

हजारों व्यक्तियों पर पड़ने वाला है । आपने अपील की व्यवस्था भी नहीं रखी है जहां हम दूसरों से पूछ ताछ तो कर सकते ।

श्री कृष्णमूर्ति (कुड्डलूर) : महोदय मेरा संशोधन संख्या 125 ऐसा ही है जैसा श्री पी० राममूर्ति का संशोधन संख्या 92 था । मैं भी चाहता हूँ कि दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय गवाही अधिनियम के अनुसार न्यायाधिकरण का कार्य होना चाहिए । किसी भी संस्था को अवैध घोषित करने से पूर्व उसे दोषी नहीं समझा जा सकता ।

विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : महोदय, खण्ड 9 में न्यायाधिकरण के सामने की जाने वाली प्रक्रिया का उल्लेख है । जब तक प्रत्यक्ष रूप में कोई मामला नहीं होगा, कोई मामला न्यायाधिकरण के सामने नहीं भेजा जायेगा । इस कारण मुझे इन संशोधनों में कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 4 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

सभी संशोधन सभा में मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 4 को सभा में मतदान के लिये रखता हूं ।

प्रश्न यह है :

'कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने ।'

सभा में मत विभाजन के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 4 was added to the Bill

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, 20 दिसम्बर, 1967/29 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 20th December, 1967/Agrahayana 29, 1889 (Saka).

Tej Kumar Press, Lucknow—7-8-68—600.